

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी 2018—माघ 20, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्र. एफ-19-02-2018-एक-4.—राज्य शासन, एतद्वारा, विधान सभा क्षेत्र 27-कोलारस (जिला शिवपुरी) एवं 34-मुंगावली (जिला अशोकनगर) के उप चुनाव 2018 के लिये शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल में मतपत्रों की छपाई एवं अन्य मुद्रण से संबंधित कार्य आदि

की देखरेख/समन्वय के लिये उपायुक्त (राजस्व) भोपाल को उप चुनावों के सम्पन्न होने तक की अवधि के लिये पदेन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-1(बी)35-17-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा, राज्य सेवा परीक्षा-2015 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 6642-59-2016-चयन, दिनांक 21 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम-6 में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है:—

स. क्र. (1)	मैरिट क्र./अनुक्रमांक (2)	नाम (3)	सीट (4)	श्रेणी (5)	नियुक्ति का दावा समाप्त करने का कारण (6)
1.	10/124027	सुश्री शशि मिश्रा	UNRF	GEN	राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयनित होने के कारण राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने एवं नियुक्ति का दावा समाप्त करने हेतु प्रस्तुत लिखित आवेदन पत्र दिनांक 11-12-2017 के आधार पर.
2.	21/265122	सुश्री रेशम द्विवेदी	UNR	GEN	संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2016 में भारतीय राजस्व सेवा में चयनोपरांत लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षणरत होने के फलस्वरूप राज्य सेवा परीक्षा 2015 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त कार्यभार ग्रहण नहीं करने की लिखित सूचना पत्र दिनांक 4-12-2017 के आधार पर.

क्र. एफ-1(बी)35-2017-बी-4-दो,—राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये मुख्य सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600—39100+ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :-

स. क्र. (1)	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्रमांक (2)	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता (3)	पदस्थापना कार्यालय/स्थल (4)
1	01	श्री ललित सिंह सिकरवार, पुलिस स्टेशन के सामने, जौरा, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश 476221.	इंदौर

(1)	(2)	(3)	(4)
2	02	सुश्री रिचा जैन, 35, न्यू एम. पी., एम. एल. ए. कालोनी, यूनिवर्सिटी कालेज के पीछे, जवाहर चौक, भोपाल मध्यप्रदेश 462003.	भोपाल
3	03	श्री विजय कुमार यादव, ग्राम राजपुरा, तहसील शाहपुरा, पोस्ट बिदारा, जिला जयपुर, राजस्थान 303103.	भिण्ड
4	04	सुश्री प्रिया सिंह, 14/12, अरूण नगर, तहसील हुजूर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश 486001.	अनूपपुर
5	05	श्री रोशन कुमार जैन, 87, ग्राम बनवार, थाना नोहटा, तहसील जवेरा, जिला दमोह, मध्यप्रदेश 470664.	रीवा
6	06	सुश्री प्रियंका मिश्रा, 135, झांसी मोहल्ला, भिण्ड, मध्यप्रदेश 477001.	छतरपुर
7	07	श्री देवनारायण यादव, 740, वार्ड नंबर-10, कोल्वाड़ मोहल्ला खुजनेर, तहसील व जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश 465687.	बैतूल
8	09	सुश्री प्रिया वर्मा, आशीष जनरल स्टोर्स, ए. बी. रोड, मांगलिया, इंदौर मध्यप्रदेश 453771.	राजगढ़
9	11	सुश्री दिव्या सिंह राजावत, मारवाड़ी का बाग, वार्ड नंबर-13, सेन्ट्रल बैंक के पास, लहार, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश 477445.	सागर
10	12	श्री ओम प्रकाश मिश्रा, म. नं. 11, कलेक्टर कर्मचारी कालोनी, थाना कोतवाली, तहसील व जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश 481880.	मुरैना
11	13	श्री रवि शर्मा, 3, बड़े मंदिर पाती, ग्राम सेमली, पोस्ट भैंसौदा, तहसील नलखेड़ा, जिला आगरा मावला, मध्यप्रदेश 465445.	हरदा
12	14	सुश्री नंदिनी शर्मा, नेहा नगर (शक्ति नगर), जैन मंदिर के पास, मकरोनिया, सागर, मध्यप्रदेश 470004.	सिवनी
13	15	श्री मनीष यादव, 36, वार्ड नंबर-29, सुभाष नगर, मुरैना, मध्यप्रदेश 476001.	दमोह
14	16	श्री शशांक सिंह गुर्जर, ए-14, निरूपम एस्टेट, फेस-2, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश 462026.	नरसिंहपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
15	17	सुश्री अर्चना शर्मा, 144, पाठक कालोनी, टेकनपुर (ग्राम) तहसील-डबरा, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश.	सिंगरौली
16	18	श्री सोनू कुर्मी, ग्राम-गिदवानी, पोस्ट-केरबना, जिला सागर, मध्यप्रदेश 470337.	रीवा
17	19	सुश्री अंतिमा समाधिया, शिव शक्ति नगर, टी. बी. टावर रोड, शिवपुरी, मध्यप्रदेश 473551.	भोपाल
18	20	सुश्री सृष्टि भार्गव, 60/09, भार्गव केमिस्ट, अटल द्वार रोड, नेहरू नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश 452001.	इंदौर
19	25	सुश्री आकांक्षा उपाध्याय, सिविल वार्ड नं-4, आदर्श स्कूल के पास, दमोह, मध्यप्रदेश 470661.	मण्डला
20	26	श्री ललित कुमार कश्यप, 14/259, C/O श्री अशोक दीवान, घड़ी चौक, थाना विजय नगर, जबलपुर, मध्यप्रदेश 482001.	बालाघाट
21	27	सुश्री प्रियंका पाण्डे, शर्मा कालोनी, उत्तरी करौंदिया, जिला सीधी, मध्यप्रदेश 486661.	शिवपुरी
22	28	श्री वीरेन्द्र धार्वे, डी-2, टॉप फ्लोर, तिमारपुर के पास, नेहरू बिहार, दिल्ली 110054.	गुना
23	29	श्री आदित्य तिवारी, म. नंबर 04, प्राथमिक स्कूल के पास, ग्राम बुधवारा, तहसील गाड़वारा, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश 487441.	शाजापुर
24	31	श्री नीमेष देशमुख, C/O श्री बी. आर. गलफट, संतोषी प्रोवीजन के पास, बारस्कर कालोनी, मोतीवार्ड, कोठी बाजार, बैतूल मध्यप्रदेश 460001.	रतलाम
25	32	सुश्री रूबिना मिजवानी, 201, राजगढ़, जीरापुर मार्ग, खिलचीपुर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश 465679.	बुरहानपुर
26	33	सुश्री रोशनी सिंह ठाकुर, ग्राम व पोस्ट हिलगन, वार्ड नंबर 15, तहसील व जिला सागर, मध्यप्रदेश 470228.	विदिशा
27	35	श्री महेन्द्र सिंह गौतम, अशोक कालोनी, नदी पार टाल, मुरार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश 474006.	सागर

(1)	(2)	(3)	(4)
28	36	श्री अजय कुमार रिठोरिया, पुराने बस स्टेण्ड के पास, वार्ड क्र. 14, सिकंदपुर, नरवर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश 473880.	राजगढ़
29	37	सुश्री निकिता सिंह, 26, लक्ष्मी नगर, झाबुआ, मध्यप्रदेश 457661.	आगर
30	38	श्री हिमांशु कार्तिकेय, C/O श्री बी. एल. नाग, नाग भवन, रेल्वे स्टेशन के सामने, तिलक वार्ड, सिवनी, मध्यप्रदेश 480661.	टीकमगढ़
31	39	श्री संघप्रिय सम्राट, 488-ए, नया मोहन नगर, ठाठीपुर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश 474001.	शहडोल
32	40	श्री अमित मेश्राम, थाने के सामने, लामटा रोड, बैहर, वार्ड नंबर 09, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश 481111.	छिन्दवाड़ा
33	41	श्री अजय बाघमारे, बडौरा चौक, आठनेर रोड, पोल फेक्ट्री के पास, थाना बैतूल बाजार, बैतूल, मध्यप्रदेश 460001.	छिन्दवाड़ा
34	42	श्री आदित्य राज सिंह ठाकुर, डीएसपी ट्रेफिक जीओरएस.-32, बटालियन, भिण्ड आटा चक्की, उज्जैन, मध्यप्रदेश 456010.	बड़वानी
35	43	श्री चंचलेश मरकाम, ग्राम गोरेघाट, पोस्ट चिखलीकलां, तहसील मोहखेड़, थाना मोहखेड़, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश 480107.	जबलपुर
36	44	सुश्री नेहा गौर, म. नंबर 17/32, नयापुरा, गोपाल मंदिर के पास, गुना, मध्यप्रदेश 473001.	भिण्ड
37	45	श्री शक्ति सिंह चौहान, C/O श्री परमानंद चौहान, 107, न्यू मधुवन कालोनी, बड़वानी, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश 451551.	धार
38	47	श्री कमल सिंह चौहान, बी-73, गौरी धाम कालोनी, सुभिजी अस्पताल के पास, खरगौन, मध्यप्रदेश 451001.	इंदौर
39	50	सुश्री कल्याणी वरकड़े, ए-104, न्यू मिनाल रेसिडेंसी गेट नंबर 3 के पास, जे. के. रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश 462023.	मण्डला

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रथम चरण का बुनयादि प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जावेगा.

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(5) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(6) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(8) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवाएँ बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(9) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(10) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जांक एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(11) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13-5-2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों को पूर्ण संज्ञान है.

क्र. एफ-1(बी)111-2016-बी-4-दो, —राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600—39100+ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :-

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	03	श्री आशीष जैन, खण्ड स्तर अन्वेषक, जिला योजना कार्यालय, कलेक्ट्रेट, लालघाटी, शाजापुर, मध्यप्रदेश 465001.	नरसिंहपुर

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(8) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(11) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के पत्र क्र. 8943/16/2016/चयन दिनांक 1-9-2016 द्वारा सूचित किये गये अनुसार राज्य सेवा परीक्षा 2013 में चयनित आवेदकों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में याचिका क्र. 5587/2016 दायर की गई है. मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 19-8-2016 अनुसार चयनित आवेदकों की नियुक्ति उक्त याचिका में मान. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अध्वधीन रहेगी.

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13-5-2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियुक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, का उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्र. एफ-1(बी)108-2016-बी-4-दो,—राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान

रुपये 15600—39100+ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :-

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	09	श्री नितिन बघेल, 160, सर्वसपन्न नगर, कनाडिया रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश, 452016.	दमोह

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा इस आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवाएँ बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(8) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(11) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13-5-2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियुक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2018

क्र. एफ-1-87-2017-ब-दो.—राज्य शासन एतद्वारा श्री विनायक वर्मा, भापुसे अति. पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) इंदौर को दिनांक 26 मई 2017 से 2 जून 2017 तक छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में मारीशस एवं यू. एस. ए. की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की कार्योत्तर अनुमति/स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है, साथ सचेत किया जाता है कि भविष्य में शासन की अनुमति के बिना विदेश यात्रा न की जावे :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनायक वर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनायक वर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनायक वर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2018

क्र. एफ-1-33-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्वारा श्री कुमार प्रतीक, भापुसे पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ को दिनांक 22 मई से 7 जून 2017 तक सत्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में ह्यूस्टन, टेक्सास (अमेरिका) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की कार्योत्तर अनुमति/स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कुमार प्रतीक, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री कुमार प्रतीक, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार प्रतीक, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1-82-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्वारा श्री पंकज कुमावत, भापुसे सेनानी, 17वीं वाहिनी भिण्ड को दिनांक 14 से 21 मई 2017 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश अवधि में मारीशस की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की कार्योत्तर अनुमति/स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है, साथ ही भविष्य के लिये सचेत किया जाता है कि शासन की अनुमति के बिना विदेश यात्रा न की जावे :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज कुमावत, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से सेनानी 17वीं वाहिनी भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री पंकज कुमावत, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज कुमावत, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1-119-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 से 25 अक्टूबर 2017 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में ग्रीस एवं इटली की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की कार्योत्तर अनुमति/स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है.

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, के अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2018

क्र. एफ-1(ए) 393-88-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2017 के अन्तर्गत गृह नगर भुवनेश्वर (उड़ीसा) अकेले जाने हेतु दिनांक 30 दिसम्बर 2017 से 19 जनवरी 2018 तक कुल इक्कीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 जनवरी 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ दस दिवस अवकाश नगरदीकरण सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्र. एफ-1(ए)-117-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आशुतोष गुप्ता, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला रीवा को दिनांक 29 जनवरी से 9 फरवरी 2018 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 28 जनवरी 2018 व 10-11 फरवरी 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफावर्ड करते हुए) गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत लक्षद्वीप के भ्रमण हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा

सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री आशुतोष गुप्ता — स्वयं
2. श्रीमती संस्कृति जैन — पत्नी

(2) श्री आशुतोष गुप्ता, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला रीवा की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री शिव कुमार सिंह, रापुसे, उप पुलिस अधीक्षक, मऊगंज जिला रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आशुतोष गुप्ता, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आशुतोष गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 199-91-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2017 द्वारा जारी आदेश निरस्त करते हुए, राज्य शासन श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 4 जनवरी 2018 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

- (2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2018

क्र. एफ 1(ए)398-88-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 दिसम्बर 2017 द्वारा जारी आदेश को निरस्त करते हुए राज्य शासन डॉ. विजय कुमार, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 27 दिसम्बर 2017 से 10 जनवरी 2018 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री पवन जैन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक योजना, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. विजय कुमार, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस

महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. विजय कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. विजय कुमार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 93-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अनुराग शर्मा, भा.पु.से. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) अवि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल स्वयं के उपचार हेतु दिनांक 28 अक्टूबर से 9 नवम्बर 2017 तक तेरह दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छब्बीस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग शर्मा, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

क्र. एफ-1(ए) 152-93-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री मनीष शंकर शर्मा, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबन्धन मध्यप्रदेश स्वयं के उपचार हेतु दिनांक 4 से 13 जनवरी 2018 तक दस दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बीस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2018

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक)180.—(प्रतिक्षा सूची क्र. 01), राज्य शासन, श्री कर्नल सिंह श्याम पिता श्री उदय कुमार श्याम को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2

(प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला मण्डला (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 17 जुलाई 1989 है।

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2018

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री अंकित सक्सेना, अधिवक्ता ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 20 अक्टूबर 2017 से 19 अक्टूबर 2018 तक, एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री नितिन कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 19 अक्टूबर 2017 से 18 अक्टूबर 2018 तक, एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री संजय सेठ, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 19 अक्टूबर 2017 से 18 अक्टूबर 2018 तक, एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री समीर सक्सेना, अधिवक्ता इन्दौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 20 अक्टूबर 2017 से 19 अक्टूबर 2018 तक, एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018

फा. क्र. 287-इक्कीस-ब(दो)2018.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का संख्याक 59) द्वारा एवं यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्याक 39 की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री शैलेन्द्र शुक्ला, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल को तथा श्री विमल प्रकाश शुक्ला, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रासयेन को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप से नामनिर्दिष्ट करता है।

No. 287--XXI-B(II)-2018.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994) the State Government in consultation with the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, hereby nominate Shri Shailendra Shukla, District Judge and Chairman, District Legal Services Authorities Bhopal and Shri Vimal Prakash Shukla, District Judge and Chairman, District Legal Services Authorities, Raisen as Ex-Officio Members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charge.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2018

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री यशपाल राठौर, अधिवक्ता, इन्दौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR)

(मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम एडीटर के स्थायी पद पर रुपये 10000/- (रुपये दस हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा अन्य आदेश होने तक (जो भी पहले हो) नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री रितेश कुमार घोष, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम चीफ एडीटर के स्थायी पद पर रुपये 10000/- (रुपये दस हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा अन्य आदेश होने तक (जो भी पहले हो) नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्रीमती सुधा शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम एडीटर के स्थायी पद पर रुपये 10000/- (रुपये दस हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा अन्य आदेश होने तक (जो भी पहले हो) नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान, अधिवक्ता, ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम एडीटर के स्थायी पद पर रुपये 10000/- (रुपये दस हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा अन्य आदेश होने तक (जो भी पहले हो) नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान, अधिवक्ता, ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम एडीटर के स्थायी पद पर रुपये 10000/- (रुपये दस हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा अन्य आदेश होने तक (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)-232.—(मेरिट क्र. 53), राज्य शासन, सुश्री लीला लोधी पिता श्री खुमान सिंह लोधी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 15 दिसम्बर 1980 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)-238.—(मेरिट क्र. 97), राज्य शासन, श्री जगमोहन सिंह पिता श्री मान सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 दिसम्बर 1989 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)-262.—(मेरिट क्र. 55), राज्य शासन, सुश्री विजया भारती यादव पिता श्री राजकुमार भरोतिया यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1991 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)-401.—(मेरिट क्र. 73), राज्य शासन, श्री हेमन्त मेहरा पिता श्री कुंजीलाल मेहरा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य

आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 5 मई, 1987 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)-427.—(मेरिट क्र. 65), राज्य शासन, श्री शैलेन्द्र रैकवार पिता स्व. श्री दौलतराम रैकवार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 15 अगस्त 1987 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)-449.—(मेरिट क्र. 100), राज्य शासन, श्री सोहनलाल भगोरा पिता स्व. श्री गलियाजी भगोरा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 अगस्त, 1984 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2018

क्र. एफ-9-1-2016-पचास-1.—विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2016 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 3 की उपधारा (2)(क) सहपठित धारा 4 की उपधारा (4) के तहत श्रीमती लता वानखेड़े, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग को अधिसूचना जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

(2) राज्य शासन, एतद्वारा श्रीमती लता वानखेड़े, अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की उक्त अवधि में एक वर्ष अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो की वृद्धि करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2018

क्र. एफ-5-16-2014-सं. तीस.—माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा डब्ल्यू.पी. 1220/2006 में पारित निर्णय दिनांक 17 सितम्बर 2012 में उल्लेख है कि श्री दिगम्बर जैन सिद्ध क्षेत्र कुण्डलगिरि, कुण्डलपुर, जिला-दमोह स्थित स्मारक मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 के प्रावधानों से मार्गदर्शित शासित/नियंत्रित (Governed) होगा।

राज्य शासन की राय में यह आवश्यक है कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारकों पुरातत्व स्थलों तथा अवशेषों को नष्ट होने, क्षतिग्रस्त होने, परिवर्तित होने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

अतः, राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक/स्थल/क्षेत्र को भूतलक्षी प्रभाव से राज्य संरक्षित क्षेत्र (State Protected area) घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है	खसरा	रकबा	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
मध्यप्रदेश	दमोह	पटेरा	कुण्डलपुर	श्री दिगम्बर जैन सिद्ध क्षेत्र, कुण्डलगिरि एवं प्रतिमायें.	पटवारी हल्का नं. 81.	233	1731	326/18.30	राजस्व विभाग वन विभाग, श्री दिगम्बर जैन सिद्ध क्षेत्र कुण्डलगिरि, कुण्डलपुर, जिला-दमोह.	पूजा के अधीन है.
					ग्राम फतेहपुर	112	3.94			
						59/1	2.61			
					ग्राम मुड़ारी	216	5.00			
					पटवार हल्का	287/2	2.80			
					54		7.80			

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2018

क्र. एफ-11-21-2017-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शियेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	छतरपुर	नौगांव	मउसहानिया	सूर्य मंदिर	1262 1263	0.045 हे. 0.040 हे.	शासकीय म. प्र. शासन	हां
							1. उत्तर-भूपेन्द्र पिता श्री जगदीश ब्रम्हण. 2. पूर्व-श्रीश्री 108 लक्ष्मन जी देवालय. 3. दक्षिण-श्रीश्री 108 लक्ष्मन जी देवालय. 4. पश्चिम-आम रास्ता.	

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्र. एफ-11-01-2018-तीस.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत निम्न अधिसूचनाओं के द्वारा उनके सम्मुख दर्शाये गये स्मारक राज्य संरक्षित घोषित किये गये थे :—

स. क्र.	अंतिम अधिसूचना क्रमांक व दिनांक	स्मारक का नाम
(1)	(2)	(3)
1	एफ-11-3/2007/सं/तीस दिनांक 20-12-2007	बजरंगगढ़ का किला, बजरंगगढ़, जिला गुना
2	एफ-6-1/79-35 दिनांक 29-9-1980	क्योटी का किला, क्योटी, जिला रीवा
3	एफ-6/47-83/सं/तीस दिनांक 20-11-1984	विजयराघवगढ़ किला, विजयराघवगढ़, जिला कटनी
4	एफ-6-10/82/सं/तीस दिनांक 5-11-1982 के सरल क्रमांक 1	मोती महल (राज महल) रामनगर, जिला मण्डला
5	एफ-6-30/84/सं/तीस दिनांक 4-3-1986	नरवर दुर्ग, नरवर, जिला शिवपुरी (राजस्व क्षेत्र क्र. 1682 क्षेत्रफल 7.724 हे.)
6	एफ-11-07/2012/सं/तीस दिनांक 31-10-2012	प्राचीन किला, सराय तलाब, जिला धार
7	एफ-11/2012/सं/तीस दिनांक 11-7-2013	रॉयल होटल, पुराना बंगला मय आहाता आर. टी. ओ. ऑफिस के सामने, जिला जबलपुर.
8	एफ-11-06/2013/सं/तीस दिनांक 13-6-2013	किला बल्देवगढ़, बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़
9	एफ-06-118/88/सं/तीस दिनांक 21-11-1990	किला श्योपुर (नरसिंह महल) जिला श्योपुर
10	एफ-06-42/33/सं/तीस दिनांक 6-1-1986	हवेली नवलसिंह खांडेराव कस्बा सबलगढ़, जिला मुरैना.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचनाओं द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन, एतद्वारा, घोषित करता है कि उपरोक्त क्र. 1 से 10 तक वर्णित अधिसूचनाओं द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्र. एफ-3-30-2017-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सिरोज निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर विदिशा, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगर परिषद्, सिरोज, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय विदिशा, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्र. एफ-3-30-2017-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-एफ-3-30-2017-अठारह-5 दिनांक 29 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal the 29th January 2018

No. F-3-30-2017-XVIII-5.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for, Sironj, 2031 under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Commissioner, Bhopal Division, Bhopal, Madhya Pradesh.
2. Collector, District Vidisha, Madhya Pradesh.
3. C. M. O. Municipal Council, Sironj (Madhya Pradesh).
4. Assistant Director, Town & Country Planning Distt. Office Vidisha, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh, Gazette under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
C. K. SADHAV, Dy. Secy.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2018

क्र. 813-एफ-3-7-2012-तेरह.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 (ई) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री अनूप कुमार नंदा, पूर्व एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एनटीपीसी लिमिटेड का

चयन किये जाने के फलस्वरूप उन्हें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 (जी) (i) के प्रावधान के अंतर्गत मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर आदेश जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर रिट याचिका क्रमांक 21381/2017 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2018

क्र. डी-5-10-101-09-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

Bhopal the 1st February 2018

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2018

क्र. डी-5-10-101-09-चौदह-3.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 41(1) (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में पदेन सदस्यों के अतिरिक्त निम्न सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जाता है :-

- श्री आशाराम यादव, सदस्य
सेमरी, तह. बुधनी,
जिला सीहोर।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

No. D-5-10-101-09-XIV-3.—In exercise of powers conferred by Section 41 (1) (B) of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby nominates the following members to the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board other than to the ex-officio members under Clause 41(1) (B) :—

S. No.	Name	Post
1	Shri Asharam Yadav, Semri, Teh. Budni, Distt. Sehore.	Member

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मण्डी निर्वाचन), जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्र. मंडी-निर्वा.-2017-18-15.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राहुल जैन, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (ज) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि मंडी (अध्यक्ष, जिला पंचायत की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम, 2010 के अंतर्गत ग्वालियर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-

क्रमांक	मंडी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मंडी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि उपज मंडी समिति डबरा जिला ग्वालियर।	श्री बलराम यादव पुत्र बहादुरसिंह यादव निवासी ग्राम जनकपुर।	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (ज)।

राहुल जैन, कलेक्टर।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल

“कंचनार” ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,

हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2018

क्र. 449-वि.यो. 467-नगानि-2018.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि दतिया निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना का प्रारूप म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 2-2-2018 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर मध्यप्रदेश
2. जिला कलेक्टर, दतिया, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, दतिया, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,

जिला कार्यालय, ग्वालियर में इस सूचना में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

No. 449-MPS-467-TCP-2018.—Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Datia Planning area has been published on 2-2-2018 in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy thereof is available, during office hours, for inspection at office of :—

1. Commissioner, Gwalior Division, Gwalior
2. Collector, District Datia
3. Chief Municipal Officer, Municipal Council, Datia.
4. Joint Director, Town and Country Planning, District Office Gwalior.

If there be any objection or suggestion with respect to the said Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Gwalior, before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration.

स्वाति मीणा नायक, संचालक.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2018

सूचना

क्र. एफ. 1-4-2017-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन, छिन्दवाड़ा में तहसील चौरई एवं तहसील चांद के पुनर्गठन करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान जिला छिन्दवाड़ा की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना रखने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :—

अनुसूची

क्र.	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	चौरई	चौरई	चौरई	वर्तमान तहसील चांद में से 27 ग्राम अपवर्जित किये जाकर तहसील चौरई में सम्मिलित होकर कुल 115 ग्राम एवं 55 पटवारी हल्के होंगे.	पूर्व में—जिला सिवनी पश्चिम में—तहसील छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा. उत्तर में—तहसील अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा. दक्षिण में—तहसील चांद जिला छिन्दवाड़ा.
2	चांद (शेष तहसील)	चांद	चांद	पुनर्गठन पश्चात् चांद में 77 ग्राम और 37 पटवारी हल्का होंगे.	पूर्व में—जिला सिवनी पश्चिम में—तहसील छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा. उत्तर में—तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा. दक्षिण में—तहसील बिछुआ जिला छिन्दवाड़ा.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 82-अ-16-17-323

सागर, दिनांक 8 जनवरी 2018

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मदनी जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी जलाशय निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं क्षेत्र का विकास होगा। मदनी जलाशय निर्माण निर्माण से करीब 370 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मदनी जलाशय निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : कछवा
 4. पट.ह.नं.- : 51
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 41.920 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	साधुसिंह वल्द परसादी साकिन देह	भूमिस्वामी	206/1	2.200	1.600	
2	बलराम नाबालिग वल्द वली हुकम साकिन मदनी	भूमिस्वामी	206/2	0.400	0.350	
3	लालसिंग पिता साधु साकिन मदनी	भूमिस्वामी	206/3	3.600	0.500	
4	मिहरवान नाबालिग वल्द वली गनेश	भूमिस्वामी	206/4	0.400	0.350	
5	महेश कुमार पिता कन्हैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	211/1	3.070	2.700	
		भूमिस्वामी	212/3	0.280	0.230	
		भूमिस्वामी	214/3	0.210	0.210	
6	रविशंकर वल्द रामदीन साकिन देह	भूमिस्वामी	211/2	0.010	0.010	
		भूमिस्वामी	210/3	0.430	0.430	
		भूमिस्वामी	216/1	1.760	1.760	
7	निशा पुत्री बद्रीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	211/3	0.010	0.010	
		भूमिस्वामी	210/4	0.430	0.430	
		भूमिस्वामी	216/2	1.760	1.760	
8	मदनलाल वल्द रामदीन साकिन देह	भूमिस्वामी	211/4	0.190	0.110	
		भूमिस्वामी	210/5	0.100	0.100	
		भूमिस्वामी	218/2	0.160	0.160	
		भूमिस्वामी	219	3.400	3.400	
9	पवन वल्द प्रेमसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	212/1	1.010	1.010	
10	धर्मन्द्र, हरिशंकर पिता महेन्द्र सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	212/2	1.290	0.980	
11	पुरुषोत्तम वल्द रामदीन साकिन देह	भूमिस्वामी	209	0.910	0.040	
12	रतनसिंह वल्द खेतसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	226/1	2.050	1.000	
13	शेवदीन पिता खेतसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	226/4	1.250	0.300	
14	नन्हेभाई वल्द मानसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	225/1	1.610	1.610	
15	मोहन पिता शंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	225/2	1.100	0.450	
16	धनीराम पिता शंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	225/3	1.100	0.450	
17	फुलरानी पति रतन सिंग साकिन बेरसला	भूमिस्वामी	270/1	0.800	0.800	
18	शांतिबाई जोजे गुलाम साकिन देह	भूमिस्वामी	270/2	0.800	0.800	
19	ललताबाई उर्फ मायारानी पति ग्याप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	270/3	1.600	0.600	

20	हरीराम वल्द महुली, भागचंद वल्द महाराज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	271	1.660	1.000
21	तीरथ वल्द हरीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	272/1	1.000	1.000
22	ज्ञानी वल्द मिहीलाल, लाइली जोजे ज्ञानी साकिन देह	भूमिस्वामी	272/2	2.000	1.500
23	फूलसिंह पिता मिहीलाल पटीवारी जोजे फूलसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	272/3	0.140	0.140
		भूमिस्वामी	269/3	0.150	0.090
24	विजय वल्द इमरत साकिन देह	भूमिस्वामी	274	0.400	0.320
25	देवी पिता चूरामन, खिलान पिता देवी साकिन देह	भूमिस्वामी	275	0.470	0.170
		भूमिस्वामी	279	1.140	0.340
26	महेन्द्र कुमार वल्द शिवप्रसाद साकिन सिंगपुर अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	268/2	1.990	0.740
27	इन्द्रानी जोजे मिहरवान सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	268/21	1.800	0.360
28	भैयाराम वल्द श्रीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	278	1.100	0.120
29	वनमाली पिता कन्हैयालाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	210/1	1.100	1.100
30	रामशंकर पिता कन्हैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	210/2	0.430	0.430
		भूमिस्वामी	218/1	1.070	1.070
		भूमिस्वामी	223/4	0.180	0.180
		भूमिस्वामी	221	2.850	2.500
31	राजू राजकुमार, गायत्री पिता रामसींग, संतोषरानी देवा रंमिंसींग साकिन मदनी	भूमिस्वामी	214/1	0.730	0.730
32	रामप्रसाद वल्द गजराज साकिन मदनी	भूमिस्वामी	214/2	1.200	1.200
		भूमिस्वामी	215	2.230	2.230
33	गणेश वल्द जगन्नाथ साकिन मदनी	भूमिस्वामी	214/4	0.720	0.720
34	हुकम पिता जगन्नाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	214/5	0.730	0.730
35	शेवदीन वल्द खेतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	222	0.160	0.160
36	रूपसींग पिता खेतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	223/1	1.100	1.100
37	शंकर वल्द नन्नेमाई साकिन देह	भूमिस्वामी	223/2	0.720	0.720
38	हुकुम पिता पूरन साकिन मदनी	भूमिस्वामी	223/3	0.800	0.800
39	रामकली जोजे पल्लू साकिन देह	भूमिस्वामी	224	0.320	0.320
योग:-			54	58.120	41.920

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 83-अ-16-17-322

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मदनी जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी जलाशय निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकबे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं क्षेत्र का विकास होगा। मदनी जलाशय निर्माण निर्माण से करीब 370 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मदनी जलाशय निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : मदनी
 4. पट.ह.नं.- : 50
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 12.790 हे.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	गनेश वल्द जगन्नाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	213/1	0.550	0.070	
		भूमिस्वामी	219/1	0.480	0.210	
		भूमिस्वामी	224/1	0.170	0.050	
		भूमिस्वामी	223/1	0.150	0.150	
2	राजू राजकुमार पिता रामसींग, गायत्री पुत्री रामसींग, संतोषरानी देवा रामसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	213/2	1.210	0.090	
		भूमिस्वामी	224/2	0.170	0.050	
		भूमिस्वामी	223/2	0.150	0.150	
3	हकुम वल्द जगन्नाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	213/3	0.550	0.050	
		भूमिस्वामी	219/2	0.480	0.210	
		भूमिस्वामी	223/3	0.150	0.150	
		भूमिस्वामी	224/3	0.170	0.060	
4	प्रकाश वल्द महाराज सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	214/1	1.620	0.150	
5	यशवंत पिता तेजसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	218/1	0.480	0.200	
6	हीरासिंह पिता प्रहलाद सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	221/1	0.260	0.220	
		भूमिस्वामी	222/1	0.220	0.220	
		भूमिस्वामी	222/2	0.220	0.220	
		भूमिस्वामी	298/4	0.400	0.280	
7	संतोष सिंह, इन्द्राज सिंह पिता महेन्द्र सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	298/1	1.330	1.300	

8	खेमचंद, मूलचंद, संतोष, सुभाष, सुरेश पिता दरबारीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	298/2	3.380	0.500	
9	खेमचंद पिता दरबारीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	304	0.640	0.240	
10	जिनेन्द्र कुमार वल्द खेमचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	302	1.790	0.050	
		भूमिस्वामी	310	2.480	2.480	
		भूमिस्वामी	311	0.690	0.690	
11	श्री देव रघुनाथजी मुह. गोविन्ददास चेला लालदास साकिन बरमान प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	305	4.360	4.000	
		भूमिस्वामी	307	0.350	0.350	
12	निरंजन, गोविन्द पिता दयाशंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	286/1	0.320	0.210	
13	रघुराज पिता प्रेमसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	286/3	1.000	0.120	
14	देवी पिता कीरत सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	286/4	0.800	0.150	
15	जमना पिता कीरत साकिन देह	भूमिस्वामी	286/5	1.000	0.170	
योग:-			54	25.570	12.790	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 84-अ-16-17-321

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मदनी जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी जलाशय निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं क्षेत्र का विकास होगा। मदनी जलाशय निर्माण से करीब 370 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	मदनी जलाशय निर्माण हेतु
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	केसली
	3. ग्राम	:	किरकोटा
	4. पट.ह.नं.-	:	52
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	13.430 हे.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री देव रघुनाथजी मुह. गोविन्ददास चेला रामदास साकिन बरमान प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	126	22.250	11.640	
2	राजेश, कल्याण श्रीराम पिता उदयराम साकिन देह	भूमिस्वामी	127	1.940	0.170	
3	मदू भागचंद पिता महाराज सींग, सदारानी वेवा महाराजसींग, हरीराम वल्द मकुन्दी साकिन देह	भूमिस्वामी	128	2.160	1.620	
योग:-			03	26.350	13.430	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 50-अ-16-17-872

सागर, दिनांक 22 जनवरी 2018

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर को बण्डा-बरा-केरबना मार्ग के कि.मी. 4/6-8 में ग्राम चौका के पास बेवस नदी पर जलमगनीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण से आवागमन की सुविधा होगी एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा-बरा-केरबना मार्ग के कि.मी. 4/6-8 में ग्राम चौका के पास बेवस नदी पर जलमगनीय पुल एवं पहुंच मार्ग
- (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : बण्डा
 3. ग्राम : मुडिया
 4. पट.ह.नं.- : 50
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.120 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सुमेश पिता सुमेशचंद जैन साकिन बण्डा	भूमिस्वामी	423	1.980	0.120	
	योग-		01	1.980	0.120	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सागर संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

राजगढ़, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्रमांक.....419.../भू-अर्जन/2016-17 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक...../अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना जिला राजगढ़ के डूब क्षेत्र में आ रही गुना मक्सी रेल लाईन के मार्ग में आंशिक परिवर्तन हेतु ग्राम परसूलिया एवं माधोपुरा तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही गुना मक्सी रेल लाईन के मार्ग में आंशिक परिवर्तन हेतु प्रभावित भूमि

सं.क्र.	ग्राम का नाम	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर	प्रयोजन
1	2	3	4
1	परसूलिया	8.132	मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही गुना मक्सी रेल लाईन के मार्ग में आंशिक परिवर्तन हेतु
2	माधोपुरा	4.474	
कुलयोग :-		12.606	

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही गुना मक्सी रेल लाईन के मार्ग में आंशिक परिवर्तन हेतु प्रभावित भूमि

ग्राम :- परसूलिया

सं.क्र.	नाम कृषक पिता का नाम जाति ग्राम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	कुल प्रभावित भूमि हे. म.
1	2	3	4	5
1	आत्माराम पिता लाल्या, सोरमबाई पति आत्माराम जाति चमार नि.ग्राम भू.स्वामी	1/8	0.500	0.045
योग:-		1	0.500	0.045

2	लाल्या पिता छीता जाति चमार नि.ग्राम भू स्वामी	1/4	0.506 ✓	0.430
योग:-		1	0.506	0.430
3	लाल्या पिता छीता हि. 50 पै. देवचंद पिता छीता हि. 35 पै. गोकुल, बट्टीलाल, चतरु पिता उम्मेद, गजरी, रागली, सौरम पिता उम्मेद हि. 15 पै. जाति चमार रामचरण पिता चैना जाति दांगी नि.ग्राम भू स्वामी	1/3	1.264 ✓	0.200
योग:-		1	1.264	0.200
4	रामप्रसाद पिता सालगराम जाति दांगी नि.ग्राम भू स्वामी	1/2/4	1.265	0.035
योग:-		1	1.265	0.035
5	सौरमबाई पत्नि मांगीलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू स्वामी	1/2/2	1.175	0.405
योग:-		1	1.175	0.405
6	सिद्धलाल पिता जगन्नाथ जाति धोबी नि.ग्राम भू स्वामी	1/2/3	0.759 ✓	0.595
योग:-		1	0.759	0.595
7	रंगलाल पिता कालूराम, रामचरण पिता दयाराम, रामबाबू पिता रूगनाथ जाति दांगी नि.ग्राम भू स्वामी	553/13/1	1.121 ✓	0.110
योग:-		1	1.121	0.110
8	दुलीचंद पिता शम्भूदयाल जाति दांगी नि.ग्राम भू स्वामी	553/14/1	0.531 ✓	0.152
योग:-		1	0.531	0.152
9	रामचन्द्र पिता शम्भूदयाल जाति दांगी नि.ग्राम भू स्वामी	553/14/2	1.998	0.800
योग:-		1	1.998	0.800
10	छोटिया पिता प्यारा जाति भोई नि.ग्राम भू स्वामी	553/6	2.529 ✓	1.020
योग:-		1	2.529	1.020
11	भंवरलाल, हेमराज पिता ग्यारसीराम जाति भोई नि.ग्राम भू स्वामी	553/7/1	2.058	0.468
योग:-		1	2.058	0.468

12	सहीद खॉ, हमीद खॉ, सलीम खॉ, रईसा, फेमीदा, फिरोजा पिता उमर खॉ जाति फकीर नि.ग्राम भूस्वामी	553/10/1/1	0.970	0.538
	योग	1	0.970	0.538
13	मांगीलाल पिता कन्हैयालाल, सुगनबाई पति मांगीलाल जाति चमार नि.ग्राम भूस्वामी	553/1/12/1	0.670	0.380
	योग	1	0.670	0.380
14	कन्हैयालाल पिता धुला जाति चमार नि.ग्राम भूस्वामी	553/1/48/1	0.378	0.078
	योग	1	0.378	0.078
15	कन्हैयालाल पिता धुला, शैतानबाई पति कन्हैयालाल जाति चमार नि.ग्राम भूस्वामी	553/1/48/2	0.500	0.090
	योग	1	0.500	0.090
16	रमेश पिता भागीरथ, बसंतीबाई पति रमेश जाति बेलदार नि.ग्राम दुधी भूस्वामी	553/1/40	0.900	0.564
	योग	1	0.900	0.564
17	आत्माराम पिता भागीरथ जाति बेलदार नि. ग्राम दुधी भूस्वामी	553/1/39	0.900	0.560
	योग	1	0.900	0.560
18	भेरूसिंह पिता बापूलाल जाति बेलदार नि.ग्राम दुधी भूस्वामी	553/1/37	0.900	0.420
	योग	1	0.900	0.420
19	हिन्दुसिंह पिता बापूलाल, सुगनबाई पति हिन्दुसिंह जाति बेलदार नि.ग्राम दुधी भूस्वामी	553/1/36	0.900	0.140
	योग	1	0.900	0.140
20	हरिसिंह पिता उमरावसिंह, श्यामाबाई पति हरिसिंह जाति बेलदार नि.ग्राम दुधी भूस्वामी	553/1/35	0.650	0.140
	योग	1	0.650	0.140
21	गंगाराम पिता गणपत जाति बेलदार नि.ग्राम दुधी भूस्वामी	553/1/38	0.900	0.462
	योग	1	0.900	0.462
22	संतोष, संजु पिता कनीराम, ममता पुत्री कनीराम, रेशमबाई बैवा कनीराम जाति बेलदार नि.ग्राम दुधी भूस्वामी	553/1/51	1.000	0.500
	योग	1	1.000	0.500
	कुलयोग :-	22	22.374	8.132

ग्राम :- माधोपुरा				
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	कुल प्रभावित भूमि हे. में
1	2	3	4	5
1	रामनरेश पिता गोपीलाल जाति गाडरी नि. ग्राम समेली भूस्वामी	4/2	0.764	0.100
		4/3	0.189	0.050
		4/4	0.189	0.070
		4/5	0.190	0.090
		4/6	0.253	0.100
	योग	5	1.585	0.410
2	रामसिंह पिता पन्नालाल जाति राजपूत नि. ग्राम भूस्वामी	7/4	0.418	0.100
		योग	1	0.418
3	भंवरलाल, नारायणसिंह, फतेसिंह पिता बापूलाल, सम्पतबाई बेवा बापूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भूस्वामी	3/1/5/1	1.428	0.820
		योग	1	1.428
4	प्रेमसिंह पिता रायसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूस्वामी	3/1/1/1/1	0.314	0.314
		योग	1	0.314
5	विजयसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भूस्वामी	3/1/4/4	0.448	0.253
		योग	1	0.448
6	भंवरलाल पिता अनारसिंह, शिवनारायण पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भूस्वामी	91/1	0.324	0.075
		3/1/1/1/3	0.662	0.400
	योग	2	0.986	0.475
7	रोडजी पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूस्वामी	3/1/4/5	0.218	0.172
		योग	1	0.218
8	नाथूलाल, भूलीबाई पिता नरभेसिंह हि. 25 पै. भंवरलाल, नारायण, फतेसिंह पिता बापूलाल मु. सम्पतबाई बेवा बापूलाल हि. 25 पै. जाति सौंधिया रोडिया पिता भंवरलाल हि. 50 पै. जाति काछी नि.ग्राम भूस्वामी	77/90	0.025	0.025
		93/189	0.076	0.076
	योग	2	0.101	0.101

9	पार्वतीबाई पति बीरमसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भूस्वामी	90/1	0.040	0.040
		91/2	0.076	0.020
योग:-		2	0.116	0.060
10	होकमसिंह पिता रोडजी जाति काछी नि.ग्राम भूस्वामी	105/1/1/3	1.286	0.210
		योग:-		1
11	पर्वतसिंह पिता रोडजी जाति काछी नि.ग्राम भूस्वामी	105/1/1/2	0.767	0.080
		योग:-		1
12	गुलाबबाई पति जगन्नाथ जाति रुवाला नि.ग्राम भूस्वामी	107/1	0.215	0.009
		योग:-		1
13	विजयसिंह पिता देवजी जाति सौधिया नि.ग्राम भूस्वामी	10/2/1	0.115	0.115
		11/2/1	0.055	0.055
		11/1/1	0.055	0.055
		3/4/4	0.076	0.076
		योग:-		4
14	कुमेरसिंह पिता देवजी जाति सौधिया नि.ग्राम भूस्वामी	11/3/2	0.064	0.064
		11/2/3	0.063	0.053
		12/1/1	0.027	0.017
		12/2/1	0.050	0.050
		12/1/2	0.088	0.088
		12/2/2	0.097	0.097
		13/1/5	0.040	0.040
योग:-		7	0.429	0.409
15	हीरालाल पिता देवजी जाति सौधिया नि.ग्राम भूस्वामी	10/1/1	0.156	0.116
		10/2/2	0.075	0.075
		11/1/2	0.059	0.059
		11/2/2	0.110	0.110
		11/3/1	0.050	0.050
		13/1/1	0.017	0.017
		13/2	0.101	0.101
		3/5/3	0.117	0.117
योग:-		8	0.685	0.645
16	जगन्नाथ पिता देवजी जाति सौधिया नि.ग्राम भूस्वामी	12/1/3	0.100	0.060
		12/2/3	0.055	0.055
		योग:-		2
कुल योग:-		40	9.452	4.474

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावसा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए 482

राजगढ़, दिनांक 15 जनवरी 2018

चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - खेरखेड़ी		तहसील - सारंगपुर		जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर		
		कुल रकबा	अर्जित रकबा	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	56.991	43.439	
	योग	56.991	43.439	

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	देवीसिंह पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/1/1	0.396	0.300	
		172/1	0.193	0.100	
		173/2	0.030	0.010	
		14/2/2	0.573	0.573	
		191/1/2	0.005	0.003	
	योग		1.197	0.986	
2	देवीसिंह पिता कंवरलाल (भगतजी) जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/2	1.327	1.260	
		205	0.632	0.632	
		30/1/2	0.551	0.050	
	योग		2.510	1.942	
3	बाबूलाल पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/1/2	0.397	0.300	
		14/2/3	0.573	0.573	
		191/1/3	0.004	0.003	

	योग		0.974	0.876	
4	सुजनसिंह पिता सूरतसिंह जाति गुर्जर पता निवासी शामगीघाटा ग्राम भूमि स्वामी	209/1	0.512	0.100	
		212	0.632	0.190	
		14/3/1/3	0.500	0.200	
	योग		1.644	0.490	
5	बलराम पिता गंगाराम जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3/1/4	0.500	0.500	
	योग		0.500	0.500	
6	रुगनाथ पिता बाबरू जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3/1/5	0.500	0.500	
	योग		0.500	0.500	
7	रुकमणी बाई पति नारायणसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	17	0.557	0.557	
		93	0.784	0.784	पक्का कुआं-1 ट्यूबवेल-1
		94	0.190	0.190	
		95	0.392	0.392	
		96	0.063	0.063	
		97	0.455	0.455	
		194	0.582	0.582	
		195	1.151	1.151	
		196/1	0.443	0.400	
		196/2	0.316	0.316	
		197	0.759	0.759	
		198/1	0.873	0.873	
		198/2	0.379	0.379	
		199	0.493	0.493	
		191/4	0.177	0.142	
		191/5	0.038	0.025	
		योग		8.968	8.564
8	देवीसिंह पिता मांगीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी निवासी देवीपुरा	18/1/1	1.012	1.012	
	योग		1.012	1.012	
9	पीरूलाल, मांगीलाल पिता बापू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/1/2	0.780	0.760	
		18/2/1	0.720	0.570	
	योग		1.500	1.330	

10	बालूसिंह प्रहलादसिंह द.पु. गोरधनलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/1/3	0.863	0.772	
	योग		0.863	0.772	
11	देवीसिंह पिता हरलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/2/2	1.012	0.712	
		14/3/1/8	0.500	0.500	
	योग		1.512	1.212	
12	अमर सिंह पिता धूला जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/2/3	1.112	0.787	
		योग		1.112	0.787
13	सावनबाई पति सुंदरलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/2/2	0.481	0.200	
		योग		0.481	0.200
14	लक्ष्मणसिंह नरभैसिंह रामचंद्र सत्यनारायण पिता कवरलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	31/2	0.364	0.025	
		123/2	0.095	0.020	
		269/2	0.107	0.022	
		92/2	0.299	0.299	
		191/6/2	0.003	0.002	
		226/2	0.013	0.013	
		227/1/2	0.003	0.003	
		90/2/2	0.490	0.490	
	132/1/2	0.120	0.020		
योग		1.494	0.894		
15	सौरमबाई पति लक्ष्मण सिंह सौरमबाई पति नरभैसिंह सुगनबाई पति रामचंद्र कौशल्याबाई पति सत्यनारायण जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	88	0.455	0.040	
		89/1	0.916	0.298	
	योग		1.371	0.338	
16	जयनारायण पिता रामलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	90/1/1	0.618	0.580	पक्का कुआं-1
		90/2/1	0.490	0.490	
		89/2	0.298	0.298	
	योग		1.406	1.368	
17	सोहनबाई पुत्री हीरालाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	90/1/2	0.913	0.913	
		90/2/3	0.490	0.490	
	योग		1.403	1.403	
	कालूसिंह पिता हीरालाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	90/2/4	0.490	0.490	
		92/4	0.128	0.128	

18		123/4	0.095	0.010	
		191/6/4	0.003	0.002	
		226/4	0.013	0.011	
		227/1/4	0.004	0.004	
		136/1/4	0.234	0.234	
	योग		0.967	0.879	
19	हरिओम रामबाबू मायाबाई ममताबाई नाबा पिता रामप्रसाद सरपरस्त काका दूलेसिंह पिता उमरावसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	106	0.139	0.080	
	योग		0.139	0.080	
20	पीरूलाल मांगीलाल पिता बापूलाल अमरसिंह अनारबाई पिता कन्हैयालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	107	0.278	0.240	
	योग		0.278	0.240	
21	बद्रीलाल पिता पूरालाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	108	0.164	0.135	
		102	0.114	0.025	
	योग		0.278	0.160	
22	रामलाल पिता रतनलाल मु. रूकमाबाई बेवा रतनलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123/1	0.094	0.035	
		269/1	0.107	0.022	
		92/1	0.300	0.300	
	योग		0.501	0.357	
23	रवि पिता गोपीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	125	0.354	0.140	
		127/1	0.013	0.010	
		127/2	0.291	0.291	
	योग		0.658	0.441	
24	भवरलाल रोडजी चन्दीबाई पिता धूलाजी जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	129/1	0.177	0.177	
		129/2/2	0.012	0.010	
		130/2	0.059	0.050	
		131/1/2	0.398	0.140	
	योग		0.646	0.377	
25	श्रीराम पिता गोकूल सिंह जाति अहीर, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	129/2/1	0.013	0.010	
		130/1	0.030	0.020	

		131/1/1	0.336	0.080	
	योग		0.379	0.110	
26	रोड़सिंह पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	173/1	0.223	0.223	
		14/1/3	0.396	0.300	
		14/2/1	0.574	0.574	
		191/1/1	0.004	0.003	
	योग		1.197	1.100	
27	पार्वतीबाई पति कैलाश जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	176/1	0.030	0.030	
	योग		0.030	0.030	
28	कालुसिंह पिता दयाराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/2	0.101	0.101	
		176/2	0.011	0.011	
		177/2/2	0.058	0.020	
	योग		0.170	0.132	
29	बनेसिंह पिता दयाराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	177/2/1	0.058	0.020	
		295/1/3	0.139	0.070	
		295/2/3	0.097	0.020	
	योग		0.294	0.110	
30	चंदर सिंह भैरूसिंह करणसिंह भागीरथ पिता मांगु लीलाबाई पुत्री मांगू जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	177/3	0.116	0.020	
	योग		0.116	0.020	
31	मांगीलाल पिता जालूराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	177/5	0.116	0.020	
	योग		0.116	0.020	
32	मांगीलाल दत्तक पुत्र माधोलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	177/6	0.116	0.020	
		41/2	0.773	0.250	
	योग		0.889	0.270	
33	दिनेश पिता बाबूलाल जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	191/2/1	0.038	0.018	
		224/1	0.053	0.020	
	योग		0.091	0.038	
34	भेरूलाल पिता गोरीलाल माता रूकमाबाई हरिसिंह पिता रतनलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	207	0.885	0.215	
		208/4	0.025	0.025	
		206	0.885	0.885	
		208/3	0.076	0.076	
		202/3	0.063	0.063	

	योग		1.934	1.264	
35	नारायण सिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200	0.114	0.114	
		204	0.987	0.987	
		25/1	1.328	1.125	पक्का कुआं-1
	योग		2.429	2.226	
36	रामलाल चैनसिंह पिता लाल सिंह महेश पिता लाल सिंह कमलाबाई बेवा लाल सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	201/1/1	0.505	0.505	
		201/2/1	0.124	0.124	
		202/1	0.734	0.734	
	योग		1.363	1.363	
37	मांगीलाल पिता धुला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	201/1/2	0.545	0.545	
		201/2/2	0.344	0.344	
		203	0.569	0.569	
	योग		1.458	1.458	
38	गंगाराम पिता धूला जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	202/2	1.442	1.442	
	योग		1.442	1.442	
39	देवबाई पति बलराम गोविन्द राजेश ना. बा. पिता बलराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	210	1.088	0.300	पक्का कुआं-1
		191/2/2	0.038	0.027	
	योग		1.126	0.327	
40	करण सिंह पिता मांगीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	269/3	0.108	0.021	
		92/3	0.095	0.095	
		208/1	0.253	0.120	
	योग		0.456	0.236	
41	बद्रीलाल पिता बाबरू जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3/1/6	0.500	0.500	
	योग		0.500	0.500	
42	किशनलाल पिता बदाजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3/2	1.506	1.000	
	योग		1.506	1.000	
43	सजनबाई पिता हिरालाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3/1/14	0.500	0.500	
	योग		0.500	0.500	
44	गोकुलसिंह पिता शिवलाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131/2	0.253	0.253	
	योग		0.253	0.253	

45	राधेश्याम प्रहलाद जगदीश सोरम बाई पिता पीरू सिद्धीबाई बेवा पीरूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	177/4	0.116	0.080	
	योग		0.116	0.080	
46	पार्वती बाई पिता कैलाश जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1	0.101	0.030	
	योग		0.101	0.030	
47	नारायण सिंह पिता भवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	209/2	0.513	0.100	
	योग		0.513	0.100	
48	कमलाबाई पति प्रभूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	41/5	0.546	0.020	
	योग		0.546	0.020	
49	पवन पिता देवीसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	295/1/1	0.139	0.010	
	योग		0.139	0.010	
50	देवीसिंह पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	166/3	0.029	0.010	
	योग		0.029	0.010	
51	देवीसिंह रोडसिंह बाबलाल पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	164/2	0.012	0.012	
	योग		0.012	0.012	
52	रामप्रसादबाई पति शिवलाल कृष्णाबाई पति कालुसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि	133/1	0.202	0.020	
	योग		0.202	0.020	
53	नारायणसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/1/1	0.550	0.050	
	योग		0.550	0.050	
54	मानसिंह लालसिंह चैनसिंह पिता दर्यावसिंह कमलाबाई पति दर्यावसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/2/1	0.620	0.200	
	योग		0.620	0.200	
55	देवचन्द्र पिता गोपी जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3/1/9	0.500	0.300	
	योग		0.500	0.300	
56	नारायण पिता गोपी जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3/1/10	0.500	0.400	
	योग		0.500	0.400	

57	कालु पिता गोपी जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3/1/11	0.500	0.400	
	योग		0.500	0.400	
58	धर्मेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता दगल्या तहसील खिलचीपुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3/1/1	2.000	2.000	
	योग		2.000	2.000	
59	पन्नाबाई पिता रायसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3/1/7	0.500	0.500	
	योग		0.500	0.500	
60	धुलजी पिता पीरु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3/1/12	0.500	0.500	
	योग		0.500	0.500	
61	मानुबाई पिता दयाराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3/1/15	0.500	0.150	
	योग		0.500	0.150	
62	गोरधनसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3/1/2	0.500	0.300	
	योग		0.500	0.300	
63	गोकुल पिता गोपी जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3/1/13	0.500	0.250	
	योग		0.500	0.250	
योग			56.991	43.439	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्रमांक 483 /भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम समेली के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम समेली

स.क्र.	विवरण	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
1	समेली	73.575
कुलयोग :-		73.575

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम समेली

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	कालूराम पिता बद्रीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	43/2 44/1 123/2 9/1 158/2 124/1	0.675 0.194 0.106 0.265 0.025 0.143	0.675 0.194 0.106 0.265 0.025 0.143
	योग	6	1.408	1.408
2	मांगीलाल पिता गंगाराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	8/2	0.076	0.076
	योग	1	0.076	0.076
3	रमेश पिता भंवरलाल जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी	347/1 336/1/3 336/2/3 346/1/2/3	0.244 0.129 0.101 0.043	0.244 0.129 0.101 0.043
	योग	4	0.517	0.517
4	प्रभूलाल पिता बदा जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी	13/2 230/8/2	0.042 0.038	0.042 0.038
	योग	2	0.080	0.080

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
5	मोहन, डालूराम, गोविन्दा पिता रामचरण, रामकुंवरबाई बेवा रामचरण जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	21/1	0.267	0.267
	योग	1	0.267	0.267
6	देवीलाल पिता नन्दराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	36/1	0.031	0.031
	योग	1	0.031	0.031
7	नारायणसिंह पिता नन्दराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	36/4	0.030	0.030
	योग	1	0.030	0.030
8	छोगमल पिता नन्दराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	36/2	0.030	0.030
		307/2	0.020	0.020
		229/2	0.023	0.023
		155/2	0.018	0.018
	योग	4	0.091	0.091
9	गोरीलाल पिता नन्दराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	36/3	0.030	0.030
	योग	1	0.030	0.030
10	दुदारसिंह पिता नन्दराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	36/5	0.031	0.031
	योग	1	0.031	0.031
11	राधेश्याम पिता शम्भूलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	46	1.164	1.164
		322/1	0.691	0.691
	योग	2	1.855	1.855
12	घीसालाल पिता बापूलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	47/2/2 ✓	0.005	0.005
		339/2/1	0.131	0.131
		247/2/1	0.012	0.012
	योग	3	0.148	0.148
13	जगन्नाथ पिता कन्हैयालाल जाति सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी	88/1 ✓	0.010	0.010
		230/5/2	0.063	0.063
	योग	2	0.073	0.073
14	शंकरलाल पिता भागमल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	92/3	0.177	0.177
		230/6/3	0.269	0.269
		322/3	0.345	0.345
	योग	3	0.791	0.791
15	भंवरलाल पिता बिहारीलाल, तुलसीबाई बेवा बिहारीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	95/3	0.109	0.109
		230/6/6	0.270	0.270
		322/6	0.232	0.232
	योग	3	0.611	0.611

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
16	जगदीश, देवजी पिता शिवनारायण जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी	96/1/2	0.044	0.044
	योग	1	0.044	0.044
17	नानूबाई बेवा प्यारजी जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	111 ✓	0.493	0.493
	योग	1	0.493	0.493
18	राधेश्याम पिता मुन्नालाल, उमरावबाई बेवा मुन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	127	0.089	0.089
	योग	1	0.089	0.089
19	बलराम, कमल, रामकिशन, धनसिंह पिता घीसालाल, अनोखबाई बेवा घीसालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	130	0.006	0.006
	योग	1	0.006	0.006
20	प्रेमसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	165	0.126	0.126
	योग	1	0.126	0.126
21	भंवरलाल पिता कन्हैयालाल जाति सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी	167/1 230/5/3	0.063 0.063	0.063 0.063
	योग	2	0.126	0.126
22	भेरू पिता रामचरण जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी	345/1 ✓ 347/3 ✓	0.379 0.127	0.379 0.127
	योग	2	0.506	0.506
23	शम्भूलालू पिता भागमल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	167/2/1 270/4 348/1 349/1 376/2/1	0.038 0.027 0.206 0.038 0.031	0.038 0.027 0.206 0.038 0.031
	योग	5	0.340	0.340
24	नारायण पिता भागमल, झमकूबाई बेवा भागमल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	167/2/2 270/1 270/2 348/2 376/2/2	0.038 0.190 0.070 0.206 0.031	0.038 0.190 0.070 0.206 0.031
	योग	5	0.535	0.535
25	शम्भूलाल पिता मेहताब जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	167/3 301/4/2	0.013 1.897	0.013 1.897
	योग	2	1.910	1.910
26	मोतीलाल पिता बदा जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	168/1	0.120	0.120
	योग	1	0.120	0.120

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
27	नाथूलाल पिता हजारीलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	178/1 211/2/1 227/1/1 243/1 306/2/4/1 360/5/1 376/3/3/1 382/5/3/1 301/2/3/1 301/1/3/1	0.003 0.034 0.013 0.016 0.087 0.094 0.076 0.088 0.253 0.164	0.003 0.034 0.013 0.016 0.087 0.094 0.076 0.088 0.253 0.164
	योग	10	0.828	0.828
28	श्यामाबाई बेवा बद्रीलाल, दीपक, ग्यारसीबाई ना.बा. पिता बद्रीलाल सर.माता श्यामाबाई जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	178/4 211/2/4 227/1/4 243/4 376/3/3/4 301/2/3/4 306/2/4/4 360/5/4 382/5/3/4 301/1/3/4	0.003 0.034 0.013 0.015 0.075 0.253 0.086 0.094 0.089 0.165	0.003 0.034 0.013 0.015 0.075 0.253 0.086 0.094 0.089 0.165
	योग	10	0.827	0.827
29	बापूलाल पिता दोला जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	206/1 301/1/5 382/5/5 376/3/5	0.136 0.658 0.354 0.304	0.136 0.658 0.354 0.304
	योग	4	1.452	1.452
30	देवचन्द्र पिता भूरा जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	209/1 230/3/1	0.143 0.021	0.143 0.021
	योग	2	0.164	0.164
31	कालूराम पिता मुन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	209/2 230/3/2	0.143 0.021	0.143 0.021
	योग	2	0.164	0.164
32	छगनलाल पिता पन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	209/3 230/3/3 335/2/1	0.072 0.011 0.506	0.072 0.011 0.506
	योग	3	0.589	0.589
33	गणपतलाल पिता पन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	209/4 230/3/4 335/2/2	0.072 0.010 0.506	0.072 0.010 0.506
	योग	3	0.588	0.588

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
34	सम्पतबाई, वसन्त बाई पिता गोपीलाल, बापूलाल पिता गोपीलाल जात सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी	230/2	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
35	गंगाप्रसाद पिता मदनलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	230/4	0.089	0.089
	योग	1	0.089	0.089
36	भारतसिंह पिता कन्हैयालाल जाति सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी	230/5/1	0.064	0.064
	योग	1	0.064	0.064
37	सुन्दरबाई बेवा शम्भूलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	230/6/1	0.674	0.674
	योग	1	0.674	0.674
38	गोरेलाल पिता भागमल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	230/6/2	0.270	0.270
		322/2	0.346	0.346
	योग	2	0.616	0.616
39	प्रेमबाई बेवा देवचन्द, भंवरलाल, बनेसिंह, हरिनारायण पिता देवचन्द जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	230/6/4	0.270	0.270
		322/4	0.232	0.232
	योग	2	0.502	0.502
40	देवबाई बेवा रतिराम, पर्वतसिंह पिता रतिराम, लीलाबाई, पवनबाई पिता रतिराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	230/6/5	0.270	0.270
		322/5	0.232	0.232
	योग	2	0.502	0.502
41	भागीरथ पिता बदा जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी	230/8/1	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
42	केलाशचन्द, रामचन्द्र, बिट्ठल पिता अमरसिंह, जानीबाई बेवा अमरसिंह जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी	230/8/3	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
43	नारायणसिंह पिता बदाजी जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी	230/8/4	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
44	केलाश, अनारसिंह पिता मांगीलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	230/16	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
45	बनेसिंह, बलदेव, उमरावबाई पिता पन्ना, शिव पिता गोपीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	301/3/1	1.012	1.012
		335/10/1	0.126	0.126
	योग	2	1.138	1.138
46	बनेसिंह, बलदेव पिता पन्नालाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	382/6/2	0.506	0.506
	योग	1	0.506	0.506

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
47	लक्ष्मीनारायण पिता मुन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	253	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
48	रामप्रसाद, रामनारायण, कमलसिंह पिता अमान, जड़ावबाई बेवा अमान जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	309/2/2 376/1/1	0.422 0.759	0.211 0.759
	योग	2	1.181	0.970
49	लक्ष्मीनारायण पिता चेना जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	309/2/3 354/2	0.421 0.734	0.211 0.734
	योग	2	1.155	0.945
50	अमरसिंह पिता बापूलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	362/2	0.232	0.232
	योग	1	0.232	0.232
51	मांगीलाल पिता अमरा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	376/4/1	0.085	0.085
	योग	1	0.085	0.085
52	देवसिंह पिता अमरा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	376/4/2	0.084	0.084
	योग	1	0.084	0.084
53	धापू बाई बेवा देवा, बजेसिंह, भारत पिता देवा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	276/3 ✓ 355/3 376/4/3	0.008 0.013 0.084	0.008 0.013 0.084
	योग	3	0.105	0.105
54	रामचरण पिता भंवरलाल जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी	336/1/1 336/2/1 346/1/2/1	0.129 0.101 0.043	0.129 0.101 0.043
	योग	3	0.273	0.273
55	गंगाप्रसाद पिता मदनलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	230/32	0.461	0.461
	योग	1	0.461	0.461
56	हरिसिंह पिता हजारीलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	243/2 301/1/3/2 382/5/3/2 376/3/3/2 308/1/5/2 ✓ 360/5/2	0.016 0.164 0.088 0.076 0.157 ✓ 0.094	0.016 0.164 0.088 0.076 0.100 0.094
	योग	6	0.595	0.538
57	रमेश पिता भागमल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	245/2 270/5 348/4 ✓ 376/2/4	0.001 0.027 0.027 0.032	0.001 0.027 0.027 0.032
	योग	4	0.087	0.087

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
58	रमेश पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	247/2/2	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013
59	अमरसिंह पिता मेहताब जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	250/2/1	0.024	0.024
		301/4/1	1.897	1.897
		252/2/1	0.256	0.003
	योग	3	2.177	1.924
60	गंगाबाई पुत्री सालगराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	254/1/1	0.027	0.027
	योग	1	0.027	0.027
61	प्रेमनारायण पिता मुन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	268/1/1/1	0.519	0.519
		300/4/1/2	0.582	0.582
	योग	2	1.101	1.101
62	सोरमबाई पति जगदीश जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	268/1/2/1	0.076	0.076
	योग	1	0.076	0.076
63	कुमेरसिंह, रामनारायण, रोडजी, प्रेमसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम टाण्डी भू-स्वामी	285/1	2.700	2.700
	योग	1	2.700	2.700
64	बिहारीलाल, लक्ष्मीनारायण पिता मुन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	299/1	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
65	छोगमल पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	300/3	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379
66	छोगमल, बनेसिंह पिता मांगीलाल, शैतानबाई बेवा मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	300/4/1/1	0.848	0.848
	योग	1	0.848	0.848
67	पवन, होकम, संतोष पिता कालू, सावित्री बेवा कालू जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	300/4/2	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
68	बलरामसिंह पिता प्रभूलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	301/1/1/1	0.219	0.219
		382/5/1/1	0.118	0.118
		376/3/1/1	0.101	0.101
	योग	3	0.438	0.438
69	जसवंतसिंह पिता प्रभूलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	382/5/1/2	0.118	0.118
	योग	1	0.118	0.118
70	जगदीश पिता प्रभूलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	382/5/1/3	0.118	0.118
	योग	1	0.118	0.118
71	शिवलाल पिता किशनलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	360/3	0.188	0.188
	योग	1	0.188	0.188

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
72	केशरसिंह पिता हजारीलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	301/1/3/3 306/2/4/3 312/7/2 376/3/3/3 306/2/4/2/1✓	0.165 0.087 1.013 0.076 0.040	0.165 0.087 0.253 0.076 0.040
	योग	5	1.381	0.621
73	पूनमचन्द पिता लक्ष्मण जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	301/1/4/1	0.329	0.329
	योग	1	0.329	0.329
74	रामकुंवर बेवा कमलसिंह, राहुल, पवन ना.बा.पिता कमलसिंह स.प.माता रामकुंवर जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	301/1/4/2 301/2/4/2 306/2/3/2 308/1/4/2	0.329 0.506 0.100 0.174	0.329 0.506 0.100 0.100
	योग	4	1.109	1.035
75	देवचन्द पिता किशनलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	301/1/6	0.329	0.329
	योग	1	0.329	0.329
76	शिव पिता गोपीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	301/3/2 335/10/2	1.011 0.127	1.011 0.127
	योग	2	1.138	1.138
77	राधेश्याम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	301/6/3 66/3/1 72/4	1.687 0.061 0.321	1.687 0.061 0.201
	योग	3	2.069	1.949
78	देवसिंह पिता मांगीलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	301/7/1	1.517	1.517
	योग	1	1.517	1.517
79	कमलाबाई बेवा मांगीलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	301/7/2	1.518	1.518
	योग	1	1.518	1.518
80	मांगीलाल, अमृतलाल, छगनलाल पिता गंगाराम, रूकमणीबाई बेवा गंगाराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	301/10 72/2/1	1.770 0.160	1.770 0.160
	योग	2	1.930	1.930
81	राधेश्याम पिता बापूलाल, गोराबाई बेवा बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	301/12 ✓	1.644	0.767
	योग	1	1.644	0.767
82	प्रभूलाल पिता प्यारजी, अमृतलाल पिता गंगाराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	301/13/1	1.126	1.126
	योग	1	1.126	1.126
83	अमृतलाल पिता सालगराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	301/15/2	0.759	0.759
	योग	1	0.759	0.759

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
84	प्रभूलाल, अमरसिंह पिता प्यारजी, सरदारबाई बेवा प्यारजी, छम्माबाई, सोरमबाई पिता प्यारजी जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	66/2/1 72/3/1 346/1/1	0.136 0.210 0.430	0.136 0.210 0.430
	योग	3	0.776	0.776
85	रोड़ीबाई बेवा लक्ष्मण जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	376/3/4	0.304	0.304
	योग	1	0.304	0.304
86	जगन्नाथ पिता मेहताब जाति सौंधिया नि.ग्राम माधोपुरा तहसील ब्यावरा	308/2/1	0.799	0.304
	योग	1	0.799	0.304
87	राजेन्द्रसिंह पिता दुर्गासिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	309/1/1/1	0.126	0.126
	योग	1	0.126	0.126
88	लतासिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	309/1/1/2	0.300	0.300
	योग	1	0.300	0.300
89	कु.नेहा पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	309/1/2	0.426	0.426
	योग	1	0.426	0.426
90	कोदर पिता हीरा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	309/2/1	0.422	0.422
	योग	1	0.422	0.422
91	गुलाब पिता तख्तराम जाति भानमता नि.ग्राम दूदी तहसील ब्यावरा भू-स्वामी	312/2/1	0.085	0.085
	योग	1	0.085	0.085
92	सीताराम पिता वेगमलाल जाति भानमता नि.ग्राम दूदी तहसील ब्यावरा भू-स्वामी	312/4	3.794	3.316
	योग	1	3.794	3.316
93	छगनलाल पिता गोपीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	312/5	1.265	1.265
	योग	1	1.265	1.265
94	जगदीश, देवजी पिता शिवनारायण जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी	312/6/1	1.012	1.012
	योग	1	1.012	1.012
95	अंगूरसिंह, लहरसिंह पिता गुलाबसिंह, सुनील पिता रोशनलाल जाति भानमता नि.ग्राम दूदी तहसील ब्यावरा भू-स्वामी	312/7/1	1.012	1.012
	योग	1	1.012	1.012
96	विजयसिंह पिता गोपीलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	335/11/3 335/12/5	0.190 0.095	0.190 0.095
	योग	2	0.285	0.285

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
97	रामनरेश पिता गोपीलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	335/1/4 335/3/4 335/6/4 335/11/4 335/12/6 357/4 335/9/4	0.633 0.189 0.253 0.189 0.094 0.155 0.238	0.633 0.189 0.253 0.189 0.094 0.155 0.238
	योग	7	1.751	1.751
98	गुलाब, कालू, सीताराम, रामकृष्ण पिता बेगमलाल जाति भानमता नि.ग्राम दूदी तहसील ब्यावरा भू-स्वामी	316/4/2 316/5/2	0.955 2.199	0.955 1.199
	योग	2	3.154	2.154
99	बिहारीलाल, लक्ष्मीनारायण पिता मुन्नालाल, तुलसीबाई बेवा मुन्नीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	331/1	0.500	0.500
	योग	1	0.500	0.500
100	देवबाई पिता छोटिया जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	335/4 335/5	0.379 0.316	0.379 0.316
	योग	2	0.695	0.695
101	प्रेमनारायण पिता गोपीलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	335/11/1 335/12/3	0.190 0.095	0.190 0.095
	योग	2	0.285	0.285
102	बद्रीलाल पिता गोपीलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	335/11/2 335/12/4	0.190 0.095	0.190 0.095
	योग	2	0.285	0.285
103	शंकरलाल पिता भवरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	338/3	0.558	0.558
	योग	1	0.558	0.558
104	रमेश पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	339/2/2	0.130	0.130
	योग	1	0.130	0.130
105	अमृत पिता किशन जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	59/3/9	1.167	1.167
	योग	1	1.167	1.167
106	घीसीबाई बेवा किशनलाल, मांगीबाई पिता किशनलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	376/3/2	0.303	0.303
	योग	1	0.303	0.303
107	गोमतीबाई बेवा राजाराम, बादामसिंह, जगदीश पिता ज्ञानसिंह जाति भानमता नि.ग्राम दूदी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़	379/1	0.670	0.038
	योग	1	0.670	0.038
108	गुलाबसिंह पिता बेगमलाल जाति भानमता नि.ग्राम दूदी तहसील ब्यावरा भू-स्वामी	382/3	3.035	3.035
	योग	1	3.035	3.035

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
109	शिवनारायण पिता गोपीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	382/6/1	0.506	0.494
	योग	1	0.506	0.494
110	प्रभूलाल पिता सोजीराम, रमकूबाई बेवा सोजीराम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	229/384/1 229/384/2	0.063 0.417	0.063 0.417
	योग	2	0.480	0.480
111	सम्पत बाई बेवा करनसिंह, इन्दर सिंह, बाबूलाल, भारतसिंह पिता करनसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम टांडी भू-स्वामी	67/1 69/1	0.208 1.140	0.208 1.140
	योग	2	1.348	1.348
112	छोगमल पिता नन्दराम, धापू बाई बेवा नन्दराम जाति रुवाला पता नि. ग्राम भू-स्वामी	154/2	0.012	0.012
	योग	1	0.012	0.012
113	मांगीलाल, करनसिंह पिता धूलजी, शैतान, रतन, द्रोपती, सुन्दर, भूली, केशर, वल्लभ, प्रेम पुत्रियां धूलजी, गेंदीबाई, मेहताब बाई बेवा धूलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	70	0.089	0.089
	योग	1	0.089	0.089
114	कालूराम पिता बद्रीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	162/2	0.030	0.030
	योग	1	0.030	0.030
115	मोहनलाल पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	374/1/3	0.161	0.161
	योग	1	0.161	0.161
116	जगदीश पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	374/1/4	0.161	0.161
	योग	1	0.161	0.161
117	बाबू पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	374/1/5 351/1/5	0.161 0.098	0.161 0.098
	योग	2	0.259	0.259
118	हरिसिंह पिता भंवरलाल जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी	336/1/2 336/2/2 346/1/2/2	0.129 0.102 0.043	0.129 0.102 0.043
	योग	3	0.274	0.274
119	छगनलाल पिता भंवरलाल जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी	336/1/4 336/2/4 346/1/2/4 347/4	0.129 0.101 0.043 0.244	0.129 0.101 0.043 0.244
	योग	4	0.517	0.517
120	कमल पिता भंवरलाल जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी	336/1/5 336/2/5 346/1/2/5 347/2	0.129 0.101 0.043 0.245	0.129 0.101 0.043 0.245
	योग	4	0.518	0.518

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
121	रतिराम पिता गणेश जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	78/4/15	0.500	0.250
	योग	1	0.500	0.250
122	मदन पिता धूलजी जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	78/4/7	0.400	0.320
	योग	1	0.400	0.320
123	मोहन पिता रामचरण जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	78/4/2	0.518	0.518
	योग	1	0.518	0.518
124	भेरूसिंह पिता रोड़जी जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	78/4/3	0.500	0.350
	योग	1	0.500	0.350
125	जगदीश पिता मोतीलाल जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	78/4/4	0.500	0.060
	योग	1	0.500	0.060
126	शंकर पिता गंगाराम जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	59/4/3/1	0.810	0.224
	योग	1	0.810	0.224
127	गोवर्धन पिता गंगाराम जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	59/3/7	0.500	0.480
	योग	1	0.500	0.480
128	रामगोपाल पिता नारायण जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	59/3/8	1.247	1.247
	योग	1	1.247	1.247
129	सम्पतबाई पति शिवसिंह जाति साँधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	78/3	0.759	0.320
	योग	1	0.759	0.320
	कुलयोग :-	245	80.719	73.575

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए. 590

राजगढ़, दिनांक 16 जनवरी 2018

चूँकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया बंध परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ की ग्राम शामगीघाटा के लिये डूब में शोष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कर्मांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1)

ग्राम - शामगीघाटा		तहसील - सारंगपुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बंध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	107.104	49.215
	योग	107.104	49.215

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बंध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाइल न.	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5	6
1	कैलाश आ. मादू जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		2 ✓	0.240	0.240
			3 ✓	0.392	0.392
			4/1 ✓	0.645	0.645
	योग		1.277	1.277	
2	किशन मांगू रमेश पिता रुगनाथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9754351164	4/2	0.341	0.341
			7/2	0.885	0.885
			5/1	0.038	0.038
	योग		1.264	1.264	
3	किशन मांगू रमेश पिता रुगनाथ सुरजबाई बेवा रुगनाथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9754351164	7/1	1.569	0.310
			योग	1.569	0.310
4	हरि केशर पिता घीसा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8889197040	4/3 ✓	0.633	0.633
			5/2 ✓	2.681	1.881
	योग		3.314	2.514	

5	मदनलाल पिता पन्नालाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7697955889	6 ✓	0.139	0.139
	योग			0.139	0.139
6	कंचनबाई पिता मांगीलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9165024547	18 ✓	0.291	0.060
			21/1 ✓	0.051	0.051
	योग			0.342	0.111
7	दोलतसिंह पिता धुल जी नन्दकिशोर रमेशचन्द्र राजकुंवर कैलाशबाई प्रेमबाई तेजकुंवर गुडडीबाई पिता टेकसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9617449511	21/3 ✓	0.089	0.089
			24 ✓	1.075	0.025
			25 ✓	0.215	0.215
	योग			1.379	0.329
8	देवसिंह पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8964900743	27/2 ✓	1.786	0.400
	योग			1.786	0.400
9	कैलाश पिता मांग्या जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8964058730	27/3 ✓	0.100	0.100
	योग			0.100	0.100
10	भागीरथ पिता मांग्या जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7440562270	27/4 ✓	0.100	0.100
	योग			0.100	0.100
11	दिनेश बहादूरसिंह पिता उमरावसिंह भूरीबाई बेवा उमरावसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	27/5 ✓	0.100	0.100
	योग			0.100	0.100
12	भगवानसिंह आ रूपसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7771805530	28/1/1 ✓	0.253	0.253
			29/2 ✓	0.475	0.475
			28/1/4 ✓	0.126	0.126
	योग			0.854	0.854
13	भेरूसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8959092332	28/1/2 ✓	0.759	0.759
	योग			0.759	0.759
14	सचिनकुमार पिता बंशीलाल जाति महाजन पता निवासी ग्राम मक्सी भूमि	9826907535	28/1/3 ✓	0.379	0.379
			29/1 ✓	0.474	0.474
	योग			0.853	0.853
15	मुन्नीदेवी पति बंशीलाल जाति अग्रवाल पता निवासी ग्राम मक्सी भूमि स्वामी		28/1/5 ✓	1.265	1.265
	योग			1.265	1.265

16	श्यामसुन्दर पिता शिवनारायण जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9669022359	28/1/6/1/1	1.233	1.233
	योग			1.233	1.233
17	सोनू अग्रवाल पिता बंशीलाल अग्रवाल जाति महाजन पता निवासी ग्राम मक्की भूमि स्वामी		29/4 ✓	0.746	0.746
			29/5 ✓	0.676	0.676
	योग			1.422	1.422
18	दिनेश बहादुर पिता उमराव सिंह भूरी बाई वि. उमरावसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	30/5 ✓	1.000	0.437
	योग			1.000	0.437
19	भागीरथ पिता मांग्या जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		30/4 ✓	1.000	0.438
	योग			1.000	0.438
20	कैलाश पिता मांग्या जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		30/3 ✓	1.000	0.438
	योग			1.000	0.438
21	माधु पिता पूरा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		30/2 ✓	1.000	0.437
	योग			1.000	0.437
22	गुलाबसिंह पिता जयनारायण जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8720817473	32/1/1/1 ✓	1.051	0.980
	योग			1.051	0.980
23	लोमससिंह पिता जयनारायण जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8720817473	32/1/1/2 ✓	1.051	0.980
	योग			1.051	0.980
24	कमलसिंह पिता जयनारायण जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8720817473	32/1/1/3 ✓	1.053	0.983
	योग			1.053	0.983
25	जुझारसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8720817473	32/1/2 ✓	2.409	2.400
			32/2 ✓	0.076	0.076
			33 ✓	0.595	0.044

			142/2/2	0.850	0.075
	योग			3.930	2.595
26	गोपाल राधेश्याम शंकर पिता गंगाराम जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	31/1/1 ✓	0.265	0.100
	34/1/1 ✓		0.215	0.125	
	योग			0.480	0.225
27	नारायण सिंह पिता देवा जी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9617629638	31/1/2 ✓	0.266	0.100
	34/1/2 ✓		0.215	0.125	
	योग			0.481	0.225
28	मांगीलाल पिता देवीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	45/1 ✓	1.300	0.140
	178/2/3		0.041	0.015	
	योग			1.341	0.155
29	बनेसिंह पिता देवीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7772005025	45/2 ✓	1.300	0.140
	योग				1.300
30	बाबूलाल पिता देवीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8959465871	45/3 ✓	1.300	0.140
	योग				1.300
	बापूलाल पिता देवीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		178/2/2	0.041	0.015
	योग				0.041
31	पूरया पिता रामा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9009193459	45/5 ✓	1.100	0.060
	योग				1.100
32	सिद्धनाथ लक्ष्मीनारायण नन्दकिशोर मांगीबाई कलाबाई संतोषबाई पुत्री देवसिंह गीताबाई वि. देवसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9575856337	46/2 ✓	1.300	0.140
	336 ✓		1.278	0.380	
	योग			2.578	0.520
33	शिव पिता मांगू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9575856679	46/3 ✓	0.200	0.035
	योग				0.200
34	भगवानसिंह पिता करणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753438624	124/2 ✓	2.200	0.230
	योग				2.200

35	जयनारायणसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓	7697950598	142/2/1 ✓	0.200	0.075
			126 ✓	0.607	0.107
	योग			0.807	0.182
36	कैलाशनारायण पिता भागीरथ जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓	9617383709	143/2 ✓	0.348	0.270
	योग			0.348	0.270
	नंदकिशोर पिता भागीरथ जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓		143/1 ✓	0.348	0.270
37	योग		0.348	0.270	
38	सीमा कुंवर पति मानसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓	8435530188	157/2 ✓	3.225	0.700
	योग			3.225	0.700
39	मानसिंह पिता शिवसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	157/1 ✓	3.224	0.700	
		158 ✓	0.139	0.139	
		159/1 ✓	0.216	0.030	
	योग		3.579	0.869	
40	कमलसिंह पिता रणजीतसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	175 ✓	0.089	0.050	
		190/1/1 ✓	0.215	0.190	
		योग		0.544	0.240
41	मानकुंवर वेवा कुमेरसिंह मांगीलाल दत्तक पुत्र कुमेरसिंह गोकुल सिंह पिता हिंदुसिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी	181 ✓	0.139	0.050	
		184/2 ✓	0.051	0.039	
		318	2.757	1.360	
		319/1 ✓	0.329	0.150	
	योग		3.276	1.599	
42	सरेकुंवर पिता हरिसिंह कालूसिंह कमलसिंह सौदानसिंह देवसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	176 ✓	0.025	0.010	
		320 ✓	0.342	0.060	
		322 ✓	0.734	0.060	
		354/1 ✓	0.443	0.010	
		361 ✓	0.379	0.210	
	योग		1.923	0.350	
43	रामरतन पिता गोपीलाल राहुल रामबाबू पिता जगन्नाथ प्रेमबाई पति जगन्नाथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	177 ✓	0.013	0.013	
		178/1 ✓	0.152	0.037	
	योग		0.165	0.050	

44	सिद्धनाथ पुरालाल कंचनबाई द्रोपदीबाई पुत्री रामलाल कौशल्याबाई वि. रामलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8965049071	178/2/1	0.082	0.020
	योग				
45	भोलाराम पिता अमरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8225980526	183/1	0.076	0.010
	योग				
46	कन्हैयालाल पिता अमरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		183/2	0.076	0.010
	योग				
47	मोतीलाल पिता अमरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		183/3	0.076	0.010
	योग				
48	कालूसिंह कमलसिंह सौदानसिंह देवसिंह पिता हरिसिंह कुंवरबाई बेवा हरिसिंह श्यामबाबू पुत्री हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9669581069	185	0.291	0.020
			186	0.139	0.139
			187	0.367	0.367
			188	0.038	0.038
			योग	0.835	0.564
49	सरेकुंवरबाई पति हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753529350	192	0.089	0.089
	योग				
	नारायणसिंह मोहनलाल कमलाबाई सुगनबाई प्रेमबाई पिता पूरा दरियाव बाई बेवा पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		343/2	0.481	0.030
			352	0.430	0.250
			योग	0.911	0.280
51	सजनकुंवरबाई पति गोरधनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9669210048	279	0.025	0.025
			281	0.025	0.020
			289	0.025	0.025
			290	0.455	0.455
			278	0.367	0.040
योग	0.897	0.565			
52	मदनसिंह पिता मांगू जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977482754	287	0.013	0.013
			294/2/1	0.295	0.295
			293/1	0.118	0.118
योग	0.426	0.426			
	रामनाथसिंह पिता धूलसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7697160170	292	0.215	0.215

53			198 ✓	0.076	0.020
			291 ✓	0.101	0.035
			294/1 ✓	1.960	1.640
	योग			2.352	1.910
54	भारतसिंह पिता मांगू जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9617332318	294/2/2 ✓	0.295	0.295
			293/2 ✓	0.118	0.118
			288/2 ✓	0.123	0.098
	योग			0.536	0.511
55	मदनसिंह पिता मांगू जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		288/3/2 ✓	0.085	0.080
	योग			0.085	0.080
56	बनेसिंह, पिता अमरसिंह, गंगाबाई पति अमर सिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7049885254	294/2/3/1 ✓	0.147	0.147
			293/3/1 ✓	0.059	0.059
			288/3/1 ✓	0.061	0.041
	योग			0.267	0.247
57	नारायणसिंह पिता करणसिंह भगवानसिंह पिता करणसिंह गोविन्दकुंवर पिता करणसिंह मानसिंह पिता शिवसिंह सजनबाई बेवा शिवसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		297 ✓	0.152	0.152
			299 ✓	0.367	0.272
			300 ✓	0.315	0.155
			302 ✓	0.961	0.480
			306/2 ✓	0.300	0.020
			307/2 ✓	0.566	0.020
	योग			2.661	1.099
58	कमलसिंह पिता सूरतसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977839061	304/1 ✓	0.058	0.058
			305 ✓	1.417	0.210
	योग			1.475	0.268
59	अजबसिंह पिता सूरतसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		304/2 ✓	0.157	0.157
	योग			0.157	0.157
60	गोकुलसिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9009185176	311/1 ✓	0.169	0.169
	योग			0.169	0.169
61	सोनाथसिंह लाडसिंह पिता बजेसिंह चतरकुंवरबाई बेवा बजेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8435250500	311/1/1 ✓	0.169	0.169
	योग			0.169	0.169

62	कालूसिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7772005129	311/1/2 ✓	0.168	0.168	
	योग			0.168	0.168	
63	मांगुसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9644218397	314/1/1 ✓	0.259	0.259	
				314/1/3 ✓	0.259	0.259
				315/2 ✓	0.259	0.259
				190/2/1 ✓	0.113	0.095
				316/1	0.184	0.164
योग		1.074	1.036			
64	जसवंतसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9644218397	314/1/2 ✓	0.519	0.519	
				315/1 ✓	0.260	0.260
				190/2/2 ✓	0.114	0.095
				316/2 ✓	0.183	0.163
योग		1.076	1.037			
65	रूपसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी	8959092332	314/2 ✓	1.720	0.860	
				योग	1.720	0.860
66	रघुवीरसिंह नारायणसिंह पिता नोदियान जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	196 ✓	0.063	0.012	
				योग	0.063	0.012
67	प्रेमकुंवर बाई पति हरीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		190/1/2 ✓	0.216	0.190	
				योग	0.216	0.190
68	नर्वदाप्रसाद पिता भागीरथ जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120606517	209/1 ✓	0.287	0.076	
				योग	0.287	0.076
69	कैलाशनारायण पिता भागीरथ जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		209/2 ✓	0.286	0.076	
				योग	0.286	0.076
70	मनोजकुमार पिता भागीरथ प्रसाद जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		209/3 ✓	0.287	0.076	
				योग	0.287	0.076
71	ऊकारसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7970194137	265 ✓	0.190	0.030	
				योग	0.190	0.030

72	गोवर्धनलाल पित शिवनारायण जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓	9926326131	268/1 ✓	0.012	0.009	
	योग			0.012	0.009	
73	रघुनन्दन पित शिवनारायण जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓		268/2 ✓	0.013	0.009	
	योग			0.013	0.009	
74	श्यामसुन्दर पिता शिवनारायण जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓		268/3 ✓	0.013	0.010	
	योग			0.013	0.010	
75	सरेकुंवर पति हरेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓		303 ✓	0.506	0.456	
	योग			0.506	0.456	
76	भगवानसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓	8462021032	306/1 ✓	0.649	0.070	
	योग			0.649	0.070	
77	सजनसिंह पिता सूरतसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓		310 ✓	0.756	0.666	
				193/2 ✓	0.171	0.171
				323/1/2 ✓	0.493	0.219
				323/2/4 ✓	0.216	0.176
				195/2 ✓	0.013	0.010
				योग	1.649	1.242
78	हिंगलाजसिंह पिता दौलतसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓	8959097653	311/2 ✓	2.908	2.838	
	योग			2.908	2.838	
79	हीरालाल रूगनाथ मांगीलाल हरिसिंह जगदीश पिता बिहारीलाल रूकमाबाई पु. बिहारीलाल जमनाबाई बेवा बिहारीलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓	8963952943	312 ✓	0.228	0.228	
				313/1 ✓	0.038	0.038
				योग	0.266	0.266
80	सरेकुंवर पिता हरिसिंह कालूसिंह कमलसिंह सौदानसिंह देवसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓		319/2 ✓	0.531	0.170	
	योग			0.531	0.170	
01	राधेश्याम पिता सूरतसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9669315457	321 ✓	0.329	0.050	
			323/1/1 ✓	0.443	0.250	

81			323/2/3 ✓	0.234	0.120
	योग			1.006	0.420
82	मनोहरसिंह पिता सूरतसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9165984610	323/2/1 ✓	0.283	0.150
	योग			0.283	0.150
83	अजबसिंह पिता सूरतसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9165984610	323/2/2 ✓	0.215	0.145
	योग			0.215	0.145
84	गंगाराम पिता बापूलाल जाति दर्जी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9165688590	329/1/1 ✓	3.470	1.500
	योग			3.470	1.500
85	सिद्धलाल पिता बापूलाल जाति दर्जी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		329/1/2 ✓	1.589	1.589
	योग			1.589	1.589
86	दुलसिंह बजेसिंह राजुबाई शक्तिबाई लाडकुंवर कंचनबाई पुत्री अमरसिंह वि. उमरावबाई पति अमरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9926978984	333 ✓	0.506	0.506
			334 ✓	0.164	0.025
	योग			0.670	0.531
87	मांगिया पिता रामा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	343/4 ✓	1.720	0.260
	योग			1.720	0.260
88	नन्दराम पिता उंकार जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		343/1 ✓	1.265	0.100
	योग			1.265	0.100
89	रूगा मोहन राधेश्याम बालू पिता धनिया सोरमबाई पुत्री धनिया मदन पिता प्यारा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8435332002	343/5 ✓	2.529	0.800
	योग			2.529	0.800
90	भंवरलाल पिता दौलतसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7697766756	343/6/1 ✓	0.897	0.100
			343/6/3 ✓	1.000	0.090
	योग			1.897	0.190
91	हिगलाजसिंह पिता दौलतसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8959097653	343/6/4 ✓	1.000	0.090
	योग			1.000	0.090
92	नारान गंगाबाई पिता मेहताब जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	343/7 ✓	3.794	0.360
			347 ✓	1.770	0.100
	योग			5.564	0.460

93	सोमनाथ लाडसिंह पिता बजेसिंह चतरकुंवरबाई बेवा बजेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8435250500	344/1	0.577	0.030
	योग			0.577	0.030
94	भगवानसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120493890	351/1	0.848	0.020
	योग			0.848	0.020
95	रामरतन पिता गोपीलाल राहुल रामबाबू पिता जगन्नाथ प्रेमबाई पति जगन्नाथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	364/1	0.467	0.015
	योग			0.467	0.015
96	मांगीलाल पिता देवीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		364/2	0.480	0.015
	योग			0.480	0.015
97	लालू पिता रामा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8435190214	394	0.910	0.050
	योग			0.910	0.050
98	शंकरसिंह पिता दरयावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9174549141	395/1	1.391	0.468
	योग			1.391	0.468
99	नारायणसिंह पिता करणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		395/2	0.822	0.022
	योग			0.822	0.022
100	रूपसिंह पिता प्रतापसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753547268	397/2/1	1.113	0.260
	योग			1.113	0.260
101	भगवानसिंह पिता नारायण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	502/2/4	0.500	0.020
	योग			0.500	0.020
102	गोरधन पिता अमरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7440562270	502/2/5	0.500	0.050
	योग			0.500	0.050
103	रेशमबाई (पति) रामा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		30/1	1.299	0.400
	योग			1.299	0.400
योग				107.104	49.215

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

रा. प्र. क्रमांक 07-अ-82-1016-2017-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 जनवरी 2018

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म0प्र0 जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-खमरा, प0ह0न0-57 ब0न0-90, रा0नि0म0- छिन्दवाड़ा-3	महेश, ज्ञानाबाई, श्यामोबाई, मुलरिया, कौशल्या पिता अबीरचन्द, सरलाबाई धर्मपत्नी वि.महासिंग राजू संजय, कविता पिता महासिंग, देवेन्द्र ना0बा0 पिता महासिंग पा0मा0 सरला जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	251	0.100	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		1	0.100 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 581-भू-अर्जन-2018

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जनवरी 2018

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/1875 भोपाल, दिनांक 14.09.2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-केवलारीसंभा, प0ह0न-03, ब.न.-32, रा.नि.म.-चौरई	रकबा-12.240 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग कमांक-1, चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिटटी बांध उपसभाग कमांक 2, सिंगना के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 582-भू-अर्जन-2018

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/1875 भोपाल, दिनांक 14.09.2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-हिवरखेडी, प0ह0न-01, ब.न.-316, रा.नि.मं.-चौरई	रकबा-36.940 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिटटी बांध उपसभाग क्रमांक 2, सिंगना के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 583-भू-अर्जन-2018

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/1875 भोपाल, दिनांक 14.09.2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-मडुआढाना, प0ह0न-02, ब.न.-222, रा.नि.मं.-चौरई	रकबा-18.969 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिटटी बांध उपसभाग क्रमांक 2, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 600-भू-अर्जन-2018

राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. एफ-22/03/2011-2012/लघु/31/1444 भोपाल दिनांक 23.08.2011 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4) -2014-सात-शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म0प्र0 के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये है, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-सावंगी, ब.नं.-382, प.ह.नं.-12, रा.नि.म.-सौंसर	रकबा-0.134 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा	अम्बाखापा जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mpvenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 601-भू-अर्जन-2018

राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. एफ - 22/01/2015-2016/लसि./31/44 भोपाल दिनांक 07.01.2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4) -2014-सात-शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म0प्र0 के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-पेण्डोनी, ब.नं-243, प.ह.नं.- 43, रा.नि.म.-पाण्डुर्णा,	रकबा-03.009 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	पेण्डोनी जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग पाण्डुर्णा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्र. क्र. 39-अ-82-भू-अर्जन-चिरायतनी-2017-18

मुरैना, दिनांक 16 जनवरी 2018

प्रारम्भिक अधिसूचना

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- चिरायतनी, तहसील व उपखण्ड- जौरा, जिला-मुरैना में कुल रकवा 2.397 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना तहसील- जौरा के ग्राम- चिरायतनी, प0ह0नं0- 00042 रा0नि0वृत- 02 में उक्त परियोजना के लिये 2.397 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	560	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073	रामहेत पुत्र ल्हारे नाबा0 सर पिता खुद जाति कुम्हार पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.81

2	561/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.149	लक्ष्मिन पुत्र झीगुरिया जाति कोरी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00
3	561/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		गिरवर पतिराम पुत्रान जालिम समान भाग जाति जाटव पता नि० ग्राम बिलगांव चौधरी शासकीय पट्टेदार लगान 10.04
4	562	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.005	रामचरन पुत्र बल्ला जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 4.00
5	572/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	नरेश पुत्र रामचरन जाति धोबी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 2.00
7	574	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.127	अमरसिंह पुत्र वालाराम नि० कुलैथ जाति अहीर हि० 167/544 रमेश राजेन्द्र सुरेश रामअख्यार पिता गिरंद सो भा० 42/544 जाति जाटव नि० डोगरपुर सत्यप्रकाश पुत्र सोनेराम भाग 63/544 दर भाग 1/2 रामविलासी बेवा परसराम कमलसिंह पुत्र परसराम गुड्डी पुत्री परसराम भाग 1/4 कनही पुत्र देवलाल जाति काछी हि० 1/4 पता नि० ग्राम भूमि भू-राजस्व बिलमुक्ता 19.50
8	726	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.071	बदलुआ पुत्र हरीलाल जाति मेंहतर पता नि० ग्राम बिलगांव चौधरी भूमि स्वामी शासकीय पट्टादार भू-राजस्व 3.00
9	703/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.358	पवन सरनाम पुत्र कुढेरी जाति कोरी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.40
10	703/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		दोजी दुर्गेश राजेश नाबा० पुत्रान लालाराम सुमित्रा छोटी नाबा० पुत्रीयान लालाराम सर मां मु० शकन्तला बेवा लालाराम जाति कोरी पता नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार लगान 6.40
11	703/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		जगन्नाथ पुत्र सामलिया जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमि स्वामी अहस्तान्तरणीय भू-राजस्व 6.40
12	703/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		द्वारिका पुत्र भोगीराम जाति कोरी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 6.40
13	727	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.093	भगरी हाकिम पुत्रान मावसिया वादो अंगुरी नवलो पुत्री मावसिया हि० 5/6 मुन्ना राकेश पुत्रान सुमेरा वैकुन्ठी सुनीता पुत्रियान सुमेरा जाति धोबी भाग 1/6 नि० डोगरपुर।
14	729	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.251	बदलुआ पुत्र हरीलाल जाति मेंहतर पता नि० ग्राम बिलगांव चौधरी भूमि स्वामी शासकीय पट्टादार भू-राजस्व 6.00

15	742	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	गैदा बासुदेव भागीरथ रामनिवास पुत्रान भगवंतशीला पुत्री भगवन्त पता नि० ग्राम स०भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 11.95
16	744	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	गैदा बासुदेव भागीरथ रामनिवास पुत्रान भगवंतशीला पुत्री भगवन्त पता नि० ग्राम स०भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 11.95
17	745	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.07	मु० बैकुन्ती बेवा बंशी लक्ष्मण शिवचरन जगदीश पिस बंशी शीला पुत्री वंशी जाति तेली पता नि० ग्राम स० भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 11.75
18	746	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.120	गैदा बासुदेव भागीरथ रामनिवास पुत्रान भगवंतशीला पुत्री भगवन्त पता नि० ग्राम स०भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 11.95
19	747	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031	नारायनलाल धर्मपाल पिस किसुना दुलारी गुडडी पुत्रियां किशुना स० भाग जाति तेली डोंगरपुर पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 10.65
20	748	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.119	मु० बैकुन्ती बेवा बंशी लक्ष्मण शिवचरन जगदीश पिस बंशी शीला पुत्री वंशी जाति तेली पता नि० ग्राम स० भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता
21	751	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	गैदा बासुदेव भागीरथ रामनिवास पुत्रान भगवंतशीला पुत्री भगवन्त पता नि० ग्राम स०भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 11.95
22	752	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	मु० बैकुन्ती बेवा बंशी लक्ष्मण शिवचरन जगदीश पिस बंशी शीला पुत्री वंशी जाति तेली पता नि० ग्राम स० भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 11.75
23	753	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.158	नारायनलाल धर्मपाल पिस किसुना दुलारी गुडडी पुत्रियां किशुना स० भाग जाति तेली डोंगरपुर पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 10.65
24	756	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.011	नारायनलाल धर्मपाल पिस किसुना दुलारी गुडडी पुत्रियां किशुना स० भाग जाति तेली डोंगरपुर पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 10.65
25	757	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	काशीवाई पत्नी छटीसिंह जाति काछी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.20
26	765	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.047	काशीवाई पत्नी छटीसिंह जाति काछी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.20
27	766/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.003	जसस्थ देशराज श्रीनिवास पुत्रान दीना जाति मेहतर पता नि० ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार भू-राजस्व 4.00
28	766/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सुरेश अशोक पुत्रान श्यामलाल जाति मेहतर पता निवासी ग्राम समान भाग शासकीय पट्टादार अहस्तांतरणीय लगान 10.00

29	767/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.074	उदयसिंह पुत्र सरवन जाति कोली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू-राजस्व 6.40
30	767/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सतीश पुत्र जीवनलाल जाति जाटव नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार लगान बिलमुक्ता 3.00
31	767/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		कमलसिंह रामभजन भाग 1/2 रमेश पुत्र जीवनलाल भाग 1/2 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.00
32	767/5/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		दर्शन पुत्र शंकरलाल जाति कुशवाह पता नि० ग्राम रपटा का पुरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.20
33	767/5/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		उदयसिंह पुत्र शंकरलाल जाति कुशवाह पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.05
34	767/5/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सियाराम पुत्र शंकरलाल जाति कुशवाह पता नि० ग्राम रपटा का पुरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.20
35	767/5/6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामोतार पुत्र शंकरलाल जाति कुशवाह पता नि० ग्राम रपटा का पुरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.00
36	868	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	मु० बैकुन्ती बेवा बंशी लक्ष्मण शिवचरन जगदीश पिस बंशी शीला पुत्री वंशी जाति तेली पता नि० ग्राम स० भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 11.75
37	870/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.058	विमला पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति काछी पता नि० ग्राम निधान भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.50
38	870/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		केदार पुत्र शंकरलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम मजरा रपट का पुरा भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.20
39	870/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		फूलसिंह पुत्र शंकरलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.00
40	870/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		दर्शन पुत्र शंकरलाल जाति कुशवाह पता नि० ग्राम रपटा का पुरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.13
41	878	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.091	रमेश पुत्र जीवनलाल 101/154 रामकली पुत्री जीवनलाल 53/154 जाति काछी पता निवासी ग्राम रपट का पुरा भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.50
42	879	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.062	दर्शन पुत्र शंकरलाल जाति कुशवाह पता नि० ग्राम रपटा का पुरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.771
43	880	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.028	प्रभू पूरन जगदीश सेमतिया विजयसिंह पुत्रान वद्री गोदावरी पुत्री वद्री जाति काछी नि० रपट का पुरा भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.770
कुल				2.397	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 40-अ-82-भू-अर्जन-थरा-2017-18

प्रारम्भिक अधिसूचना

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- थरा, तहसील व उपखण्ड- जौरा, जिला-मुरैना में कुल रकवा 1.238 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना तहसील- जौरा के ग्राम- थरा प0ह0नं0- 00042 रा0नि0वृत्- 02 में उक्त परियोजना के लिये 1.238 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	301	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.058	रामचरन रामस्वरूप पुत्र हरलाल जाति रावत पता ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 37.55
2	313	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.023	कुंअरपाल सभाराम विजयसिंह सेवाराम पिता माखन सिंह मु0 आनन्दी बेवा माखनसिंह जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.28

3	315	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.014	कुंअरपाल सभाराम विजयसिंह सेवाराम पिता माखन सिंह मु0 आनन्दी बेवा माखनसिंह जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.69
4	316	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.019	कुंअरपाल, सभाराम, मेवाराम विजयसिंह पिता माखनसिंह जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-रा0 1.81
5	317	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	कुंअरपाल, सभाराम, मेवाराम विजयसिंह पिता माखनसिंह जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-रा0 0.20
6	318	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.006	कुंअरपाल सभाराम मेवाराम विजयसिंह पिता माखनसिंह जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-रा0 0.20
7	319	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	कुंअरपाल सभाराम विजयसिंह मेवाराम पिता माखनसिंह मु आनन्दी बेवा माखनसिंह जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.22
8	320	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.027	कुंअरपाल, सभाराम, मेवाराम, विजयसिंह पिता माखनसिंह जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 7.50
9	328	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	कुंअरपाल, सभाराम, मेवाराम, विजयसिंह पिता माखनसिंह जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.27
10	968/328	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	शीला चमेली कमलेश पुत्रियान प्रभू हि0 1/2 शिवचरन पुत्र चतुरे हि0 1/2 दर भाग 1/3 सरूपी पुत्री अंतू भाग 1/3 कुंअरपाल पुत्र सूमेरा मीरा उर्मिला वैजन्ती पुत्रियान सूमेरा भाग 1/5 मातादीन पिता सौनी सामंथी रेवो नारायणी रामरती पुत्रियान सौनी भाग 5/6 दर भाग 1/3 जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.44
11	329	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.027	ब्रजभूषण पुत्र भौरू हि0 1/4 ब्रजभूषण मीरा भाग 1/2 रमेश नाबा0 पुत्र किशुनलाल मीना नाबा0 पुत्री किशुनलाल सर पिता समान भाग 1/4 जाति जाटव पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
12	351	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.044	बहादुरलाल, इन्दलाल नाबा, पुत्र होतासर. पिता खुद जाति चमार पता ग्राम भूमि स्वामी नर्मदा पत्नी रामचन्द जाति काछी पता जौरा खुर्द तहसील मुरैना भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.12
13	366/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	बाबूलाल पुत्र प्रहलाद जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.00
14	366/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मनफुल पुत्र लखुआ जाति जाटव निवासी ग्राम हि 1/2 वैजनाथ पुत्र रामलाल जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
15	367	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.024	उत्तम नरेश रामअख्यार रामोतार पुत्रान हौलू सनेही गुडडी पुत्रीयान हौलू स0 भा0 1/3 बाबू वकील स0 भा0 2/3 पुत्रगण गडुआ जाति जाटव स0 भा0 भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.75

16	368	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.005	कुअरपाल पुत्र सुमेरा जाति जाटव पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू0रा0शा0 बिलमुक्ता 2.41
17	369	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	भूखन पुत्र धम्पू मु0 कम्मोदी बेवा धम्पू वादामी पुत्री धम्पू समान भाग 1/2 संतोषी रामजीलाल शिवराम रामविलास पुत्रगण रामचरन समान भाग 1/2 जाति जाटव पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.50
18	377	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.006	शंकर 55/360 मुंशी भा0 45/360 पुत्रगण तुला भूमि स्वामी पंचम पुत्र कन्हई जाति चमार पता ग्राम 100/360 भाग भूमि स्वामी सियाराम पुत्र दुल्लीभा0 60/360 जाति जाटव नि0 ग्राम सभाराम पुत्र मलखान सिंह 100/360 जाति रावत भूमि स्वामी भू-राजस्व2.50
19	378	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.028	रामविलाश वेतालसिंह पुत्रगण तेजसिंह समान भाग 1/3 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी वदनसिंह धर्मपाल पुत्रान बुद्धी मुन्नी हलुकी पुत्रीयान बुद्धी समान भाग 1/3 भूमि स्वामी नथी रामविलाश वेताल पुत्रान तेजसिंह स0 भा0 1/3 जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.12
20	380	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.016	राजवीर राजेश रामबरन पुत्रगण फैली बैजन्ती बेवा फैली प्रीती नाबा0 पुत्री शीला सर राजवीर मामा खुद स0 भाग 8/27 मावसिया पुत्र सोना भाग 8/27 भूरी पुत्री सोना 2/27 दर भाग 2/3 रामप्रकाश रामविलास पुत्र शंकर भाग 1/3 जाति कोरी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.83
21	581	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	धनीराम दर्शन कल्ला पुत्रान फैरनसिंह मु0 जसोदा बेवा फैरनसिंह समान भाग 1/2 भरतलाल भूपसिंह पुत्रान विशाल विमला अंगुरी पुत्रियान विशाल मु0 रामप्यारी बेवा विशालसिंह स0 भाग 1/2 जाति रावत पता ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.12
22	587	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	धनीराम दर्शन कल्ला पुत्रान फैरनसिंह जसोदा बेवा फैरनसिंह भा0 1/3 मांगीलाल उदल ऋषीकेश पुत्रान उदयसिंह मु0 नर्मदा बेवा उदयसिंह भा0 1/3 नारायणी पुत्री तेजसिंह भाग 1/3 दर भाग 1/18 पता भरतलाल भूपसिंह पुत्रान विशाल विमला अंगुरी पुत्रिया भूमिस्वामी विशाल मु0 रामप्यारी बेवा विशाल भाग 1/18 वादामी पुत्री पोथी भाग 1/18 रामसनेही बेवा जाहरसिंह प्रेमसिंह शशीकान्त पुत्र जाहरसिंह मीरा सुनिता पुत्रियान जाहरसिंह भाग 1/6 भरोषीलाल पुत्र श्रीकिशुन आशरफी रामरती अंगुरी रामवती पुत्रियान श्रीकिशुन समान भाग 5/6 दर भाग 1/24 रामश्री बेवा हरीप्रसाद भाग 1/24 छोटे पुत्र गंगाराम भाग 1/12 बाबूलाल पुत्र प्रहलाद भाग 1/18 भूमिस्वामी सुरेश अशोक सोनपाल पुत्रान परिमाल गुडडी पुत्री परिमाल मु0 मुल्लो बेवा परिमाल भाग 1/18 श्रीराम सुवे अमृतलाल राजेश सतीष पुत्रान रामनाथ नारायणी मुन्नी कल्लो श्यामवती पुत्रियान रामनाथ भाग 1/18 सावित्री त्रवेणी कटोरी

					रामरती पुत्रियान गजाधर स० भा० 1/24 मु० सुन्ती बेवा बाबूलाल कमलेश शारदा नाबा० पुत्रियान बाबूलाल स० मां खुद भाग 1/24 भूमिस्वामी जगन्नाथ पुत्र भाग चन्द भाग 1/6 पता रघुनन्दन पुत्र टुंडा सम्पति पुत्री टुंडा समान भाग 1/18 भाग
					भूमिस्वामी सुन्ती बेवा वाबूलाल भाग 1/24 जाति रावत देवी भरतलाल नाबा० पिस भीखा कटोरी वालिंग गुलाव नाबा० पुत्रीयान भीखा सर बहन कटोरी स० भा० 1/18 जाति काछी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.00
23	590	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	मांगीलाल उदल ऋषीकेश पुत्रान सूवालाल उर्फ उदयसिंह मु० नर्मदा बेवा सूवालाल उर्फ उदयसिंह जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 31.80
24	591	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.004	केदारसिंह पुत्र गिरवरसिंह जाति रावत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.20
25	596	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.019	हाकिम गजराज ओमप्रकाश वीरेन्द्रसिंह रामलखन पिता प्रहलाद समान भाग 1/2 भरतलाल रामप्रकाश 2/3 मु० मिथलेश बेवा उम्मेदसिंह इन्द्रजीत नाबा० पुत्र उम्मेदसिंह स० मां खुद मिथलेश समान भाग 1/3 दर भाग 1/2 जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.05
26	602	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.029	जण्डेलसिंह पुत्र रोशनलाल जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 177
27	603/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	हुकुम सिंह श्रीनिवास वदन सिंह पुत्रगण जसवंत जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 177
28	603/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		भरतसिंह हेमराज हेमन्त पिता सूवे मु० नारायाणी बेवा सूवे जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 34.65
29	604	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	रामा पुत्र सरमन जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.44 मुल्ला पुत्र गनपति जाति रावत पता मिवासी ग्राम मु० जा 12 साल अधिपत्य कृषक
30	605	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	पातीराम पुत्र प्रभू दयाल जाति रावत नि० वेरई गिर्द भूमिस्वामी भू०रा०शा० 532
31	606	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.034	रामप्यारी पत्नी वनवारी जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.87
32	607	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.043	धनीराम दर्शन कला पुत्रान फेरन सिंह मु० जसोदा बेवा फेरन सिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.25
33	687	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.045	सूवलाल पुत्र हरिप्रसाद जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.58
34	688	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.059	रामदेई पत्नी सोवरनसिंह जाति गुर्जर पता नि० ग्राम महाराजपुर हवाई अड्डे के पास ग्वालियर भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.87

35	698	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	रामदेई पत्नी सोवरनसिंह जाति गुर्जर पता नि० ग्राम महाराजपुर हवाई अड्डे के पास ग्वालियर भूमि स्वामी भू-राजस्व विलमुक्ता 6.00
36	699	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.034	रामस्वरूप संतोषी पुत्रान तेजा जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.50
37	713	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.078	रामेश्वरदयाल पुत्र पंचम भूमि स्वामी कटोरी, नर्मदा, मुन्नी पुत्रीयां पंचम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.88
38	781	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.004	वनवारी पुत्र भौरु जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.44
39	782	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	वनवारी पुत्र भौरु जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.44
40	783	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.045	भूखन चरनसिंह पुत्र वहादुर रेनु पुत्री वहादुर मु० विमला बेवा वहादुर जाति रावत नि० ग्राम भूमि स्वामी
41	799	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.049	पीतम पुत्र छोटेलाल भाग 54/233 गिराज मुकेश पुत्रगण पीतम सिंह समान भाग 116/233 वारे उर्फ चन्द मुकन्द छोटेलाल भाग 63/233 जाति किरार पता नि० सिकारपुर मुरैना भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.31
42	800	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.029	बहादुरलाल श्रीलाल लालजीत राजेन्द्रलाल रामरतन पुत्रगण द्वारिका प्रसाद जाति ब्रा० पता ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.72
43	803	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	रामनरेश पुत्र रामरतन जाति ब्रा० पता निवासी कस्वा जौरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.70
44	804	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.041	वनवारी सरनाम राजपाल पुत्रान मुरली बादामी गुडडी पुत्रीयां मुरली मु० भूरी बेवा मुरली जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.81
45	805	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.024	जगदीश पुत्र रामस्वरूप भाग 11/50 मदनसिंह पुष्पेन्द्र सिंह नाबा० पुत्रान वकीलसिंह सर पिता खुद समान भाग 39/50 पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.93
46	812	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.003	रामनरेश पुत्र रामरतन जाति ब्रा० पता निवासी कस्वा जौरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 14.17
47	861/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामनरेश पुत्र रामरतन जाति ब्रा० पता निवासी कस्वा जौरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 372
48	861/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.033	सत्यप्रकाश रामप्रकाश पुत्रगण हजारी भाग 0.74 रूपनारायण पुत्र मानिक चन्द्र भाग 0.97 उषा पुत्री सेवाराम भाग 1/2 गजानन्द उर्फ लालू आशू पुत्रान सुभाष अश्वनी पुत्री सुभाष जाति ब्रा० समान भाग 1/2 दर भाग 0.97 जाति ब्रा० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 8.44
49	872	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.002	रामस्वरूप संतोषी पिता तेजा मु० कोशा बेवा तेजा कमला सरवदी पुत्रीयां तेजा सो भा० 1/2 जाति

					जाटव भूमिस्वामी रामहेत रसाल महेश पिस विस्सू बसन्ती वादामी पुत्रियां विस्सू स० भाग 5/6 शिशूपाल शैलेन्द्र वा० गव्वर नाबा० पुत्रान कप्तान माया वालिग मनीषा नाबा० पुत्रियां कप्तान सर० मां मु० त्रीवेणी बेवा कप्तान समान भाग 1/6 दर भाग 1/2 भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.44
50	873	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	रामस्वरूप संतोषी पिता तेजा मु० कोशा बेवा तेजा कमला सरवदी पुत्रियां तेजा स० भा० 1/2 जाति जाटव भूमिस्वामी रामहेत रसाल महेश पिस विस्सू बसन्ती वादामी पुत्रियां विस्सू स० भाग 5/6 शिशूपाल शैलेन्द्र वा० गव्वर नाबा० पुत्रान कप्तान माया वालिग मनीषा नाबा० पुत्रियां कप्तान सर० मां मु० त्रीवेणी बेवा कप्तान समान भाग 1/6 दर भाग 1/2 भूमि स्वामी भू-राजस्व 872
51	874	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	रामविलाश वेतालसिंह पुत्रगण तेजसिंह समान भाग 1/3 पता नि० ग्राम भूमिस्वामी वदनसिंह धर्मपाल पुत्रान बुद्धी मुन्नी हलूकी पुत्रियां बुद्धी समान भाग 1/3 भूमि स्वामी नत्थी रामविलाश वेताल पुत्रान तेजसिंह स० भा० 1/3 जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.50
52	875	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	महेश पुत्र नेकसिया जाति कोरी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 368
53	876	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.004	उत्तम नरेश रामअख्यार रामोतार पुत्रान होलू सनेही गुडडी पुत्रियां होलू जाति जाटव नि० ग्राम भू-राजस्व 1.78
54	877	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	रामहेत रसाल महेश पुत्रान विस्सू 3/4 शिशूपाल शैलेन्द्र वा० गव्वर नाबा० पुत्रान कप्तान माया मनीषा नाबा० पुत्रियां कप्तान सर० मां मु० त्रीवेणी बेवा कप्तान भाग 1/4 जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 6.31
55	878	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	रामुजीलाल पुत्र कुउरी जाति कोरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 877
56	879/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	दर्शन मुकेश पुत्रान वावू अगूरी रुमाली मन्थी पुत्रियां वावू जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.97
57	879/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		बद्री पुत्र लखुआ जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमि स्वामी

58	880/मिन 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.014	जण्डेलसिंह पुत्र रोशनलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बिलमुक्ता 3.40
कुल				1.238	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 44-अ-82-भू-अर्जन-मुंदावली-2017-18

प्रारम्भिक अधिसूचना

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- मुंदावली, तहसील व उपखण्ड- जौरा, जिला-मुरैना में कुल रकवा 0.454 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना तहसील- जौरा के ग्राम- मुंदावली प.ह.नं-65, रा.नि. वृत्त-04 में उक्त परियोजना के लिये 0.454 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	13	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.044	दयाशंकर देवेन्द्र पिता रामबाबू जाति ब्राम्हण पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
2	14	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.044	दयाशंकर देवेन्द्र पिता रामबाबू जाति ब्रा० पता नि० ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी बच्चनलाल पुत्र सुन्दरलाल जाति ब्रा० पता नि० ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी।
3	16	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.039	प्रभुसिंह हि० 0.09 शिवचरन 0.09 पुत्रान चतुरे जाति जाटव विश्राम पुत्र बुद्धि हि० रकवा 0.21 अवधेश पुत्र सुन्दरलाल हि० रकवा 0.21 जाति ब्रा० दर भाग 1/3 सुमेरा मातादीन पिस सोनी सामन्ती रामा रेवती नारायणी रामरती पुत्रियां सोनी मु० सोनी बेवा सोनी समान भाग 1/3 कुंअरपाल पुत्र सुमेरा जाति जाटव हि० 1/3 निवासी ग्राम भूमिस्वामी दुल्ली पुत्र बलिराम जाति जाटव, नि० थरा अधिपत्य कृषक मु० जा० 12 साल।
4	17	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.043	विश्राम पुत्र बुद्धा जाति जाटव पता नि० बिरला नगर, ग्वालियर भूमि स्वामी।
5	18	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.094	रामहेत पुत्र जसवंत जाति ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।
6	31/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.097	प्रेमसिंह शशीकान्त पुत्रान जहार सिंह रामसनेही बेवा जाहर सिंह जाति रावत नि० ग्राम थरा समान भाग भूमिस्वामी।

7	31/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामभरोषी पुत्र श्रीकृष्ण जाति रावत पता निवासी ग्राम थरा भूमि स्वामी।
8	32	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.004	श्रीराम जयराम पिस प्रभू दयाल जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
9	34	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	श्रीराम जयराम पिस प्रभू दयाल जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
10	35	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.032	श्रीराम जयराम पिस प्रभू दयाल जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
11	36	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.037	श्रीराम जयराम पिस प्रभू दयाल जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
कुल				0.454	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और, अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 47-अ-82-भू-अर्जन-बुढेहरा-2017-18

प्रारम्भिक अधिसूचना

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- बुढेहरा, तहसील व उपखण्ड- जौरा, जिला-मुरैना में कुल रकवा 10.841 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना तहसील- जौरा के ग्राम- बुढेहरा प.ह.नं.-89, रा.नि.वृत्त- 03 में उक्त परियोजना के लिये 10.841 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	136	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052	नरेश, राजेन्द्र पुत्रान जसमंत राम बाई, गिरिजा पुत्रियान जसमंत मु. लक्ष्मीबेबा जसमंत हि 1/8 रामस्वरूप, पंचम, विन्द्रावन पुत्रान जोधा बैकुन्टी रामकटोरी गंगादेवी, जयश्री पुत्रियान जोधाराम जाति त्यागी हि. 7/8 नि. ग्राम भूमिस्वामी
2	137	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.183	विन्द्रावन पुत्रान जोधाराम जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी
3	138	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.155	संतोषी सियाराम पठि धन्सु जाति जाटव पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 22.38
4	142	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.192	सुबोध पुत्र रामभजन विनोद पुत्र रामभजन जाति त्यागी पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.60
5	143	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.039	राप्रकाश सरनामसिंह पुत्रान जगन्नाथ जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी
6	144	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.395	देवेन्द्र पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी
7	145	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.308	आशू नाबा0 पुत्र रामप्रकाश नावा सर पिता खुद अंकित नावा पुत्र सरनाम सिंह नावा0 सर0 पिता खुद बगैरह बशरह नं0 120
8	146	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.186	मु. कौसा बेबा जगन्नाथ रामप्रकाश सरनाम संजय पुत्रान जगन्नाथ कमलेश लता पुत्रियान जगन्नाथ जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी
9	193	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.028	जगदीश पिता भवानी प्रसाद जाति त्यागीब्रा0 पता

					नि० ग्राम भूमि स्वामी
10	196	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	लालपति पुत्र मंगलिया हि 30/501 रामस्वरूप पुत्र मंगलिया हि 62/501 बाबूलाल पुत्र मंगलिया हि 56/501 मुकुट सिंह दिनेश कुमार पुत्रान रतीराम स.भा. 7/501 राजेश्री पुत्री रतीराम हि 8/501 देवेन्द्र कुमार पवन कुमार नाबा पुत्रान मुंशीलाल ललिता बाई नाबा पुत्री मुंशीलाल सर मां खुद सुशीला देवी स.भा. 33/501 सोबरन पुत्र दुर्जन हि 28/501 ग्यासी पुत्री सोना हि 89/501 जाति कोरी जगदीश प्रसाद पुत्र सोना हि 41/501 रामवीर पुत्र काशीराम हि 24/501 रामहेत पुत्र जोधाराम हि 3/4 रामसिंह पुत्र तेज सिंह हि 1/4 दर हि 9/501 राबाबू कमलेश बृजेश पुत्रान सरदार सिंह स.भा. 74/501 श्रीमती अजुद्धी पत्नि जीवनलाल हि 15/501 रामसिंह पुत्र तेज सिंह हि 2/17 रामलखन पुत्र दुरगाप्रसाद हि 5/17 सत्यनारायन पुत्र दुरगा प्रसाद हि 5/17 विन्द्रावन पुत्र बद्दी प्रसाद 14/501 जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी
11	197	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.135	माताशरण बा० रूपशरण नाबा० पि० पंचमसिंह सरप० पिता खुद स० भाग जाति गो० पू० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 8.70
12	198	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.436	पंचमसिंह पुत्र जोधाराम जाति गो० पू० पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.50
13	200	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420	वैजन्ती पत्नी रतनलाल जाति गो० पू० पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.19
14	204	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.250	पंचम पुत्र जोधाराम जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.50
15	205	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.250	पंचम पुत्र जोधाराम जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.94
16	206	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.980	रामदयाल पुत्र मुराली जाति गो० पू० पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 12.00
17	213	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	मुकेश अनूप पुत्रान विन्द्रावन जाति त्यागी नि० ग्राम भूमि स्वामी ।
18	214	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.443	नरेश, राजेन्द्र पुत्रान जसमंत राम बाई, गिरिजा पुत्रियान जसमंत मु. लक्ष्मीबेबा जसमंत स.भा. जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी
19	215	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.980	वैजन्ती पत्नी रतनलाल जाति गो० पू० पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 24.63

20	216	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	रतनलाल पुत्र शिवलाल जाति गो0 पू0 पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 14.73
21	217	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.636	चिरोजी बेवा चिम्मनसिंह रामदीन पुत्र चिम्मनसिंह सरवती प्रेमवती सुन्ती पुत्रियां चिम्मनसिंह स0भा0 1/3 जाति कुशवाह नि0 मकुंदा फूलसिंह पुत्र छोटे भाग 1/6 छोटे पुत्र धर्मजीत जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम भाग 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 12.69
22	138/833	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.086	मवसियां पुत्र कुढेरी जाति जाटव पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी ।
23	156	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.029	रामभान, सन्दीप सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रान कल्याण सिंह जाति ठाकुर नि. ग्राम भूमिस्वामी
24	158/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.032	सुनील शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा श्रीमती राधा पत्नी सुनील शर्मा जाति ब्रा0 पत नि0 सिंगल पुरा कस्वा जौरा भूमिस्वामी ।
25	158/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.032	अनूप सिंह पुत्र जमादार सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ।
26	160	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	राधा पत्नी सुनील शर्मा जाति ब्रा0 पता नि0 भरोषी धर्मशाला मुरैना भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 22.43 ।
27	161	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	राधा पत्नी सुनील शर्मा जाति ब्रा0 पता नि0 भरोषी धर्मशाला मुरैना भूमि स्वामी भू0रा0शा0 160 ।
28	162	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.077	राधा पत्नी सुनील शर्मा जाति ब्रा0 पता नि0 भरोषी धर्मशाला मुरैना भूमि स्वामी भू0रा0शा0 160 ।
29	164	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.022	ल्होरी पत्नी नवलसिंह महादेवी पुत्री नवलसिंह जाति रावत पता नि0 ग्राम सिकरौदा समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.90 ।
30	166/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.029	उम्मेद सिंह पुत्र राजाराम जाति रावत नि0 सिकरौदा भूमि स्वामी ।
31	166/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.029	हरीसिंह पुत्र नवलसिंह जाति रावत पता नि0 ग्राम सिकरौदा भूमि स्वामी ।
32	167	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	हरीसिंह पुत्र नवलसिंह जाति रावत पता नि0 ग्राम सिकरौदा भूमि स्वामी ।
33	168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.014	हरीसिंह पुत्र नवलसिंह जाति रावत पता नि0 ग्राम सिकरौदा भूमि स्वामी
34	169	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.016	पंचमखां रमजानखां पिता रसलखां जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी ।
35	171	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	द्वारिका पुत्र कोक सिंह जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ।

36	174	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	रामचरन पुत्र सामलिया भाग 1/4 राजीव पुत्र वीरेन्द्र भाग 3/4 जाति त्यागी ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ।
37	175	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.008	छोटे पुत्र रतनलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम सिकरोदा भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.47
38	176	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.044	छोटे पुत्र रतनलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम सिकरोदा भूमि स्वामी ।
39	177	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.018	बदनसिंह सोनू पुत्रान महीपति समान भाग 2/3 रवि नाबा० पुत्र मनोज सरप० मा० खुद सुआ बेवा मनोज स० भाग 1/3 जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 7.66
40	178	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	जगदीश पुत्र बाबूलाल हि 0.350 राधा पत्नि सुनील शर्मा जाति ब्रा. हि. 0.420 नि. ग्राम भूमिस्वामी
41	179/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.047	बाबूलाल पुत्र रामगोपाल हि० 0.07 आरे शेषनारायण पुत्र रामगोपाल हि० 0.28 आरे केशव पुत्र रामगोपाल हि० 0.28 आरे शिवचरन पुत्र रामगोपाल हि. 0.28 आरे जाति ब्रा० नि जौरा महादेवी पत्नी रमाशंकर हि 0.21 आरे जा ब्या नि मुरैना राधा पत्नी सुनील शर्मा हि 0.28 आरे जाति ब्राह्मण पता नि नि भरोषी धर्मशाला मुरैना भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 11.05
42	179/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	जगदीश पुत्र बाबूलाल जाति ब्रा. नि. ग्राम भूमिस्वामी
43	180	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.098	श्रीमती कलावती धर्मपत्नी रामप्रसाद प्रेम पत्नी केशवसिंह जाति त्यागी हि० 135/139 रघुनाथ पुत्र तेजसिंह हि० 4/139 जाति त्यागी पता नि० मालौनी खुर्द थाना भौलारी जिला धौलपुर भूमि स्वामी भू-राजस्व 13.81 ।
44	182/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	रामसिंह पुत्र तेजसिंह जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ।
45	182/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	रतनलाल पिता तेजसिंह जाति गो० पू० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ।
46	184	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	रामसिंह पुत्र तेजसिंह जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.69 ।
47	185	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.014	द्धारिका प्रसाद पुत्र लाखनसिंह उर्फ रामस्वरूप जाति गो० पू० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
48	186	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.027	आशीषकुमार नाबा० पुत्र रामप्रकाश सर० पिता खुद रामप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति गो० पू० पता नि० ग्राम भूमि स्वामी

49	187	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	प्यारेलाल श्रीनिवास बिजयसिंह पुत्रान फददीराम समान भाग जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
50	188	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.039	लीलावती बेवा उमेश जाति जाटव नि० सिंघल वस्ती मुरैना।
51	201	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.077	माताशरण बा० रूपशरण नाबा० पिता पंचमसिंह सरप० पिता खुद स० भाग जाति गो० पू० बा० पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 7.82
52	203	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.173	पंचमसिंह पुत्र जोधाराम जाति गो०पू० पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 202
53	207	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	पंचम सिंह पुत्र जोधाराम भाग 4/25 अमित कुमार आदेश नाबा० पुत्रान मुकेश नाबा० सरप० नाबा० बिन्दावन पुत्र जोधाराम समान भाग 21/25 जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी।
54	208	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.061	अमितकुमार आदेश नावा० पुत्रान मुकेश नावा० सर० वोचा खुद वृन्दावन पुत्र जोधाराम जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी।
55	209	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.002	अमितकुमार आदेश नावा० पुत्रान मुकेश नावा० सर० वोचा खुद वृन्दावन पुत्र जोधाराम जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी।
56	211	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	संतोषी सियाराम पता धन्सू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।
57	212	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.135	संतोषी सियाराम पता धन्सू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।
58	218	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.068	चिरोंजी बेवा चिम्मनसिंह रामदीन पुत्र चिम्मनसिंह सरवती प्रेमवती सुन्ती पुत्रियां चिम्मनसिंह स० भा० 1/3 जाति कुशवाह नि० मंकूदा फूलसिंह पुत्र छोटे भाग 1/6 छोटे पुत्र धर्मजीत जाति कुशवाह पता नि० ग्राम भाग 1/2 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 217
कुल				10.841	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 50-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18

प्रारम्भिक अधिसूचना

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- अलापुर, तहसील व उपखण्ड- जौरा, जिला-मुरैना में कुल रकवा 1.787 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना तहसील- जौरा के ग्राम- अलापुर प.ह.नं- 62, रा.नि. वृत्त-02 में उक्त परियोजना के लिये 1.787 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	385/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	अशोक कुमार पुत्र बहादुरलाल कोम कायस्त नि० जौरा रकवा 19797 वर्गफुट आशा मंगल पत्नी प्रकाशचन्द जाति वैश्य नि० जौरा भाग 1200 वर्गफीट रामनरेश पुत्र सियाराम भाग 1555 वर्गफीट जाति त्यागी नि० बिलगांव सुनीता पत्नी मनोज श्रीवास्तव नि० मई भाग 675 वर्गफीट सरमन पुत्र गनपति भाग 750 वर्गफीट जाति कोरी नि० ग्राम भूमिस्वामी देवेन्द्र पुत्र रघुनाथ प्रसाद भाग 152 वर्गफीट जाति ब्रा० नि० अरहेला अजय कुमार पुत्र जगदीशप्रसाद भाग 675 वर्गफीट जाति कायस्थ नि० मई रंजना पत्नी बलिराम भाग 635 वर्गफीट जाति जैन नि० कस्वा जौरा गिराज किशोर पुत्र हरीराम सिंघल जाति वैश्य नि० कस्वा जौरा भाग 960 वर्गफीट प्रधुमन जैन पुत्र लक्ष्मण दास भाग 128 वर्गफीट जाति वैश्य पता नि० पचविघा रोड जौरा भूमिस्वामी मुरारीलाल पुत्र गुलाबराम भाग 750 वर्गफीट जाति कुशवाह नि० नन्दगा गोली हाल नि० जौरा प्रदीप शर्मा पुत्र छत्रपाल शर्मा 848 वर्गफीट जाति ब्रा० नि० चिन्टोनी करैरा हाल नि० त्यागी धर्मशाला के पिछे कस्वा जौरा भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.94
2	385/2/ मिन 1 387	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013 0.014	रामदयाल अमरसिंह पुत्रगण मूला स० भाग 1/2 सन्तो पुत्री मूला भाग 1/4 दुर्गिया वेवा छोटटली श्रीनिवास पुत्रगण छोटटली सरोज

	385/2 387/मिन 2				कमलेश पुत्रियां छोटटली समान भाग 1/4 दर भाग 4495 वर्गफीट जगदीश पुत्र मंगला प्रसाद भगवती वेवा मंगला प्रसाद समान भाग 935 वर्गफीट जाति कोरी दर्शनलाल पुत्र दुर्जन भाग 364 वर्गफीट जाति कोरी पता नि0 बसन्त नगर जौरा भूमिस्वामी सुधा पत्नी मुन्ना लाल जाति वैश्य पता निवासी कस्बा जौरा 400 वर्गफुट भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.52
3	407/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	जमीला पत्नी इमामुददीन जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.31
4	425	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.061	तैजसिंह पुत्र कन्हैयालाल भाग रकवा 3317 व0फू0 कलावती बेवा कुढरी निर्मला पुत्री कुढरी समान भाग 3318 व0फू0 जाति महाजन राजेश कुमार पुत्र रामकृष्ण भाग 2365 व0फू0 जाति स्वर्णकार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.63
5	1032	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	रत्नगिरि पुत्र बलदेवगिरि पट्टा ग्रहीता औकाफ डिपार्टमेंट प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना जाति गुसाई पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
6	1033	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.139	मो0 असगरखां, मो0 अहसानखां पित रामजानखां 1/3 समान, सुलतान अहमद पुत्र दायमखां 1/3 खेरून पत्नी विन्दु खां 1/3 जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.75
7	1034	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.069	रत्नगिरि पुत्र बलदेवगिरि पट्टा ग्रहीता औकाफ डिपार्टमेंट प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना जाति गुसाई पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
8	1035	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.066	ग्यासीराम दर्शनलाल पुत्रान रमले जाति कोरी पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.90।
9	1036	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.054	अहमद हुसैन खां पुत्र वावूखां जाति मुसलमान भा0 16/31 रकवा 111/1 विश्वा व जगदीश पुत्र वेदरिया राजकुमार पुत्र वेदरिया स0 भा0 1/2 जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 9.50।
10	1037/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.068	वेदरिया पुत्र श्यामदयाल जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।
11	1212	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.133	आशाराम पुत्र मुल्ला भाग 3350 वर्गफीट जाति नाई नि0 जौरा विनीता सिंघल पत्नी दिलीप भाग 10500 वर्गफीट जाति वैश्य नि0 जौरा पुष्पा पत्नी सिकन्दर भाग 3025 वर्गफीट जाति किरार नि0 जौरा लक्ष्मीकान्त संतकुमार अरबिन्द कुमार पुत्रगण लालजीत समान भाग 11250 वर्गफीट जाति ब्रा0 नि0 मुदावली मुकेश वशिष्ठ पुत्र द्वारिकाप्रसाद भाग 6720 वर्गफीट जाति

11/8

					ब्रा0 पता नि0 ग्राम मुदावली भूमिस्वामी।
12	1215/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	सुल्तानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि0 ग्राम दर भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी नबाब सिंह पुत्र बालकिशन भाग 1/3 रहमान खां नबाब खां अरमान खां नावा0 पुत्रान फरीद खां सर0 भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम स0 भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी।
13	1219/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	सुलतानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि0 ग्राम दर भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी नबाबसिंह पुत्र बालकिशन भाग 1/3 रहमान खां नबाब खां अरमान खां नावा0 पुत्रान फरीद खां सर0 भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम स0 भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी
14	1220	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.092	सुलतानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि0 ग्राम दर भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी नबाबसिंह पुत्र बालकिशन भाग 1/3 रहमान खां नबाब खां अरमान खां नावा0 पुत्रान फरीद खां सर0 भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम स0 भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी
15	1222/क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	सूबेदारसिंह सरदारसिंह जगदीशसिंह मुन्नासिंह महेन्द्रसिंह पिस0 बावूसिंह अनीता पुत्री बावूसिंह स0 भाग 5/8 लक्ष्मी पत्नी रामजीलाल भाग 1/8 प्रीतम पिस0 हरमोहन समान भाग 1/8 जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी नेतराम राजेन्द्र कल्याण सिंह पुत्रान भोगीराम कमला चन्द्रकला उर्मिला पुत्रियां भोगीराम जाति किरार पता नि0 ग्राम समान 1/8 भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.56
16	1223	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.086	रामभरोषी पुत्र वीधाराम जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.81
17	1225	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.102	दशरथ राघवेन्द्र पुत्रान मूरली नावा0 अनीता पुत्री मुरली नावा0 नावा0 सरप मां0 खुद अंगुरी बेवा मुरली स0 भाग 4/5 अतुल पुत्र रामवीर सोमू पत्नी रामवीर समान भाग 1/5 जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.31
18	1226	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	अमृतलाल रमेश बाबूलाल दर्शनलाल पुत्रान छिद्दीराम व देवश्री बेवा छिद्दीराम जाति किरार पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.15

19	1227	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	अमृतलाल रमेश बाबूलाल दर्शनलाल पुत्रान छिद्वीराम व देवश्री बेवा छिद्वीराम जाति किरार पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.15
20	1231	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.106	गुडडी पुत्र चिन्दू जाति धोवी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 15.94
21	1241	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	दशरथ राघवेन्द्र पुत्रान मूरली नावा० अनीता पुत्री मुरली नावा० नावा० सरप मां० खुद अंगुरी बेवा मुरली स० भाग 4/5 अतुल पुत्र रामवीर सोमू पत्नी रामवीर समान भाग 1/5 जाति किरार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 10.00
22	1297/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.109	रमेशचन्द्र रामहेत पुत्रगण मंगलिया बसन्ती उर्मिला बाई मित्ता बाई नर्मदा पुत्रियां मंगलिया समान भाग जाति धोवी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी।
23	1297/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		बैजनाथ पुत्र कमला जाति धोबी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
24	1298/मिन 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.112	रामजीलाल पुत्र हीरालाल जाति किरार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.28
25	1298/मिन 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सूबेदार सिंह सरदार सिंह जगदीश सिंह मुन्ना सिंह महेन्द्र सिंह पुत्रान बाबूसिंह जाति किरार पता नि० ग्राम स० भाग भूमिस्वामी
26	1306	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.066	नेतराम रामदयाल रामचरन पुत्रगण चौखरिया स० भग 3/4 रामनिवास नरेन्द्र संजय अजय पुत्रगण मोतीराम स० भाग 1/4 जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।
27	1307	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	विनोद पुत्र भगवानलाल भाग 3/4 राजकुमारी पुत्री भगवानलाल भाग 1/4 जाति किरार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
28	1310	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.126	आशा पत्नी वीरेन्द्र कुमार जाति ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1309/1
कुल				1.787	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

भास्कर लाक्षाकार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 17-अ-82-17-18-543

सागर, दिनांक 12/6 जनवरी 2018

मौजा सींगना पट. ह. नं. 131 तहसील सागर

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत सींगना माईनर नंबर-6, 7 एवं 8 नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : सींगना
4. पट.ह.नं.- : 131
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 7.636 हे.

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता एवं पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
सींगना माईनर नंबर-6						
1	गजराजसींग पिता खिलानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	390	0.820	0.150	
2	सरोजरानी बेवा विन्दावन कमलेश माधव नावा. पिता विन्दावन बली मां सरोजरानी बेवा विन्दावन गीता बाई कुंवर बाई पिता विन्दावन बली मां सरोजरानी बेवा विन्दावन साकिन देह	भूमिस्वामी	391/1	1.090	0.192	
3	कमलेश माधव ना. वा. बल्द वृन्दावन गीताबाई कुंवरबाई ना. बा. पुत्री वृन्दावन बली आज्ञा गजराज बल्द खिलान सा. देह	भूमिस्वामी	391/2	0.550		
4	विन्दावन पिता हरप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	405	1.640	0.126	
5	रामस्वरूप संतोष पिस. माखन सिंह शीलरानी पति माखनसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	401	0.540	0.002	
6	मुकेश पिता अच्छेलाल साकिन औरिया	भूमिस्वामी	404	1.130	0.119	
7	सियारानी पति कच्छेदी साहू साकिन बरोदा सागर	भूमिस्वामी	407	1.140	0.543	
8	चतुर्भुज बल्द गुलाब साकिन देह	भूमिस्वामी	403	0.930	0.139	
9	छतरसींग पिता भगोनी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408	1.480	0.461	
		भूमिस्वामी	473	0.770	0.063	
10	रमेश बल्द गुलाब साकिन देह	भूमिस्वामी	470	0.350	0.067	
		भूमिस्वामी	468	0.130	0.003	
11	रामदास पिता छतरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	471	0.410	0.154	
12	जवाहर पिता मन्लाल साकिन देह	भूमिस्वामी	472	0.780	0.135	

सींगना माईनर नंबर-7					
13	भागीरथ पिता हरीसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	365/1	1.260	0.269
14	राजाराम वल्द ललजू साकिन देह	भूमिस्वामी	365/2	0.410	
15	नरबदा पिता भागीरथ चढार साकिन देह	भूमिस्वामी	365/3	0.200	
16	हल्लाभाई पिता भागीरथ चढार साकिन देह	भूमिस्वामी	365/4	0.600	
17	कड़ोरी लटोरी पिता हल्का साकिन देह	भूमिस्वामी	370/1	0.830	0.384
18	गीताबाई पति गजराजसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	370/2	0.980	
19	रतन पिता कन्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	372/1	0.600	0.007
20	लखन पिता कन्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	372/2	0.630	
21	दशरथ पिता कन्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	374/1	0.450	0.322
22	बिहारी पिता कन्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	374/2	0.780	
23	शंकरसींग वल्द कमोदसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	375	0.220	0.456
24	रतन पिता कन्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	373/1	0.660	0.408
25	लखन पिता कन्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	373/2	0.630	
26	भैयालाल पिता कन्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	373/3	1.260	
27	दशरथ पिता कन्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	373/4	0.810	
28	कमल राजेश मोहन रामस्वरूप पिता मोती कुसुमरानी देवा मोती साकिन देह	भूमिस्वामी	238	0.380	0.043
29	शेवप्रसाद मिट्टू रूपसींग पिता श्याम पूरन, हीराबाई, सरीबाई, गौतमबाई, मुनीबाई पुत्री पूरन, हेमराज, शिवराम पिता भगवानदास, तुलसा, जनकी पुत्री भगवानदास, सुखरानी देवा मानसींग, रामवती, राधा, द्रोपती पुत्री दुर्जन साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी	239 324 254	0.380 0.650 0.240	0.067 0.072 0.022
30	सीताराम कोमल खूबसींग हरीराम, चैनसींग पिता गिरधारी, प्रांगबाई पुत्री गिरधारी, रामदुलैया देवा गिरधारी, वंशी वल्द हिरऊ साकिन देह	भूमिस्वामी	253/1	0.510	0.039
31	मेदाबाई देवा वंशी माधवसींग पिता वंशी प्यारीबाई पुत्री वंशी, चन्द्रभान पल्द हरिभजन बल्द रामराजा सावित्री पुत्री राजाराम रामरानी पति राजाराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	253/2	0.510	
32	सीताराम कोमल खूबसींग हरीराम, चैनसींग पिता गिरधारी, प्रांगबाई पुत्री गिरधारी, रामदुलैया देवा गिरधारी, वंशी वल्द हिरऊ साकिन देह	भूमिस्वामी	243	0.380	0.086
33	मरी पिता रामदयाल, पारवतीबाई पुत्री रामदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	240	0.420	0.072
34	दीपसींग पिता चित्तरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	244/1	0.090	0.024
35	खूबसींग बल्द नाथूराम साकिन देह	भूमिस्वामी	244/2	0.030	
36	दीपसींग पिता चित्तरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	247/1	0.260	0.226
37	खूबसींग बल्द नाथूराम साकिन देह	भूमिस्वामी	247/2	0.250	
38	भगवानसिंह पिता चित्तरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	247/3	0.250	
39	रामकिशन हनुमत पिस. गोले जानकीबाई भागबाई पुत्री गोले नन्हेभाई वल्द खुशाल प्यारेलाल वल्द खेतसींग दुलारी पत्नि मूलचंद रूपसींग वल्द डोमन सुहागरानी पति नन्हेभाई मुन्ना वल्द खेतसींग लखन वल्द हनुमत साकिन देह	भूमिस्वामी	251	1.680	0.183
40	प्रहलाद सींग हरगोविन्द शंकर सिंह पिस. कमोद सींग गीताबाई पुत्री कमोदसिंह रानी देवा कमोद सिंह लखनसिंह रगवीरसिंह भूपत सिंह, लक्ष्मीसिंह पिता ग्याप्रसाद, बेनीबाई, शांतिबाई, बैजन्तीबाई, लीलाबाई पुत्री ग्याप्रसाद, सुहागरानी देवा ग्याप्रसाद, बाबूलाल वल्द रामलाल, गनेश सिंह वल्द प्यारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	64	1.070	0.274
41	निरंजन वल्द नरान सींग मीनाबाई पुत्री नरानसींग, गोलू दीपू नाबालिग पिता निरंजन वली व खुद माँ जानकी पति निरंजन साकिन देह	भूमिस्वामी	62/1	0.960	0.125
42	अशोकशरानी पति हम्मीरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	62/2	0.200	
43	मुदऊ पिता रंजोर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	60/1	0.80	0.504
44	हम्मीरसींग पिता कुदऊसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	60/2	3.600	
45	गोविन्दासींग बल्द कुदऊसींग साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	60/3 57	1.510 0.300	0.048
46	शिवराजसींग वल्द गनेशसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	30/1	6.230	0.634
47	गुलाबवाई पत्नि शिवराज पुत्री बाबूलाल साकिन कोयरा	भूमिस्वामी	30/2	2.000	

48	चन्द्रमान उर्फ बिहारी वल्द दीपसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	51	1.610	0.264	
49	शिवदयाल किशोरसींग छतरसींग पिता बद्दूलाल, लालसाब बालिग इमरत, रामजी, लीलाधर नाबालिग खेतसींग वली माँ व खुद सदारानी वेवा खेतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	52	3.190	0.003	
50	नाथूराम पिता चित्तरसिंह लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	50	0.930	0.163	
सींगना माईनर नंबर-8						
51	रामनाथ पिता राजाराम साकिन पथरिया	भूमिस्वामी	300/1	0.750	0.355	
52	कमल, राजेश पिता मोतीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	300/2	0.800		
53	कोमल वल्द नंना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	299/1	0.840	0.432	
54	विन्दावन पिता काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	299/2	1.000		
55	सुरेन्द्र नाबालिग पिता व वली विन्दावन साकिन देह	भूमिस्वामी	299/3	0.890		
योग:-			60	54.790	7.636	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 47-अ-82-17-18-294

सागर, दिनांक 8 जनवरी 2018

मौजा महका पट. ह. नं. 19 तहसील केसली

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : महका
 4. पट.ह.नं.- : 19
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.100 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मनोहर वल्द विष्णु साकिन देह	भूमिस्वामी	58/1	1.060	0.200	
		भूमिस्वामी	83/2	0.400	0.020	
2	वल्देव वल्द बालकिशुन साकिन देह	भूमिस्वामी	59/1	1.240	0.120	
3	राजधर पिता बालकिशुन साकिन देह	भूमिस्वामी	59/4	1.230	0.160	
4	रामनिवास पिता घसीटे साकिन देह	भूमिस्वामी	78/3	0.800	0.080	
5	रामनिवास पिता घसीटे साकिन देह	भूमिस्वामी	79	0.890	0.080	
6	सोनाबाई पुत्री सरमन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	80/4	0.810	0.020	
		भूमिस्वामी	81	1.550	0.060	
7	नन्हेभाई पिता टीकाराम लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	84/2	0.200	0.120	
		भूमिस्वामी	85/1	1.810	0.130	
8	जगदीश, रामेश्वर, द्वारका पिता शंभूदयाल, लीलावती, सावित्री, हरीबाई पुत्री शंभूदयाल, श्यामरानी वेवा शंभूदयाल, प्रभू, कमल वल्द प्याप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	148/1	0.500	0.030	
		भूमिस्वामी	149	1.430	0.070	
9	दुरगारिंह वल्द विष्णु साकिन देह	भूमिस्वामी	148/2	0.460	0.140	

10	जगदीश वल्द रामप्रसाद साकिन महका	भूमिस्वामी	154/1	1.410	0.090
11	रामेश्वर वल्द रामप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	154/2	1.420	0.140
12	छोटेलाल वल्द विष्णु साकिन देह	भूमिस्वामी	156/1	0.850	0.040
		भूमिस्वामी	157	0.630	0.060
13	कमलबाइ पति अजुद्धी साकिन देह	भूमिस्वामी	195	0.350	0.120
14	निर्मल कुमार पिता लालचंद जैन साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	197/1	0.540	0.030
		भूमिस्वामी	199	0.780	0.070
15	श्रीदेव पारसनाथ मंदिर मौजा देह मुह. संतोष कुमार वल्द गुलझारीलाल, धरमचंद वल्द अयोध्या प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	197/4	0.400	0.020
16	रमेश प्रसाद उर्फ रामप्रसाद पिता भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	197/5	0.140	0.040
17	श्यामरानी पति दुरगसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	197/6	0.320	0.040
18	संतोष कुमार, अमरचंद, अनिल कुमार, अशोक कुमार पिता गुलझारीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	200	0.800	0.090
19	संतोष कुमार, अमरचंद, अनिल कुमार, अशोक कुमार पिता गुलझारीलाल, शीलरानी देवा गुलझारीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	201	1.270	0.040
		भूमिस्वामी	202	1.090	0.140
20	जीवन सिंह पिता भैयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	203/1	0.100	0.030
		भूमिस्वामी	215/2	0.510	0.060
21	परसराम पिता भैयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	204/3	0.360	0.090
22	बारेलाल वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	203/2	0.810	0.060
23	बारेलाल वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	215/1	0.600	0.080
24	टीकाराम वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	204/1	1.840	0.180
25	रामनारायण पिता जवाहर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	204/4	0.920	0.180
26	द्वारका वल्द हरप्रसाद साकिन पटनाखुर्द	भूमिस्वामी	216	0.590	0.030
27	बैजनाथ पिता उमराई साकिन देह	भूमिस्वामी	206	4.850	0.240
योग:-			35	32.960	3.100

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 51-अ-82-17-18

सागर, दिनांक 22 जनवरी 2018

मौजा बिलहरा पट. ह. नं. 134 तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे आंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बिलहरा माईनर नंबर-2 एवं 2 नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : बिलहरा
4. पट.ह.नं.- : 134
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 16.054 है.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल हे.में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
बिलहरा माईनर नंबर-2						
1	बिजेन्द्र सिंह पिता यतेन्द्र सिंह उर्फ इन्द्राज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	460	5.700	0.086	
2	गोकल पिता गफलू साकिन देह	सेवा खातेदार	388	1.500	0.072	
3	माया उर्फ सरिता पति माधव हि. 900 वर्गफीट, माधव वल्द बैजनाथ हि. 400 वर्गफीट अमित पिता माधव प्रसाद हि. 400 वर्गफीट, अजय पिता माधव हि. 400 वर्गफीट, अलका पुत्री माधव हि. 1152 वर्गफीट, अतुल पिता माधव हि. 600 वर्गफीट, श्रद्ध वल्द अमित प्रसाद हि. 600 वर्गफीट, स्वप्निल पति अजय हि. 600 वर्गफीट, अजय पुत्री माधव हि. 1200 वर्गफीट, अनिल वल्द मुन्नालाल हि. 1360 वर्गफीट साकिन देह	भूमिस्वामी	393/1	0.07	0.007	
4	माया पति माधव प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	393/2	0.970		
5	जयविजय वल्द हरीसींग, मुंशी वल्द रामसींग, उपेन्द्र वल्द पृथ्वीसिंह साकिन महुवाखेड़ा, वीरसींग पिता महेन्द्र सींग साकिन तिलकगंज वार्ड सागर हि 1350 वर्गफीट	भूमिस्वामी	453/1	0.130	0.115	
6	रमेश सिंह, जाहर सिंह पिता श्री सींग साकिन बक्सवाहा	भूमिस्वामी	453/2	0.300		

7	रामा पति श्याम सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	387/1	0.400	0.461
8	अवधेश, अजीत सिंह पिता श्याम सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	387/2	1.260	
		भूमिस्वामी	389	0.900	0.153
9	हन्नू पिता परसू साकिन देह	भूमिस्वामी	391	0.410	0.125
10	हरकिशन पिता दुर्गा साकिन देह	भूमिस्वामी	392	1.060	0.067
11	जुगल किशोर पिता पुरुषोत्तम, रूपकिशोर, बृहम्मदत्त, दुष्यंत पिता बृजकिशोर उषाकिरण देवा बृजकिशोर साकिन देह	भूमिस्वामी	342	9.380	0.643
12	यतेन्द्र सिंह उर्फ इन्द्राज पिता बलवंत सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	341	5.660	0.384
13	माधव, संतोष पिता बैजनाथ, प्रागबाई, पूनाबाई, अनुसुईयाबाई, सरोजबाई पुत्री बैजनाथ, किरणबाई उर्फ बोकाबाई देवा मुन्ना, हीरो उर्फ अनिल पिता मुन्ना, बसंतकुमार पिता सत्यनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	379	6.470	0.105
14	रविशंकर पिता दीनानाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	1418	2.970	0.240
15	देवीदयाल पिता नर्मदाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	1142	1.610	0.612
16	पदमसींग अजय कुमार पिता जैसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1141	0.210	0.120
17	परमानंद पिता गनपत सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1140	0.210	0.126
18	बाबूलाल बल्द गफलू साकिन देह	भूमिस्वामी	1128	0.540	0.240
19	गोरिलाल पिता गफलू पिता सुखलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1127	0.060	0.030
20	गोरिलाल पिता सुखलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1126	0.890	0.252
21	गारदाबाई उर्फ कुशुमरानी पुत्री रामप्यारे देवा चन्द्रशेखर साकिन देह	भूमिस्वामी	1095	0.780	0.276
22	प्रहलाद बल्द भवानी प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	1093	1.160	0.144
23	प्रहलाद भवानी प्रसाद सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1092/1	0.730	0.120
24	प्रहलाद बल्द भवानी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1092/2	0.730	
25	प्रहलाद बल्द भवानी प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	1091/1	0.300	0.132
26	हेमन्त ना. वा. बल्द वली रामेश्वर प्रसाद बल्द गोकल प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	1091/2	0.800	
27	अलकन पिता समनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	1090	1.080	0.126
28	नारायण प्रसाद पिता गोकल साकिन देह	भूमिस्वामी	1089	0.320	0.020
29	राजकुमारी पति दीरसींग साकिन अहमद नगर विन्दावन वार्ड सागर	भूमिस्वामी	1088	0.810	0.174
30	रामेश्वर पिता गोकुल साकिन देह	भूमिस्वामी	1087/1	1.400	0.312
31	सुरेश वल्द गोकल साकिन देह	भूमिस्वामी	1087/2	0.920	
32	बालचंद पिता लक्ष्मण साकिन देह	भूमिस्वामी	978	1.420	0.360
33	सुरेश पिता गोकल सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1085	0.380	0.077
34	नत्थू पिता दुरगा खजुरियावारी देवा दुरगा साकिन देह	भूमिस्वामी	990	0.990	0.168
35	काशीराम पिता फूलसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	989	0.990	0.264
36	चन्द्रभान पिता बालमुकुन्द साकिन सागर	भूमिस्वामी	988/1	0.010	
37	राकेश कुमार बृजेशशरण वल्द चूरामन, नीलेश कुमार नाबालिग वल्द नवीन कुमार, प्रकाश कुमार नाबालिग वल्द प्रवीण कुमार पालक आजी गोरबाई पति चूरामन साकिन देह	भूमिस्वामी	988/2	0.170	0.010
38	जितेन्द्र सिंह पि. विजयबहादुर निर्मलादेवी देवा विजय बहादुर सिंह भूमि स्वामी हीरेन्द्र कुमारी तिलोत्तमा कुमारी जयवंत कुमारी पुत्री विजय बहादुर सिंह, कुलदीप, दिलीप सिंह, संदीप नाबालिग पिता रणधीर सिंह पालक व खुद मौ हेमकुमारी देवा रणवीर सिंह प्रेमसिंह वल्द अमोल सिंह साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	1019/1	5.590	0.576
39	कनई पिता तुलसीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	1019/2	0.030	

40	जितेन्द्र सिंह बल्द विजय बहादुर सिंह नर्मदा इन्द्राज मोहन जमना पिता नन्हा, जमना बल्द नन्हेलाल, चन्द्रानी पति हीरालाल, संतोषरानी पति बालमुकुन्द साकिन देह	भूमिस्वामी	1019/3	0.390	
41	जितेन्द्रसिंह पिता विजयबहादुर सिंह, निर्मला देवी देवा विजय बहादुर सिंह, माला बालिग अनीता नाबालिग पुत्री रणधीर सिंह पालक व खुद माँ हेमकुमारी देवा रणधीर सिंह, हीरेन्द्र कुमारी सिलोचना कुमारी जसवंत कुमारी पुत्री विजयबहादुर सिंह, कुलदीप, दिलीप कुमार, संदीप नाबालिग पिता रणधीर सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1022	0.660	0.138
42	जितेन्द्र सिंह पिता विजयबहादुर सिंह, निर्मला देवी देवा विजयबहादुर सिंह, माला बालिग अनीता नाबालिग पुत्री रणधीर सिंह पालक व खुद माँ हेमकुमारी देवा रणधीर सिंह, हीरेन्द्र कुमारी, सिलोचना कुमारी, जसवंत कुमारी पुत्री विजय बहादुर सिंह, कुलदीप, दिलीप कुमार, संदीप नाबालिग पिता रणधीर सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	862	1.270	0.312
43	गोमतीबाई देवा दिमान रमली हीरालाल गोकल, प्रेमदयाल, पिता दिमान हीराबाई मलतोबाई, गीताबाई, ललताबाई पुत्री दिमान सा. देह	भूमिस्वामी	845/1	0.310	0.077
45	गोकल पिता दिमान पटेल साकिन देह	भूमिस्वामी	845/2	0.070	
46	जितेन्द्र सिंह पिता विजय बहादुर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	846/1	5.100	
47	संदीप नाबालिग पिता रघवीर सिंह, दीपमाला बालिग अनीता नाबालिग पुत्री रघवीर सिंह बली व खुद माँ हेमकुमारी देवा रघवीर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	846/2	2.550	0.864
48	जितेन्द्र सिंह पिता विजय बहादुर, सुभान खाँ बल्द पीर मुह.	भूमिस्वामी	846/5	0.020	
49	सुमतरानी देवा नारान, भगवानदास, बाबूलाल, दामोदर, मनोहर पिता नरान, गोपीबाई, मालतीबाई, जयन्ती, उमा, कौशिल्या, मोतीबाई पुत्री नरान साकिन देह	भूमिस्वामी	507	0.200	0.125
50	रतन पिता बैनी साकिन देह	भूमिस्वामी	508	0.220	0.096
51	दयाली नन्हेलाल घनश्याम हीरालाल पिता केहरी, सुकरानी देवा केहरी, प्रीति पुत्री केहरी साकिन देह	भूमिस्वामी	506	0.070	0.012
52	किसान पुत्र उद्धार (शिक्षा) समिति बिलहरा सचिव कृष्णा सिंह पिता छोटे सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	505	0.760	0.134
53	कुवरबाई देवा उदयमान सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	504	1.300	0.278
54	छोटेसींग नन्हेमैया पि. भैयालाल पिता भैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	513/1	0.750	0.029
55	किसान पुत्र उद्धार (शिक्षा) समिति बिलहरा सचिव कृष्णा सिंह पिता छोटे सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	513/2	0.170	
56	फूलाबाई देवा उदयमान सींग सा. देह	भूमिस्वामी	503/1	0.160	0.007
		भूमिस्वामी	503/2	0.110	
57	माधव प्रसाद बल्द बैजनाथ प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	500/1	1.550	0.240
58	अमित पिता माधव प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	500/2	1.010	
59	प्रकाशचंद पिता मगनचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	499	1.120	0.135
		भूमिस्वामी	495	1.370	0.144
60	दिनेश कुमार, श्रीचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	478	1.400	0.202
		भूमिस्वामी	477/2	0.690	0.144
61	रामदास रादयाल पिता कच्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	477/1	0.060	0.202
62	बिहारी पिता भैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	475	0.400	0.125

63	गरिमा पति रितुल कुमार साकिन सागर	भूमिस्वामी	466	0.810	0.192	
64	रमेशचन्द्र पिता छोटेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	464/1	1.010	0.115	
65	रमेशचन्द्र बल्द छोटेलाल राजेन्द्रकुमार बल्द रमेशचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	464/2	0.800	0.048	
66	विजेन्द्रसिंह पिता यतेन्द्रसिंह उर्फ इन्द्राजसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	460	5.700	0.422	
बिलहरा माईनर नंबर-3						
67	कमल क्रांति पत्नि संतोषकुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	770	2.370	0.018	
68	विष्णुप्रसाद पिता पंचम साकिन देह	भूमिस्वामी	764/1	2.050	0.528	
69	अमरसींग वल्द चेतु सा. देह	भूमिस्वामी	764/2	2.050		
70	मुरलीधर पिता गुवन्दी साकिन देह	भूमिस्वामी	763	1.830	0.187	
71	मनीष पिता यशोदानंदन साकिन देह	भूमिस्वामी	758/1	1.390		
72	कुसुमरानी पति मुन्ना साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	758/2	0.890	0.057	
73	भगवानदास वल्द रमेश साकिन देह	भूमिस्वामी	758/3	1.000		
74	चेतु पिता हल्का सा. देह मुरारीसिंह पिता विजयसिंह साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	759	0.790	0.019	
75	कुसुमरानी पत्नि मुन्ना साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	757	1.100	0.375	
76	प्रतापसींग शिवराज सींग इन्द्राज सींग ना. वा. पिता जगतसींग पालक काका गोकलसींग साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	748	2.050	0.264	
77	नमीता पति अरविन्द सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	720/1	2.000		
78	सत्यनारायन ना.वा. बल्द वीरसींग अभिषेक ना.वा. बल्द राजन बल्द आज्ञा महाराजसींग वल्द लक्ष्मनसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	720/2	0.600	0.712	
79	राघवेन्द्र पिता विजय सिंह साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	720/3	1.790		
80	सुरेन्द्र पिता प्रताप सिंह साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	720/4	1.600		
81	प्रकाशचंद पिता भगनचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	723	1.950	0.115	
82	सियाबाई पत्नि शिवराज सिंह राधाबाई पत्नि इन्द्राज सिंह अनिरुद्ध ना. वा. पिता प्रताप सिंह पालक जगतसिंह साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	715	4.820	0.096	
83	श्री देव जानकी रमण जी मंदिर	भूमिस्वामी	714	2.020	0.288	
84	इन्द्राजसिंह पिता जगतसिंह साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	713	0.810	0.173	
85	अनिरुद्धसींग पिता जगतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	691	0.500	0.178	
86	लक्ष्मी प्रसाद पिता बद्दीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	688	0.930	0.192	
87	करन सींग बल्द सुम्मेर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	693	1.190	0.115	
88	औकार पिताशंकर प्रसाद लक्ष्मीप्रसाद पिता बद्दीप्रसाद रामसखी अशोकरानी पु० बद्दीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	687	1.550	0.002	
89	लोकमन वल्द द्वारकाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	556/1	1.270	0.384	
90	बाबूलाल वल्द द्वारकाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	556/2	1.270		
91	नोकेलाल वल्द द्वारकाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	556/3	1.260		
92	भूपत वल्द द्वारका साकिन देह	भूमिस्वामी	558/1	0.600	0.120	
93	द्वारका पिता गनेश साकिन देह	भूमिस्वामी	558/2	1.520		
94	भूपत वल्द द्वारका साकिन देह	भूमिस्वामी	559/1	0.580	0.086	
95	गणपू पि. कच्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	559/2	0.700		
96	श्री देव जानकी रमण जी मंदिर प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	562	1.460	0.154	
97	प्यारीबाई पुत्री हरीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	564/1	0.120	0.168	
98	दम्पू उर्फ दामोदर, मोहन पिता रमली साकिन देह	भूमिस्वामी	564/2	0.480		
99	भगवानदास पिता नारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	567	0.650	0.062	
		भूमिस्वामी	586	0.520	0.053	

100	नंदलाल, घनश्याम, शालकराम पिता सुकई, ललिता पुत्री सुकई, शियारानी वेवा सुकई, टन्डू पिता शंकर, लटोरी पिता मजरी, कन्छेदी पंचू पिता मुलू, कनई पिता हल्के, गुलाबरानी वेवा हरीराम, प्यारीबाई पुत्री हरीराम, लालसींग पिता मोहन, गोपीबाई वेवा केहरी, दयाली, नन्ना, घनश्याम, हीरालाल पिता केहरी, दामोती, प्यारी पुत्री केहरी, फूलरानी वेवा घसीटे, मधरवस मोहन, दामोदर पिता घसीटे, लक्ष्मीबाई, सवित्रीबाई पुत्री घसीटे, सुहागरानी वेवा छुट्टा, माधव, अच्छेलाल, नंदलाल, राजू पिता छुट्टा, नरबद, शारदा, गनेशी, प्यारी, हीरा पुत्री छुट्टा, सुमतरानी वेवा नरान, भगवानदास बाबूलाल, दामोदर, मनोहर पिता नरान, गोपीबाई, मालतीबाई, जयन्ती, उमा, कौशिल्या, मोतीबाई पुत्री नरान, रामरानी वेवा गिरधारी, कमल, डेलन, बाबूलाल, लक्ष्मण पिता गिरधारी, नत्थीबाई, मुलाबाई, तुलसाबाई, गोमती, अनीता पुत्री गिरधारी, कमलरानी वेवा चन्दन, मन्नु पिता चन्दन, रतन पिता नन्नी, भगवती, नन्नी, हल्की पुत्री बैनी, गुलाबरानी वेवा रामदास, सुकईया, हीरालाल, पुन्ना पिता रामदास साकिन देह	भूमिस्वामी	566	0.020	0.019
101	दयाली नन्हेलाल घनश्याम हीरालाल पिता केहरी, सुकरानी वेवा केहरी, प्रीति पुत्री केहरी साकिन देह	भूमिस्वामी	584	0.240	0.086
102	मन्नु पिता काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	583/1	0.260	0.154
		भूमिस्वामी	583/2	0.260	
103	रतन पिता लक्ष्मण साकिन देह	भूमिस्वामी	594	0.550	0.096
104	श्री देव जानकीरमण जी मंदिर बेदान्ती सागर मुहत्तमकार रामदास चेला हरीदास बैरागी साकिन सागर प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	592/1	0.090	0.003
105	घनश्याम पिता निरपत साकिन देह	भूमिस्वामी	592/2	0.880	
106	सुमतरानी वेवा नरान, भगवानदास, बाबूलाल, दामोदर, मनोहर पिता नरान, गोपीबाई, मालतीबाई, जयन्ती, उमा, कौशिल्या, मोतीबाई पुत्री नरान साकिन देह	भूमिस्वामी	593	0.350	0.134
107	नंदरानी वेवा काशीराम भगवानदास मन्नुलाल तुलसीराम, रामदास, गोविन्द वालिग प्रकाश, रामचरण नाबालिग पिता काशीराम वली माँ नंदरानी चंदोबाई वालिग पार्वतीबाई नाबालिग पुत्री काशीराम वली माँ नंदरानी दुलारी वेवा खेमचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	595	0.590	0.130
		भूमिस्वामी	601	0.060	0.002
108	सुहागरानी वेवा छुट्टा, माधोप्रसाद मैयालाल सुन्दर वन्द छुट्टा साकिन देह	भूमिस्वामी	596/1	1.530	0.230
109	माखन रामू न्थू घनश्याम पिता निरपत खानजू, प्रहलाद पिता कलू, द्रोपती पुत्री कलू, शियारानी वेवा कलू साकिन देह	भूमिस्वामी	602	0.990	0.139
110	माखन रामू न्थू घनश्याम पिता निरपत अक्धरानी वेवा उद्धेत, भागबाई, गोपीबाई पुत्री उद्धेत, शिबू पिता मुल्ले, खानजू प्रहलाद पिता कलू, द्रोपती पुत्री कलू शियारानी वेवा कलू साकिन देह	भूमिस्वामी	603	0.570	0.077
योग:-			116	141.440	16.054

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रमारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के

उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

प्र. क्र. 46-बी-121-2017-18

कटनी, दिनांक 15 जनवरी 2018

सार्वजनिक सूचना

चूकिं म0प्र0शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के, विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है। इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग कटनी के ग्राम भजिया,परसेल,पनसोखर, व छपरवाह के झिरगिरी जलाशय नहर कार्य से प्रभावित भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमिस्वामी /भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही है भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन किये जाने वाली भूमि का विवरण अर्जन किये जाने वाली भूमि का विवरण

ग्राम भजिया प0ह0नं034 रा0नि0मं0 बडवारा

स.क्र	ग्राम नाम	का नं0	प0ह0 नं0	प्रभावित कृषक का नाम	ख0नं0	कुल रकवा	अर्जित रकवा (हे0)
1.	भजिया		34	तीरथ प्रसाद वलद बालचंद वानी	624/3	0.20	0.04
2.	भजिया		34	मुन्ना, राकेश, संतीश वलद गुलाबचंद, कुसुमबाई बेवा गुलाबचंद बानी	624/1	0.04	0.04
3.	भजिया		34	गुडडीबाई ध0पं0 झुन्नीलाल काछी	863	0.09	0.04
4.	भजिया		34	जेठू मूलचंद वलद अकाली गडारी	911	0.30	0.01
5.	भजिया		34	नत्थू तीरथ वलद धनैया, कपसी, द्रोपती पुत्री धनैया,	1225	0.08	0.02
6.	भजिया		34	तीरथ वलद धनैया कुम्हार	1227	0.18	0.06
				कुल योग			0.21

ग्राम पनसोखर प0ह0नं0 35 रा0नि0मं0 बडवारा

स0 क्र0	ग्राम नाम	का नं0	प0ह0 नं0	प्रभावित कृषक का नाम	ख0नं0	कुल रकवा	अर्जित रकवा
1.	पनसोखर		35	तिजैया समैया वलद बारेलाल चमार	295	0.13	0.06
2.	पनसोखर		35	जगदीश वलद रामगोपाल	288	0.45	0.04
3.	पनसोखर		35	आशाराम वलद हल्ली साहू	275/1	0.05	0.02
4.	पनसोखर		35	श्यामलाल वलद हल्ली साहू	275/2	0.06	0.02
5.	पनसोखर		35	रामचरण रामकुमार वलद बाबूलाल काछी	212	0.18	0.03
6.	पनसोखर		35	बाबूलाल वलद गज्जू काछी	198	0.20	0.07
					202	0.25	0.04
				कुल योग			0.28

ग्राम परसेल प0ह0नं0 41 रा0नि0मं0 बडवारा

स0 क्र0	ग्राम नाम	का नं0	प0ह0नं0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा
1.	परसेल		41	रामगोपाल वलद मुलैया कोल	97	0.13	0.04
2.	परसेल		41	गोकूल वलद लसगर	98	0.15	0.03

3.	परसेल	41	जोधी वलद पुनउ मोहन, सोहन, मनोहर, सावित्री बेवा मनबोधी चमार	118/1	0.46	0.08
			कुल योग			0.15

ग्राम छपरवाह प0ह0नं0 34 रा0नि0मं0 बडवारा

स0 त्र0	ग्राम का नाम	प0ह0नं0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा
1.	छपरवाह	34	बिल्लो बाई ध0प0 ललन प्रसाद काछी	156/2	0.40	0.08
			कुल योग			0.08

(चारो ग्राम के अर्जन का कुल रकवा 0.72 हे)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विशेष गढपाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 5 अ-82-16-17-784

बैतूल, दिनांक 24/25 जनवरी 2018

प्रारंभिक अधिसूचना संशोधित

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 11206 दिनांक 13.10.2017 को ग्राम बलाईमाल तहसील चिचोली जिला बैतूल (म0प्र0) के 34 कृषको की 20.119 हे0 भूमि अर्जन का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया था। उक्त प्रारंभिक प्रकाशन में छूटे गए एवं सशोधन के निम्नानुसार रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक-2 बैतूल को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	चिचोली	बलहई माल	21.634	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल	बलाईमाल जलाशय

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

(पूर्व में प्रकाशित धारा 11 से छूटे गए एवं संशोधित रकबे तथा भूमि स्वामी के नाम निम्नानुसार है)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	107/1	0.757	0.300	गिरधारी, इमरत, सुमरत, रामदयाल व0 प्यारे सा0देह
2	87	1.189	1.189	संतु, कमल व0 माना, गोरे, बिहारी व0 भादू सिबू सम्मल व0 जुग्गी, रूनिया पिता जुग्गी, चिक्कू, सुन्दियाँ, छमिया व0 छन्नू ओझी, चैतराम व0 मुंशी, संतरा, बता पिता मुंशी, अमोली बे मुंशी जाति गोंड सा0देह
3	113	0.514	0.215	लक्ष्मण व. जुग्गी, सा0देह
4	92/1	0.592	0.592	बिसन व0 चुड़डी सा0देह
	86/3	0.874	0.874	
योग			3.170	

1- चूंकि बलाईमाल जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाह रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार व स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया गया है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल क बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेग

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 843

राजगढ़, दिनांक 15 जनवरी 2018

अनुसूची

क्रमांक /भू-अर्जन/2015 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2013-2014 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम सुरजखेड़ी के लिए डूब क्षेत्र में वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि :- ग्राम सुरजखेड़ी

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर
(1)	(2)	(3)
1	सुरजखेड़ी	49.966
कुलयोग :-		49.966

-: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि :- ग्राम सुरजखेड़ी

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	कुमेरसिंह पिता प्यारजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	3/1	0.386	0.386
		5/1	0.316	0.316
		109/1	0.240	0.240
		116/1	0.095	0.095
		117/1	0.082	0.082
		86/1	0.070	0.070
	योग	6	1.189	1.189
2	भगवानसिंह, विक्रमसिंह, मनोहरबाई पिता गंगाराम, गुलाबबाई बैवा गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	3/2	0.386	0.386
		4	0.152	0.152
		5/2	0.165	0.165
		109/2	0.215	0.215
		114	0.025	0.025
		116/2	0.095	0.095
		117/2	0.082	0.082
		86/2	0.069	0.069
		240/2	0.298	0.298
	योग	9	1.487	1.487

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
3	रामचन्द्र, जगदीश पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	6/1/1 7/1 153/1 154/1 241/1/1	0.084 0.133 0.038 0.101 0.164	0.084 0.133 0.038 0.101 0.164
	योग	5	0.520	0.520
4	बापूलाल पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	6/1/2 7/2 125/1 228/1 241/1/2	0.084 0.133 0.048 0.485 0.082	0.084 0.133 0.048 0.485 0.082
	योग	5	0.832	0.832
5	विजयसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	6/1/3 7/3 125/2 153/2 154/2 126/1 228/2 241/1/3	0.085 0.132 0.048 0.038 0.101 0.045 0.484 0.082	0.085 0.132 0.048 0.038 0.101 0.045 0.484 0.082
	योग	8	1.015	1.015
6	महेन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता रामसिंह, कैलाशबाई बेवा रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	6/1/4 7/4 125/3 241/1/4	0.084 0.132 0.048 0.083	0.084 0.132 0.048 0.083
	योग	4	0.347	0.347
7	भवानीसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	6/1/5 7/5	0.084 0.132	0.084 0.132
	योग	2	0.216	0.216
8	कांताबाई बेवा अमृतलाल, आनंदीलाल, कविताबाई ना.बा. अमृतलाल सर.पर.माता कांताबाई जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	6/1/6 7/6 125/5 95/2 228/5 241/1/5	0.084 0.132 0.048 0.215 0.485 0.083	0.084 0.132 0.048 0.215 0.485 0.083
	योग	6	1.047	1.047
9	गुलाबसिंह पिता गोपीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	6/2/1 8/3/1 64/1 96/1/1 129/1/1 132/1 83/1/1 242/1/1	0.084 0.180 0.071 0.016 0.031 0.010 0.036 0.122	0.084 0.180 0.071 0.016 0.031 0.010 0.036 0.037
	योग	8	0.550	0.465

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
10	कैलाश पिता गोपीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	6/2/2 8/3/2 64/2 68/1 83/1/2 96/1/2 129/1/2 132/2 67/1 242/1/2	0.084 0.180 0.072 0.051 0.036 0.017 0.032 0.009 0.038 0.122	0.084 0.180 0.072 0.051 0.036 0.017 0.032 0.009 0.038 0.073
	योग	10	0.641	0.592
11	श्रीलाल, दरियावबाई पिता गोपीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	6/2/3 8/3/3 64/3 96/1/3 129/1/3 132/3 242/1/3	0.085 0.180 0.072 0.017 0.032 0.009 0.122	0.085 0.180 0.072 0.017 0.032 0.009 0.061
	योग	7	0.517	0.456
12	बनेसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	6/3/1 8/2/1 83/2/1 129/2/1 96/2/1 242/2/1 241/2/1	0.042 0.090 0.024 0.021 0.012 0.200 0.083	0.042 0.090 0.024 0.021 0.012 0.200 0.083
	योग	7	0.472	0.472
13	केशरलाल पिता जगन्नाथ जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	6/3/2 8/2/2 96/2/2 161/1 241/2/2	0.105 0.225 0.030 0.095 0.109	0.105 0.225 0.030 0.009 0.109
	योग	5	0.564	0.478
14	बृजमोहन पिता बिहारीलाल, कौशल्याबाई पिता बिहारीलाल, चम्पीबाई बेवा बिहारीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	6/3/3 8/2/3 83/2/2 129/2/2 96/2/3 242/2/2 241/2/3	0.106 0.225 0.039 0.042 0.012 0.127 0.110	0.106 0.225 0.027 0.042 0.012 0.127 0.110
	योग	7	0.661	0.649

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
15	हरिसिंह पिता देवजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	8/1/1 9/1 59/1 61/1 62/1 96/3/1 121/1 127/1 129/3/1 60/1 244/3/1	0.134 0.107 0.041 0.016 0.006 0.017 0.022 0.022 0.009 0.013 0.013	0.134 0.107 0.041 0.016 0.006 0.017 0.022 0.022 0.009 0.013 0.013
	योग	11	0.400	0.400
16	बलवन्तसिंह पिता छोटेलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	8/1/2 9/2 59/2 61/2 62/2 83/3/2 96/3/2 127/2 129/3/2 60/2	0.135 0.107 0.041 0.016 0.006 0.036 0.017 0.023 0.010 0.012	0.135 0.107 0.041 0.016 0.006 0.036 0.017 0.023 0.010 0.012
	योग	10	0.403	0.403
17	जगदीश पिता देवजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	8/1/3 9/3 59/3 61/3 62/3 96/3/3 127/3 129/3/3 60/3 244/3/3	0.135 0.108 0.041 0.015 0.006 0.017 0.022 0.010 0.013 0.012	0.135 0.108 0.041 0.015 0.006 0.017 0.022 0.010 0.013 0.012
	योग	10	0.379	0.379
18	कुमेरसिंह पिता देवजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	8/1/4 9/4 59/4 61/4 62/4 83/3/4 96/3/4 127/4 129/3/4 60/4	0.135 0.108 0.041 0.016 0.007 0.036 0.017 0.022 0.009 0.013	0.135 0.108 0.041 0.016 0.007 0.036 0.017 0.022 0.009 0.013
	योग	10	0.404	0.404

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
19	घीसालाल, द्रोपतिबाई पिता भोनजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	12/1 13/1 14/1 15/1 19 21/1 22 24/1 29/1 74/1 97 98/1 110/1 23/1 20/1	0.076 0.063 0.120 0.316 0.152 0.013 0.126 0.057 0.335 0.050 0.076 0.044 0.101 0.107 0.101	0.076 0.063 0.120 0.316 0.152 0.013 0.126 0.057 0.335 0.050 0.076 0.044 0.101 0.107 0.101
	योग	15	1.737	1.737
20	रतनलाल, अनोखबाई पिता भोनजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	12/2 13/2 14/2 15/2 18/2 21/2 23/2 24/2 25 26 28/2 29/2 85/2 98/2 110/2 74/2 20/2	0.076 0.063 0.120 0.316 0.676 0.189 0.057 0.057 0.114 0.101 0.298 0.335 0.082 0.120 0.101 0.051 0.038	0.076 0.063 0.120 0.316 0.676 0.189 0.057 0.057 0.114 0.101 0.298 0.335 0.074 0.120 0.101 0.051 0.038
	योग	17	2.794	2.786
21	मेहरबानसिंह पिता घीसालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	17 18/1 28/1	0.190 0.487 0.297	0.190 0.487 0.297
	योग	3	0.974	0.974

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
22	देवीसिंह, घीसालाल, कुमेरसिंह, पर्वतसिंह, मांगीलाल पिता गोपाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	30 32 52 63 111 111/361 112 113 118 124 152 156 58 121	0.354 0.278 0.316 0.228 0.164 0.013 0.114 0.076 0.405 0.519 0.253 0.266 1.138 0.885	0.354 0.278 0.126 0.228 0.164 0.013 0.114 0.076 0.405 0.519 0.253 0.186 1.138 0.885
	योग	14	5.009	4.739
23	भंवरलाल, कमलसिंह, लालसिंह पिता दौलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	31/1/1 33/1/1 119/1 142/1/1 149 157/1/1 122/1	0.146 0.436 0.106 0.089 0.329 0.096 0.405	0.146 0.436 0.106 0.018 0.329 0.057 0.324
	योग	7	1.607	1.416
24	शिवनारायण पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	31/1/2 33/1/2 103 119/2 101 128/1 128/362/1 133/1 148/1/1 157/1/2 102	0.146 0.436 0.101 0.105 0.063 0.186 0.025 0.089 0.355 0.156 0.164	0.146 0.436 0.101 0.105 0.063 0.186 0.025 0.089 0.284 0.101 0.164
	योग	11	1.826	1.700
25	लक्ष्मीनारायण पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	31/1/3 33/1/3 119/3 150 151/1 155/1/2 122/2 255/2	0.145 0.437 0.105 0.164 0.202 0.131 0.405 0.455	0.145 0.437 0.105 0.164 0.202 0.013 0.324 0.182
	योग	8	2.044	1.572

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
26	दरियावसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	31/2/1 33/2/1 69/1 91/1 128/362/2/1 133/2/1 140/1 142/2/1 148/2/1 151/2/1 155/2/1 157/2/1 90/1 128/2/1 34/1	0.109 0.328 0.034 0.047 0.003 0.025 0.003 0.044 0.113 0.064 0.049 0.015 0.013 0.092 0.047	0.109 0.328 0.034 0.047 0.003 0.025 0.003 0.009 0.090 0.064 0.049 0.015 0.013 0.092 0.030
	योग	15	0.986	0.911
27	बापूलाल पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	31/2/2 33/2/2 69/2 91/2 128/2/2 128/362/2/2 133/2/2 140/2 142/2/2 148/2/2 151/2/2 155/2/2 157/2/2 90/2 34/2	0.218 0.327 0.035 0.047 0.093 0.003 0.026 0.003 0.044 0.114 0.063 0.049 0.016 0.013 0.048	0.218 0.327 0.035 0.047 0.093 0.003 0.026 0.003 0.009 0.091 0.063 0.049 0.016 0.013 0.009
	योग	16	1.099	1.002
28	इन्दरसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	31/2/3 33/2/3 90/3 91/3 128/2/3 128/362/2/3 133/2/3 140/3 142/2/3 148/2/3 151/2/3 155/2/3 157/2/3 69/3	0.109 0.327 0.013 0.048 0.093 0.004 0.025 0.004 0.044 0.114 0.063 0.049 0.016 0.035	0.109 0.327 0.013 0.048 0.093 0.004 0.025 0.004 0.009 0.091 0.063 0.049 0.016 0.035
	योग	14	0.944	0.886

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
29	भंवरलाल, कमलसिंह, लालसिंह पिता दौलजी, शिवनारायण, लक्ष्मीनारायण पिता अमरसिंह, दरियावसिंह, बापूलाल, इन्दरसिंह, निर्भयसिंह पिता देवजी, जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	31/366	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379
30	दरियावसिंह, बापूलाल, इन्दरसिंह, निर्भयसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	92	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
31	रमेश पिता बापूलाल जाति सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी	56/1 56/360/1	0.025 0.019	0.025 0.019
	योग	2	0.044	0.044
32	मांगीलाल पिता प्यारजी जाति सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी	56/2 56/360/2	0.026 0.019	0.026 0.019
	योग	2	0.045	0.045
33	अमृतलाल पिता हीरालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	57 82/1 167/1 214/2 236 238/1	0.063 0.114 0.101 0.298 0.873 0.373	0.063 0.057 0.051 0.015 0.437 0.112
	योग	6	1.822	0.735
34	गुलाबसिंह, कैलाश, श्रीलाल पिता गोपीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	66	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
35	अर्जुनसिंह, सीमाबाई ना.बा. पिता धीरपसिंह, सर.माता रामकलाबाई बेवा धीरपसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी बिलमुक्ता	67/2 68/2 129/2/3 96/2/4 241/2/4	0.038 0.366 0.021 0.013 0.082	0.038 0.366 0.021 0.013 0.082
	योग	5	0.520	0.520
36	निर्भयसिंह अनारबाई, केशरबाई पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	69/4 90/4 91/4 128/362/2/4 133/2/4 140/4 142/2/4 148/2/4 151/2/4 155/2/4 157/2/4 128/2/4 33/2/4	0.035 0.012 0.048 0.003 0.025 0.003 0.045 0.114 0.063 0.049 0.016 0.093 0.327	0.035 0.012 0.048 0.003 0.025 0.003 0.009 0.091 0.063 0.049 0.016 0.093 0.327
	योग	13	0.833	0.774

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
37	भावसिंह, गणपतसिंह पिता पूरालाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	70 71 72 105 106 107/1 120 104 251	0.139 0.139 0.051 0.051 0.089 0.088 0.443 0.379 0.885	0.139 0.139 0.051 0.051 0.089 0.088 0.443 0.379 0.089
	योग	9	2.264	1.468
38	अमृतलाल पिता रतनलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	73 76 80 99/3 100 81/3	0.013 0.038 0.164 0.068 0.025 0.283	0.013 0.038 0.164 0.068 0.025 0.283
	योग	6	0.591	0.591
39	नारायणसिंह पिता धूलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	75	0.468	0.468
	योग	1	0.468	0.468
40	देवसिंह, मानसिंह पिता बनेसिंह, मांगीबाई बेवा बनेसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	77 78 81/1 99/1 88 252/2	0.076 0.177 0.282 0.070 0.152 0.150	0.076 0.177 0.282 0.070 0.152 0.150
	योग	6	0.907	0.907
41	फतेसिंह पिता रतनलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	79 81/2 93 193/1 99/2 243/3 252/1 255/1	0.240 0.283 0.038 0.063 0.077 0.387 0.150 0.455	0.240 0.283 0.038 0.028 0.077 0.384 0.112 0.273
	योग	8	1.693	1.435
42	भंवरलाल, लक्ष्मीचन्द, रतनलाल पिता मुन्नालाल, रूकमनीबाई बेवा मुन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	82/2 167/2 212/1 213 238/2	0.177 0.101 0.582 0.392 0.373	0.070 0.047 0.233 0.020 0.168
	योग	5	1.625	0.538
43	नारायणसिंह पिता गोपीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	96/1/4 108 129/1/4 242/1/4	0.017 0.253 0.032 0.123	0.017 0.253 0.032 0.080
	योग	4	0.425	0.382

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
44	प्रभुलाल पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	83/2/4 107/2 129/2/4 161/2 242/2/3 241/2/5	0.040 0.089 0.042 0.095 0.162 0.109	0.028 0.089 0.042 0.009 0.162 0.109
	योग	6	0.537	0.439
45	कंवरलाल पिता पन्नालाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	87	0.114	0.114
	योग	1	0.114	0.114
46	बृजराजसिंह पिता भवानीसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	95/1 125/4	0.215 0.048	0.215 0.048
	योग	2	0.263	0.263
47	कुमरसिंह पिता प्यारजी, भगवानसिंह, विक्रमसिंह, मनोहरबाई पिता गंगासाम, गुलाबबाई बेवा गंगासाम हि.1/2 व घीसा, रतन पिता भोनजी, अनोखबाई पिता भोनजी हि.1/2 जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	115	0.076	0.076
	योग	1	0.076	0.076
48	नरवरसिंह पिता भवानीसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	126/2 228/4	0.044 0.485	0.044 0.485
	योग	2	0.529	0.529
49	भंवरलाल, कमलसिंह, लालसिंह पिता धूजजी शिवनारायण, लक्ष्मीचन्द पिता अमरसिंह, दरियावसिंह, बापूलाल, इन्दरसिंह, निर्मयसिंह पिता देवजी, नारायणसिंह, गुलाबसिंह, कैलाशनारायण, श्रीलाल पिता गोपीलाल हि.1/4 देवीसिंह, घीसालाल, कुमरसिंह, पर्वतसिंह, मांगीलाल पिता गोपाल हि.1/4 बलवंतसिंह पिता छोटेराल, हरिसिंह, जगदीश, कुमरसिंह पिता देवजी, भंवरलाल, बनेसिंह, केसरलाल, बृजमोहन, कौशल्यबाई पिता बिहारीलाल, चम्पीबाई बेवा बिहारीलाल, अर्जुनसिंह, सीमाबाई ना.बा. पिता धीरपसिंह सर परस्त माता रामकलाबाई पति धीरपसिंह, प्रभुलाल पिता जगन्नाथ, रामचन्द्र, जगदीश, बापूलाल, विजयसिंह, भवानीसिंह पिता शिवसिंह, आनन्दीलाल पिता अमृतलाल, कान्ताबाई बेवा अमृतलाल, राजेन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह, ममताबाई, शांतीबाई ना.बा.पिता रामसिंह सर.माता कैलाशबाई बेवा रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	130	0.063	0.063
	योग	1	0.063	0.063
50	सुल्तानसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	132/4	0.010	0.010
	योग	1	0.010	0.010
51	चंदरसिंह, बापू पिता धूलजी जाति रुक्माला नि.ग्राम भू-स्वामी	145	0.126	0.050
	योग	1	0.126	0.050
52	भंवरलाल, कमलसिंह, लालसिंह पिता दौलजी, शिवनारायण, लक्ष्मीनारायण पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	148/1/2	0.012	0.012
	योग	1	0.012	0.012
53	मांगीलाल पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	162 173	0.114 0.038	0.011 0.019
	योग	2	0.152	0.030
54	घीसालाल पिता गोपाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	163	0.139	0.028
	योग	1	0.139	0.028

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
55	बीरम पिता मांगीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	164	0.139	0.069
	योग	1	0.139	0.069
56	घीसालाल पिता मांगीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	165	0.051	0.051
		166	0.025	0.025
	योग	1	0.076	0.076
57	पर्वतसिंह पिता गोपाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	169	0.038	0.019
	योग	1	0.038	0.019
58	अमृतलाल, रतिराम, छगनलाल पिता जगन्नाथ जाति रुहेला नि.ग्राम भू-स्वामी	218/1	0.227	0.227
		220/1	0.241	0.241
		222	0.190	0.190
		225/1	0.133	0.133
		227	0.379	0.379
		231/1	0.101	0.101
		234	0.278	0.278
		217/1	0.626	0.563
	योग	8	2.175	2.112
59	रतिराम पिता जगन्नाथ जाति रुहेला नि.ग्राम भू-स्वामी	218/2	0.228	0.228
		223	0.228	0.228
		224	0.164	0.164
		225/2	0.133	0.133
		231/2	0.114	0.114
		217/2	0.626	0.626
		235/2/1	0.253	0.164
		216/2	0.190	0.095
	योग	8	1.936	1.752
60	धरमराज पिता अमृतलाल जाति रुहेला नि.ग्राम भू-स्वामी	219	0.177	0.177
		220/2	0.240	0.240
		235/1	0.253	0.253
		235/2/2	0.126	0.126
	योग	4	0.796	0.796
61	बापूलाल पिता मुन्नालाल, भागमल, जगन्नाथ पिता उंकार जाति रुहेला नि.ग्राम भू-स्वामी	221	0.051	0.051
	योग	1	0.051	0.051
62	बापूलाल पिता मुन्नालाल जाति रुहेला नि.ग्राम भू-स्वामी	226	0.253	0.253
		229	0.506	0.506
		230	0.468	0.468
		232	0.063	0.063
		233	0.266	0.266
	योग	5	1.556	1.556
63	महेन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता रामसिंह, कैलाश बाई बेवा रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	228/3	0.969	0.969
	योग	1	0.969	0.969

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
64	विष्णु, होकमबाई पिता धूलजी छीताबाई विधवा धूलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	239/2	0.260	0.260
	योग	1	0.260	0.260
65	कुमेरसिंह पिता प्यारजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	240/1	0.297	0.297
	योग	1	0.297	0.297
67	गंगाराम, देवबाई पिता गोपीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	239/3	0.518	0.414
	योग	1	0.518	0.414
68	अमृतलाल पिता रतनलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	252/3	0.212	0.212
		243/1	0.384	0.038
	योग	2	0.596	0.250
69	जीवन सिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	239/1	0.259	0.194
	योग	1	0.259	0.194
70	बादामबाई बेवा बनेसिंह, हरिओम ना.बा. पिता बनेसिंह सर. माता बादामबाई, गंगाधर पिता कनीराम, नानूबाई बेवा कनीराम जाति रुवाला नि.ग्राम झुमका	254 316 317 319	1.327 0.481 0.392 1.101	0.995 0.096 0.078 0.330
	योग	4	3.301	1.499
71	नारायण, रोड़ीबाई पिता बीरम जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	237	0.810	0.162
	योग	1	0.810	0.162
72	हरीसिंह, कुमेरसिंह, जगदीश पिता देवजी, बलवंतसिंह पिता छोटेलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	242/3	0.489	0.440
	योग	1	0.489	0.440
	कुलयोग :-	381	58.676	49.966

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 844

राजगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2018

-: अनुसूची :-

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पाटनखुर्द तालाब परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पाटनखुर्द एवं मुरारिया के लिए डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

पाटनखुर्द तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम पाटनखुर्द

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1	बीरम पिता अर्जुन, नारानीबाई पति बीरम जाति अ.जा.	473/15	0.500	0.000	0.500	0.500 ✓
	योग:-	1	0.500	0.000	0.500	0.500
2	दिनेश पिता मदनलाल जाति भील	475/1/2	1.000	0.000	0.830	0.830 ✓
	योग:-	1	1.000	0.000	0.830	0.830
3	बीरम पिता अर्जुन, जाति अ.जा. रोडजी पिता अर्जुन जाति अ.जा.	473/18	3.000	0.000	0.003	0.003
	योग:-	1	3.000	0.000	0.006	0.006 ✓
	महायोग :-	3	4.500	0.000	1.336	1.336

पाटनखुर्द तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम मुरारिया

1	जगदीश पिता डूंगा जाति अ.जा.	221	1.369	0.000	1.010	1.010 ✓
	योग:-	1	1.369	0.000	1.010	1.010
2	इन्दरसिंह पिता कानिया जाति सौंधिया	287/2/2/2	0.667	0.000	0.003	0.003 ✓
	योग:-	1	0.667	0.000	0.003	0.003
3	प्रेमसिंह पिता छीतर जाति सौंधिया	290/2	0.497	0.096	0.000	0.096 ✓
	योग:-	1	0.497	0.096	0.000	0.096
4	घनश्याम पिता कानिया जाति सौंधिया	287/2/2/3/1	0.614	0.000	0.253	0.253 ✓
	योग:-	1	0.614	0.000	0.253	0.253
5	गोपाल पिता कंवरलाल जाति सौंधिया	288/2	0.251	0.000	0.130	0.130 ✓
	योग:-	1	0.251	0.000	0.130	0.130
6	जगदीश पिता मोतीलाल जाति सौंधिया	289/5	0.379	0.000	0.379	0.379 ✓
	योग:-	1	0.379	0.000	0.379	0.379

7	प्रेमसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया	289/2/2/1	0.189	0.000	0.061	0.061
	योग:-	1	0.189	0.000	0.061	0.061
8	विजयसिंह पिता छीता जाति सौंधिया	292/1	0.644	0.000	0.060	0.060
	योग:-	1	0.644	0.000	0.060	0.060
9	विष्णुप्रसाद पिता कालूसिंह जाति सौंधिया	292/2/1/1	0.740	0.000	0.096	0.096
	योग:-	1	0.740	0.000	0.096	0.096
10	बापूलाल पिता भंवरलाल जाति सौंधिया	278/1	0.263	0.000	0.020	0.020
	योग:-	1	0.263	0.000	0.020	0.020
11	मांगीलाल पिता हीरालाल, रामनिवास, संतोष, हेमलता, सीमा पिता नारायणसिंह, सूरजबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	278/4	0.264	0.000	0.020	0.020
	योग:-	1	0.264	0.000	0.020	0.020
12	अनोखबाई पिता भंवरलाल जाति सौंधिया	278/5	0.263	0.000	0.020	0.020
	योग:-	1	0.263	0.000	0.020	0.020
13	मुकेश पिता मांगीलाल जाति महाजन	291/1/2	1.436	0.000	0.130	0.130
	योग:-	1	1.436	0.000	0.130	0.130
14	नारायणसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया	194/1/1	0.506	0.000	0.250	0.250
	योग:-	1	0.506	0.000	0.250	0.250
15	दिनेश पिता मांगीलाल जाति महाजन	291/1/1	1.325	0.084	0.000	0.084
	योग:-	1	1.325	0.084	0.000	0.084
	कुलयोग :-	15	9.407	0.180	2.432	2.612
	महायोग :-	18	13.907	0.180	3.768	3.948

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 913

राजगढ़, दिनांक 27 जनवरी 2018

—: अनुसूची :-

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में आमलाबे सिंचाई परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम आमलाबे, मोहली, लसुल्यडीया के लिए पाल, डूब एवं वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

क	ग्राम का नाम	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6
1	लसुल्डीया	5.557	3.319	1.619	4.938
2	मोहली	20.995	3.552	9.244	12.796
3	आमलाबे	48.384	31.151	6.462	37.613
योग :-		74.936	38.022	17.325	55.347

आमलाबे तालाब निर्माण की पाल डूब एवे वेस्टवियर में प्रभावित भूमि।

ग्राम लसुल्डीया

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल प्रभावित रकबा	सिंचाई का स्रोत
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम लसुल्डीया							
1	कनीराम ,रमेश आ.शिवलाल जाति अ.जा. नि.ग्रा. भे.स्वामी	452/1/2	1.619	1.000	0.000	1.000	सिंचित
2	देवा पिता रुघनाथ जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भू.स्वामी	452/1/5/1	0.809	0.809	0.000	0.809	सिंचित
3	माधु पिता रुघनाथ जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भू.स्वामी	452/1/5/2	0.810	0.810	0.000	0.810	सिंचित
4	दरियावबाई पति देवा जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भू.स्वामी	452/1/6/1	0.809	0.000	0.809	0.809	असिंचित
5	जमुनाबाई पति माधु जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भू.स्वामी	452/1/6/2	0.810	0.000	0.810	0.810	असिंचित
6	रामलाल पिता कचरु जाति सौंध्या नि. ग्रा.भू.स्वामी	452/20	0.700	0.700	0.000	0.700	सिंचित
योग			5.557	3.319	1.619	4.938	

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल प्रभावित रकबा	सिंचाई का स्रोत
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम मोहली							
7	भंवरलाल पिता मांगीलाल रामलाल पिता कान्हा, पारीबाई बेवा कान्हा जाति अजा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी	226/13	2.808	0.000	1.000	1.000	असिंचित
8	बापुलाल,ओंकार पिता गल्ला जाति अ. जा. नि.ग्रा.आमलाबे भूस्वामी	226/10/1	1.449	0.000	0.600	0.600	असिंचित
9	गब्बा पिता नाथु जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी	226/10/2	1.449	0.000	0.600	0.600	असिंचित
10	कंवरलाल पिता नन्दा जाति अ.जा. नि. ग्रा.आमलाबे भूस्वामी	226/9/3	0.856	0.000	0.856	0.856	असिंचित
11	बरदा पिता नन्दा जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी	226/9/2	0.855	0.00	0.350	0.350	असिंचित
12	बालु पिता नन्दा जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी	226/8/1	0.803	0.000	0.803	0.803	असिंचित
13	कान्ताबाई पति गोखनलाल जाति तेली नि.ग्रा. भूस्वामी	226/8/3	0.350	0	0.200	0.200	असिंचित
14	गंगाबाई पति मोहनलाल जाति तेली नि. ग्रा. भूस्वामी	226/7	2.395	0.000	1.000	1.000	असिंचित
		226/5/1	1.424	0.000	0.300	0.300	असिंचित
		2	3.819	0.000	1.300	1.300	
15	एकताबाई पति हरिओम जाति तेली नि. ग्रा. भूस्वामी	226/5/2/3	0.475	0.000	0.230	0.230	असिंचित
16	परथीसिंह पिता घीसालाल जाति सौध्या नि.ग्रा. मीनागांव भूस्वामी	229/1	0.481	0.000	0.481	0.481	असिंचित
17	कमलसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौध्या नि.ग्रा. मीनागांव भूस्वामी	229/2	0.474	0.000	0.474	0.474	असिंचित
18	नारायणसिंह पिता भंवरजी जाति गुर्जर नि.ग्रा. झरनी भूस्वामी	227/232	0.129	0.129	0.000	0.129	सिंचित
		228	1.214	1.214	0.000	1.214	सिंचित
		229/233	0.162	0.162	0.000	0.162	सिंचित
		230	0.081	0.081	0.000	0.081	सिंचित
		230/234	0.466	0.466	0.000	0.466	सिंचित
		5	2.052	2.052	0.000	2.052	
19	मांगीलाल पिता गोपी जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी	226/6/1	0.684	0.000	0.684	0.684	असिंचित
		227/1/1	0.550	0.000	0.550	0.550	असिंचित
		227/2	0.316	0.000	0.316	0.316	असिंचित
	योग	3	1.550	0.000	1.550	1.550	

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल प्रभावित रकबा	सिंचाई का स्रोत
1	2	3	4	5	6	7	8
20	बापुलाल पिता गोपी जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी	226/6/2	1.000	1.000	0.000	1.000	सिंचित
		227/1/2	0.550	0.500	0.000	0.500	सिंचित
	योग	2	1.550	1.500	0.000	1.500	
21	संगीताबाई पति गोर्धन जाति तेली. नि. ग्रा. भूस्वामी	190/9/1	0.506	0.000	0.200	0.200	असिंचित
22	राजीबाई पिता पुरसिंह जाति तेली. नि. ग्रा. भूस्वामी	190/9/2	0.506	0.000	0.200	0.200	असिंचित
23	राजेश्वरी पिता गोर्धन जाति तेली. नि. ग्रा. भूस्वामी	190/9/3	0.506	0.000	0.200	0.200	असिंचित
24	बबीताबाई पिता गोर्धन जाति तेली. नि. ग्रा. भूस्वामी	190/9/4	0.506	0.000	0.200	0.200	असिंचित
	योग		20.995	3.552	9.244	12.796	
ग्राम आमलाबे							
25	हेमराज पिता रामलाल जाति सौंध्या नि. ग्रा. भेस्वामी	2/1/1	0.303	0.303	0.000	0.303	सिंचित
		3/1/2/1	0.456	0.456	0.000	0.456	सिंचित
	योग	2	0.759	0.759		0.759	
26	मांगीलाल पिता गोपी जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	3/1/2/2	0.253	0.000	0.253	0.253	असिंचित
27	अल्लाहबक्श पिता सुबान खॉ जाति पिंजारा नि.ग्रा. भूस्वामी	3/1/1	0.506	0.340	0.000	0.340	सिंचित
		7/1/2	0.756	0.756	0.000	0.756	सिंचित
		8/2/2	0.486	0.486	0.000	0.486	सिंचित
		10/2/2	0.101	0.101	0.000	0.101	सिंचित
	योग	4	1.849	1.683		1.683	
28	कचनबाई बेवा मांगीलाल, बीरमसिंह जगदीश, जसवंतसिंह, कालीबाई पिता मांगीलाल जाति अ.जा. नि.ग्रा. भेस्वामी	4/2/1	1.023	1.023	0.000	1.023	सिंचित
29	रामकलाबाई पति भगवानसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा.कोडक्या भूस्वामी	4/2/2	1.000	1.000	0.000	1.000	सिंचित
		4/3/2	1.000	1.000	0.000	1.000	सिंचित
		4/4/1	1.023	1.023	0.000	1.023	सिंचित
		4/4/2	1.000	1.000	0.000	1.000	सिंचित
		4/9/1	1.023	1.023	0.000	1.023	सिंचित
		6/3/2	1.000	1.000	0.000	1.000	सिंचित
		6/4/2	1.000	1.000	0.000	1.000	सिंचित
		6/5/2	1.000	1.000	0.000	1.000	सिंचित
	9/8	1.500	1.500	0.000	1.500	सिंचित	
	योग	9	9.546	9.546	0.000	9.546	

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल प्रभावित रकबा	सिंचाई का स्रोत
1	2	3	4	5	6	7	8
30	शोभाबाई पति प्रवीणकुमार जाति सौंध्या नि.ग्रा. कोडक्या भूस्वामी	4/3/1	1.023	1.023	0.000	1.023	सिंचित
		4/6/2	1.000	1.000	0.000	1.000	सिंचित
		4/8/1	1.023	1.023	0.000	1.023	सिंचित
		4/8/2	1.000	1.000	0.000	1.000	सिंचित
		4/9/2	1.000	1.000	0.000	1.000	सिंचित
	योग	5	5.046	5.046	0.000	5.046	
31	प्रवीणकुमार पिता शिवसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा.कोडक्या भूस्वामी	4/7/2	1.000	1.000	0.000	1.000	सिंचित
		6/2/1	1.023	1.023	0.000	1.023	सिंचित
	योग	2	2.023	2.023	0.000	2.023	
32	जगदीशचन्द्र पिता मांगीलाल जाति अ. जा. नि.ग्रा.कोडक्या भूस्वामी	6/2/2	1.000	1.000	0.000	1.000	सिंचित
33	रोडजी पिता माधु जाति गायरी नि.ग्रा. भूस्वामी	6/6/1	1.012	0.500	0.000	0.500	सिंचित
34	रामलाल पिता किशन जाति गायरी नि. ग्रा.भूस्वामी	6/6/2	1.011	0.000	0.500	0.500	असिंचित
35	अलीहुसेन, रहीसखों पिता कादरखों सादराबाई विधवा कादरखों जाति पिंजारा नि.ग्रा. भूस्वामी	7/1/1	0.756	0.756	0.000	0.756	सिंचित
		8/2/1	0.485	0.485	0.000	0.485	सिंचित
		10/2/1	0.101	0.101	0.000	0.101	सिंचित
	योग	3	1.342	1.342	0.000	1.342	
36	मोहम्मद आत्मज चांदखों जाति पिंजारा नि.ग्रा. भूस्वामी	7/2/1	0.755	0.755	0.000	0.755	सिंचित
		8/1/1	0.486	0.486	0.000	0.486	सिंचित
		10/1/1	0.091	0.091	0.000	0.091	सिंचित
	योग	3	1.332	1.332	0.000	1.332	
37	कंवरलाल पिता चांदुखों जाति पिंजारा नि.ग्रा. भूस्वामी	7/2/2	0.756	0.756	0.000	0.756	सिंचित
		8/1/2	0.485	0.485	0.000	0.485	सिंचित
		10/1/2	0.091	0.091	0.000	0.091	सिंचित
	योग	3	1.332	1.332	0.000	1.332	
38	बाबु खों पिता कदीम खों जाति पिंजारा नि.ग्रा. भूस्वामी	9/3	1.500	0.000	0.500	0.500	असिंचित
39	कमलसिंह पिता भवाना, रेशमबाई, दरियावबाई, जडावबाई ललताबाई, पिता भवाना जाति सूतार नि.ग्रा. भूस्वामी	9/4	2.000	0.000	0.500	0.500	असिंचित
40	रोडजी, रामचन्द्र रोडीबाई, नानीबाई, पिता अमरसिंह बदनबाई बेवा अमरसिंह जाति सूतार नि.ग्रा. भूस्वामी	9/5	1.000	0.000	0.500	0.500	असिंचित

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल प्रभावित रकबा	सिंचाई का स्रोत
1	2	3	4	5	6	7	8
41	कालु पिता दुधा जाति सूतार नि.ग्रा. भूस्वामी	9/6	1.000	0.000	0.500	0.500	असिंचित
42	शिवसिंह पिता माधुसिंह रेशमबाई, लीलाबाई, प्रेमबाई पुत्री माधुसिंह भवरीबाई देवा माधुसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	9/7	1.500	1.000	0.000	1.000	सिंचित
43	देवीलाल पिता रामा जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	9/1/4	1.500	0.000	0.379	0.379	असिंचित
44	बद्रीलाल पिता प्रभुलाल जाति अ.जा. नि. ग्रा. भूस्वामी	9/1/5	1.070	0.000	0.379	0.379	असिंचित
45	शिवलाल पिता पुरा जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	9/1/2	2.000	0.000	0.379	0.379	असिंचित
46	रमेश पिता नन्दा जाति तेली नि.ग्रा. भूस्वामी	9/12/1	0.969	0.420	0.000	0.420	सिंचित
		11/1	0.380	0.380	0.000	0.380	सिंचित
	योग	2	1.349	0.800	0.000	0.800	
47	अमरसिंह पिता नन्दा जाति तेली नि.ग्रा. भूस्वामी	9/12/2	0.969	0.419	0.000	0.419	सिंचित
		11/2	0.381	0.381	0.000	0.381	सिंचित
	योग	2	1.350	0.800	0.000	0.800	
48	रामकरण, बंशीलाल दिनेश, राकेश पिता माधु नन्दुबाई देवा माधु जाति तेली नि. ग्रा. भूस्वामी	9/12/3	0.969	0.419	0.000	0.419	सिंचित
		11/3	0.381	0.381	0.000	0.381	सिंचित
	योग	2	1.350	0.800	0.000	0.800	
49	रुघनाथ, नारायण, रतन पिता भेरु जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	12/1	0.011	0.011	0.00	0.011	सिंचित
		12/7	0.010	0.010	0.000	0.010	सिंचित
	योग	2	0.021	0.021	0.000	0.021	
50	रतन पिता भेरु जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	12/2	0.822	0.822	0.000	0.822	सिंचित
		12/8	0.250	0.250	0.000	0.250	सिंचित
	योग	2	1.072	1.072	0.000	1.072	
51	नारायण पिता भेरु जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	12/3	0.822	0.822	0.000	0.822	सिंचित
		12/6	0.250	0.250	0.000	0.250	सिंचित
	योग	2	1.072	1.072	0.000	1.072	
52	राधेश्याम पिता रुघनाथ जाति अ.जा. नि. ग्रा. भूस्वामी	12/4/1	0.447	0.000	0.447	0.447	असिंचित
		12/5/2	0.125	0.000	0.125	0.125	असिंचित
	योग	2	0.572	0.000	0.572	0.572	
53	करणसिंह पिता गंगाराम जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	13/1	1.000	0.000	1.000	1.000	असिंचित
54	करणसिंह पिता कनीराम जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	9/9	1.000	0.000	0.500	0.500	असिंचित
55	कंचनबाई पति नारायण जाति अ.जा. नि. ग्रा. भूस्वामी	12/4/2	0.250	0.000	0.250	0.250	असिंचित
56	कमलाबाई पति रतनलाल जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	12/4/3	0.125	0.000	0.125	0.125	असिंचित
		12/5/1	0.125	0.000	0.125	0.125	असिंचित
	योग		0.250	0.000	0.250	0.250	
	योग		48.384	31.151	6.462	37.613	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय उपायुक्त (राजस्व) संभाग शहडोल एवं सक्षम अधिकारी

म0प्र0 भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन)
अधिनियम 2012 जिला शहडोल (म.प्र.)

प्ररूप - 'ख'

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

शहडोल, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्रमांक- 01/बी-121/2016-17, अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम- बैरिहा पटवारी हल्का क्रमांक-बैरिहा-64, तहसील-जैतपुर जिला-शहडोल से जीजीएस-12 ग्राम-देवरी पटवारी हल्का-देवरी-58, तहसील-गोहपारू जिला-शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग शहडोल म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे० में)
शहडोल	जैतपुर	बैरिहा-64	355/1/ख, 355/2	0.086
			356	0.071
			345/3	0.148
			357/1, 357/2 क, 357/2 ख,	0.026
			342/1, 342/2	0.005
			343/1, 343/2	0.082
			360/1, 360/2	0.101
			361/1, 361/2	0.169
			341	0.045

शहडोल	जैतपुर	बैरिहा-64	362/1, 362/2, 362/3	0.005
			335	0.003
			334/1, 334/2	0.235
			240/1 क, 240/1 ख, 240/2, 240/3 क, 240/3 ख, 240/3 ग,	0.027
			243/1 क, 243/1 ख, 243/1 ग, 243/2	0.202
			242/1, 242/2, 242/3,	0.005
			246/2, 246/3,	0.077
			247	0.005
			249	0.025
			252/2, 252/3,	0.007
			253/1, 253/2,	0.119
			252/459/1, 252/459/2,	0.009
			257	0.023
			258	0.150
			302	0.005
			305/1, 305/2	0.203
			300/2	0.019
			119	0.010
			112	0.051
			118	0.042

प्ररूप - 'ख'

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

क्रमांक- 02/बी-121/2016-17, अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम-घोरवे पटवारी हल्का क्रमांक-63 तहसील-जैतपुर जिला-शहडोल से जीजीएस-12 ग्राम-देवरी पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील-गोहपारु जिला-शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग शहडोल म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे० में)
शहडोल	जैतपुर	घोरवे-63	839/2, 839/3	0.715
			848/2	0.542
			857	0.205
			856/1, 856/2, 856/3,	0.005
			859	0.079
			860/1, 860/2,	0.102
			870	0.136
			872	0.005
			871	0.005
शहडोल	जैतपुर	घोरवे-63	927	0.069
			926	0.037
			925	0.010
			928/2	0.005

प्ररूप - 'ख'

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

क्रमांक- 03/बी-121/2016-17, अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम-मेहरौड़ी, पटवारी हल्का क्रमांक भमला-62, तहसील-जैतपुर, जिला-शहडोल से जीजीएस-12 ग्राम-देवरी पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील-गोहपारु जिला-शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजैक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग शहडोल म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि(हे० में)
शहडोल	जैतपुर	मेहरौड़ी/भमला-62	11/1, 11/2	0.203
			12	0.004
			10	0.072
			13	0.005
			19	0.014
			97	0.052
			9	0.106
			8	0.004
			27	0.060

शहडोल	जैतपुर	मेहरौड़ी/भमला-62		
			26	0.063
			21	0.005
			24	0.004
			25	0.050
			29	0.023
			30	0.016
			31	0.041
			82	0.033
			83	0.054
			101	0.027
			102	0.010
			100	0.069
			84	0.011
			96/1, 96/2	0.053
			85	0.124
			86	0.040
			88	0.035
			78	0.010
			75/1, 75/2	0.094
			76	0.035
			72/1, 72/3, 72/4,	0.191
			73/2, 73/3 क, 73/3ख, 73/3 ग, 73/4, 73/5	0.323
			249/7,	0.564
			257/3,	0.550
			258	0.005
			259	0.011

प्ररूप - 'ख'

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

क्रमांक- 04/बी-121/2016-17, अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम-नौगई, पटवारी हल्का क्रमांक नौगई-01, तहसील-बुढ़ार, जिला-शहडोल से जीजीएस-12 ग्राम-देवरी पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील-गोहपारु जिला-शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग शहडोल म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि(हे०)
शहडोल	बुढ़ार	नौगई-01	796	0.149
			497/1, 497/2, 497/3, 497/4,	0.005
			500/1	0.063
			501/2 क, 501/2 ख/1, 501/2 ग/1, 501/2 घ/1, 501/3 क, 501/3 ख/1, 501/3 ख/2,	0.399
			571/2, 571/3, 571/4 क, 571/4 ख, 571/5, 571/6,	0.593

शहडोल	बुढार	नौगई-01	570/2, 570/3,	0.213
			558/2, 558/3 क, 558/3 ख, 558/3 ग, 558/3 घ, 558/3 ङ.,	0.120
			557	0.084
			551/2, 551/3	0.005
			552/2, 552/3, 552/4,	0.484
			630	0.120
			629	0.088
			628/1, 628/2, 628/3, 628/4,	0.392
			627/1, 627/2, 627/3,	0.084
			626	0.144

प्ररूप - 'ख'

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

क्रमांक- 06/बी-121/2016-17, अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम- धनगंवा पटवारी हल्का क्रमांक-धनगंवा 57, तहसील-गोहपारु जिला-शहडोल से जीजीएस-12 ग्राम-देवरी पटवारी हल्का-देवरी-58, तहसील-गोहपारु जिला-शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग शहडोल म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे० में)
शहडोल	गोहपारु	धनगंवा/57	1987/3, 1987/4	0.899
			1990	0.047
			1986/2076	0.005
			1992	0.122
			1991/1, 1991/2	0.046
			1993/1, 1993/2, 1993/3	0.093
			1997/1, 1997/2, 1997/3	0.351
			1996/1, 1996/2	0.029
शहडोल	गोहपारु	धनगंवा/57	2015	0.121
			2014/1, 2014/2, 2014/3	0.107
			2016/1,	0.005
			2046	0.024
			2037/1, 2037/2, 2037/3, 2037/4,	0.061
			2047	0.065
			1956/2, 1956/3	0.064
			2022/2	0.178
			320	0.047
			322	0.078
			323	0.049
			326	0.009
			325	0.090
			329	0.015
			1652/2, 1652/3, 1652/4, 1652/5, 1652/6, 1652/7,	0.051
			1728/2, 1728/3 क, 1728/3 ख, 1728/4	0.698
			1735	0.085
			1734/1, 1734/2, 1734/3,	0.004
			1730/1, 1730/2	0.222
			1729	0.004
			1713	0.167
			1710/1, 1710/2	0.161
			1711/1, 1711/2	0.074
			1705	0.004
			1704/1, 1704/2	0.209
			1699/1क, 1699/1ख, 1699/1ग, 1699/1घ, 1699/1ङ, 1699/1च, 1699/1छ, 1699/2, 1699/3,	0.264

			1698	0.005
			1703	0.007
			1697 / 1, 1697 / 2, 1697 / 3, 1697 / 4, 1697 / 5, 1697 / 6	0.040
			1691 / 1, 1691 / 2, 1691 / 3, 1691 / 4, 1691 / 5,	0.537
			1691 / 1856	0.010
			922 / 1, 922 / 2 क, 922 / 2 ख, 922 / 2 ग, 922 / 2 घ,	0.130
			899 / 1, 899 / 2, 899 / 3	0.005
			996	0.101
शहडोल	गोहपारू	धनगंवा / 57	897 / 1 क, 897 / 1 ख, 897 / 2	0.004
			995	0.014
			941 / 2,	0.239
			888	0.018
			1065 / 1, 1065 / 3	0.325
			1064	0.004
			1080 / 2, 1080 / 3	0.204
			1701 / 1क, 1701 / 1ख, 1701 / 1ग, 1701 / 1घ, 1701 / 1ङ, 1701 / 1च, 1701 / 2, 1701 / 3	0.085
			1610	0.047
			1608	0.076
			1609	0.066
			1614	0.075
			1615	0.070
			1604 / 1, 1604 / 2	0.046
			1603	0.136
			1599 / 1, 1599 / 2	0.088
			1598	0.136
			1595	0.079
			1596	0.043
			1597	0.048
			1752	0.055
			1753	0.015
			1771 / 1, 1771 / 2, 1771 / 3,	0.556

			1583	0.004
			1772	0.116
			1788	0.099
			1789	0.079
			1876 / 2068	0.004
			1976 / 2078	0.004
			1876 / 2069 / 1, 1876 / 2069 / 2, 1876 / 2069 / 3 क, 1876 / 2069 / 3 ख,	0.172
			1932 / 2, 1932 / 3, 1932 / 4, 1932 / 5,	0.328
			1876 / 2070 / 1 क, 1876 / 2070 / 1 ख, 1876 / 2070 / 2, 1876 / 2070 / 3,	0.140
			1962 / 2 क, 1962 / 2 ख, 1962 / 2 ग, 1962 / 2 घ,	0.982
शहडोल	गोहपारु	धनगंवा / 57	1963 / 1, 1963 / 2, 1963 / 3, 1963 / 4,	0.206
			1964 / 1, 1964 / 2, 1964 / 3,	0.053
			1965	0.094
			1969	0.206
			1974	0.026
			437	0.116
			438	0.090
			432	0.029
			431	0.015
			436 / 2, 436 / 3, 436 / 4,	0.328
			427 / 1, 427 / 2, 427 / 3, 427 / 4,	0.010
			426 / 1, 426 / 2, 426 / 3, 426 / 4,	0.010
			425 / 1, 425 / 2, 425 / 3, 425 / 4,	0.045
			423 / 1, 423 / 2, 423 / 3,	0.078
			424 / 1, 424 / 2	0.119
			2056	0.106

प्ररूप - 'ख'

(नियम 5 का उपनियम (2)देखिये)

क्रमांक- 05/बी-121/2016-17, अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम-देवरी पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58, तहसील-गोहपारु, जिला-शहडोल से जीजीएस-12 ग्राम-देवरी पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील-गोहपारु जिला-शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजैक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग शहडोल म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि(हे० में)
शहडोल	गोहपारु	देवरी-58	1064	0.075
			1063	0.034
			1062	0.183
			1061	0.012
			1060/2, 1060/3, 1060/4, 1060/5, 1060/6, 1060/7, 1060/8, 1060/9, 1060/10, 1060/11, 1060/12,	0.223
			1054/2	0.895

शहडोल	गोहपारू	देवरी-58	1053 / 3	0.010
			1055	0.205
			1072 / 1356 / 1, 1072 / 1356 / 2क 1072 / 1356 / 2 ख, 1072 / 1, 1072 / 2, 1072 / 3, 1072 / 4 क, 1072 / 4 ख, 1072 / 4 ग, 1072 / 5	0.195
			1107 / 2 क, 1107 / 2 ख, 1107 / 2 ग, 1107 / 2 घ,	0.247
			1110 / 2, 1110 / 3	0.124
			1112 / 1, 1112 / 2	0.144
			1111 / 1, 1111 / 2	0.005
			1114 / 1, 1114 / 2, 1114 / 3,	0.008
			1116	0.103
			1117	0.005
			1118	0.035
			1119	0.076
			1149	0.010
			1116 / 2, 1116 / 3	0.562
			1028	0.004
			1027 / 2	0.087
			371	0.049
			368 / 6	0.035
			368 / 7	0.044
			368 / 5	0.039
			368 / 4	0.025
			368 / 3	0.053
			368 / 2	0.072
			368 / 1	0.044
			295 / 5,	0.113
			295 / 6	0.024
			306 / 1, 306 / 2,	0.166
			307	0.005
			305	0.052
			325 / 2	0.895
			324	0.008

प्ररूप - 'ख'

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

क्रमांक- 07/बी-121/2016-17, अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम-दुधरिया पटवारी हल्का क्रमांक-लफदा-55, तहसील-गोहपारु जिला-शहडोल से जीजीएस-12 ग्राम-देवरी पटवारी हल्का-देवरी-58, तहसील-गोहपारु जिला-शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजैक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग शहडोल म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे० में)
शहडोल	गोहपारु	दुधरिया/लफदा-55	99	0.059
			117/3, 117/4	0.005
			118	0.030
			120	0.092
			168/2	0.134
			82	0.024
			121	0.103
			126	0.122
			127/1	0.079
			128/2	0.010

शहडोल	गोहपारू	दुधरिया/लफदा-55	122	0.010
			164	0.004
			165/1, 165/2	0.064
			81/3	0.008
			80	0.078
			79	0.014
			66	0.084
			62	0.016
			64	0.056
			65	0.053
			8	0.005
			9	0.005
			11	0.005
			10	0.120
			7	0.210
			1/2	0.107
			3	0.067
			2/2	0.067

प्ररूप - 'ख'

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

क्रमांक- 08/बी-121/2016-17, अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम- लफदा पटवारी हल्का क्रमांक-लफदा 55, तहसील-गोहपारू जिला-शहडोल से जीजीएस-12 ग्राम-देवरी पटवारी हल्का-देवरी-58, तहसील-गोहपारू जिला-शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजैक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग शहडोल म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे० में)
शहडोल	गोहपारू	लफदा -55	1613	0.054
			1616	0.046
			1612	0.194
			1633	0.005
			1634 / 1, 1634 / 2, 1634 / 3, 1634 / 4, 1634 / 5,	0.053
शहडोल	गोहपारू	लफदा -55	1677	0.108
			1676	0.018
			1675	0.081
			1674	0.034
			1673	0.005
			1672	0.063
			1671 / 2106	0.005
			1665 / 1, 1665 / 2, 1665 / 3, 1665 / 4,	0.139
			1663	0.005
			1664	0.005
			1666	0.036
			1658	0.029
			1657	0.063
			1656	0.058
			1535	0.100
			1534	0.056
			1533	0.084
			1532 / 1	0.045
			1532 / 2	0.035
			1538 / 1	0.006
			1526	0.055
			1538 / 2	0.033
			1525	0.074
			1524	0.059
			1515	0.032
			1516	0.056
			1522	0.005
			1521	0.024
			1517	0.036
			1520	0.009
			1518	0.074
			1500	0.128
			1519	0.007
			1498	0.005
			1501	0.030
			1499	0.098
			1497	0.042
			1411 / 2	0.076
			1411 / 1	0.068
			1412	0.022
			1410	0.059

शहडोल	गोहपारु	लफदा -55		
			1415	0.005
			1416	0.009
			1417	0.045
			1418	0.011
			1419	0.061
			1398	0.015
			1391	0.026
			1390	0.045
			1392 / 1, 1392 / 2	0.011
			1393 / 1, 1393 / 2	0.019
			1396 / 1, 1396 / 2	0.062
			1394 / 1 क, 1394 / 1 ख, 1394 / 1 ग,	0.033
			1395	0.062
			1364	0.005
			1394 / 2 क, 1394 / 2 ख, 1394 / 2 ग, 1394 / 2 घ,	0.083
			1379 / 1, 1379 / 2	0.026
			1365	0.007
			1377	0.066
			1373 / 1, 1373 / 2, 1373 / 3,	0.010
			1376	0.033
			1375	0.028
			1367	0.180
			1374	0.011
			1370	0.124
			1368	0.006
			1369	0.021
			1326 / 1	0.104
			1347 / 5	0.045
			1327 / 1, 1327 / 2, 1327 / 3, 1327 / 4,	0.033
			1347 / 3	0.005
			1347 / 2	0.196
			1347 / 4	0.050
			1346	0.040
			1341	0.010
			1345	0.043
			1344	0.023
			1349	0.042
			1350	0.059
			1351 / 1 क, 1351 / 1 ख, 1351 / 1 ग	0.083
			1355 / 1, 1355 / 2, 1355 / 3	0.118
			1354	0.042

शहडोल	गोहपारु	लफदा -55	1366 /1, 1366 /2	0.005
			1590 /2	0.252
			1574	0.069
			1573 /1, 1573 /2, 1573 /3	0.290
			1572	0.023
			1554	0.075
			1458	0.097
			1459	0.130
			1457	0.005
			1456	0.070
			1455	0.051
			1454	0.074
			1452	0.032
			1451	0.299
			1444	0.044
			1439 /1, 1439 /2	0.045
			1432	0.129
			1436	0.005
			1433	0.080
			1438 /2	0.005
			1437 /1, 1437 /2	0.185
			1383	0.005

प्ररूप - 'ख'

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

क्रमांक- 09/बी-121/2016-17, अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम- धुरियाडोल पटवारी हल्का क्रमांक-गुडा 56, तहसील-गोहपारु जिला-शहडोल से जीजीएस-12 ग्राम-देवरी पटवारी हल्का-देवरी-58, तहसील-गोहपारु जिला-शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग शहडोल म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे० में)
शहडोल	गोहपारु	धुरियाडोल / गुढा 56	32 / 2	0.291
			29 / 2, 29 / 3, 29 / 4, 29 / 5, 29 / 6, 29 / 7, 29 / 8, 29 / 9,	0.325
			25 / 1, 25 / 2, 25 / 3, 25 / 4,	0.185
			56	0.285
			55 / 1, 55 / 2,	0.288
शहडोल	गोहपारु	धुरियाडोल / गुढा 56	46 / 1, 46 / 2	0.209
			36	0.066
			37	0.132
			39	0.078
			38 / 1, 38 / 2	0.026
			57	0.119
			69	0.024
			61	0.010
			67	0.130
			66	0.015
			64	0.225
			63	0.005
			353	0.010
			352	0.204
			351	0.005
			350	0.007
			357	0.030
			356	0.059
			359	0.111
			358	0.040
			362	0.087
			361	0.005
			364	0.024
			367	0.005
			366	0.061
			365	0.039
			374	0.013
			378	0.070

			379	0.005
			376	0.045
			377	0.038
			375	0.005
			382	0.054
			383	0.034
			392	0.006
			385	0.054
			391	0.017
			389	0.007
			390	0.161
			388	0.005
			416 / 1, 416 / 2	0.042
शुहडोल	गोहपारु	धुरियोडोल / गुढा 56	415	0.005
			432 / 1, 432 / 2, 432 / 3,	0.125
			433 / 1, 433 / 2,	0.024
			581	0.082
			580	0.005
			582	0.018
			579	0.050
			576	0.066
			574	0.045
			575	0.024
			572	0.005
			573	0.075
			568	0.005
			569	0.005
			587	0.007
			588	0.005
			590	0.052
			589	0.007
			591 / 614	0.074
			591	0.136
			592 / 615	0.026
			592	0.053
			591 / 613	0.005
			563 / 1, 563 / 2	0.195
			546 / 2	0.020

प्ररूप - 'ख'

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

क्रमांक- 10/बी-121/2016-17, अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम-अकला पटवारी हल्का क्रमांक गुढ़ा-56, तहसील-गोहपारू, जिला-शहडोल से जीजीएस-12 ग्राम-देवरी पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील-गोहपारू जिला-शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग शहडोल म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि(हे0 में)
शहडोल	गोहपारू	अकला/गुढ़ा-56	638	0.063
			637	0.040
			636	0.082
			626/2	0.674
			625	0.004
			616	0.083
			615	0.022
			617	0.056
			613	0.007

शहडोल	गोहपारु	अकला/गुढ़ा-56		
			618	0.051
			612	0.052
			619	0.060
			620	0.022
			621	0.094
			624 / 1 ख / 1, 624 / 1 ख / 2,	0.110
			606 / 2	0.793
			605 / 1, 605 / 2,	0.575
			125 / 1 ख,	0.352
			194	0.007
			161	0.193
			460	0.018
			599	0.239
			600	0.185
			601	0.063
			433	0.189
			623	0.013
			608 / 1, 608 / 2,	0.069
			609	0.018
			607 / 1, 607 / 2,	0.168
			584	0.057
			587	0.093
			586	0.066
			588 / 1, 588 / 2,	0.044
			558	0.121
			559 / 2	0.547
			553 / 1, 553 / 2,	0.144
			598 / 2, 598 / 3 ख,	0.030
			718 / 2, 718 / 3, 718 / 4,	0.422

प्ररूप - 'ख'

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

क्रमांक- 11/बी-121/2016-17, अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम- भागा पटवारी हल्का क्रमांक-गुढ़ा 56, तहसील-गोहपारु जिला-शहडोल से जीजीएस-12 ग्राम-देवरी पटवारी हल्का-देवरी-58, तहसील-गोहपारु जिला-शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग शहडोल म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे० में)
शहडोल	गोहपारु	भागा/गुढ़ा-56	45/3	0.490
			55	0.005
			54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5,	0.144
			46	0.208
			47	0.128
			43	0.221
			48/1, 48/2	0.005

			75 / 1, 75 / 2, 75 / 3, 75 / 4, 75 / 5, 75 / 6,	0.189
			95	0.022
			96	0.098
			97	0.080
			98	0.004
			87 / 1, 87 / 2, 87 / 3,	0.085
			86 / 1, 86 / 2	0.081
			99	0.044
			345	0.004
			344 / 1, 344 / 2	0.066
			343 / 1, 343 / 2	0.318
			134 / 1, 134 / 2	0.102
			133	0.056
			178 / 1, 178 / 2	0.122
			177 / 1, 177 / 2	0.147
			695 / 1, 695 / 2, 695 / 3,	0.030
			697	0.104
			699	0.076
			700	0.096
			851 / 1, 851 / 2	0.025
			853	0.024
			516	0.209
			510	0.004
			511	0.040
			512	0.006
			514	0.064
			515	0.082
			519	0.040
			528 / 1, 528 / 2	0.063
			525	0.062
			526	0.012
			522	0.012
			523	0.037
			524	0.057
			531	0.004
			533 / 1, 533 / 2, 533 / 3	0.243
			535	0.060
			534 / 1, 534 / 2	0.122
			584	0.022
			979 / 1, 979 / 2	0.077

सूडोल	गोहपारु	भागा/गुदा-56	961	0.065
			37	0.105
			81	0.003
			82/1, 82/2	0.034
			161/1, 161/2	0.048
			106/1, 106/2	0.004
			160	0.018
			60/2, 60/3, 60/4, 60/5,	0.604
			61/1/क, 61/1/ख, 61/2	0.202
			166/3	0.084
			936/3, 936/4,	0.024
			935/1, 935/2, 935/3,	0.091
			934	0.045
			955/2, 955/3	0.116
			963/1, 963/2	0.052
			962	0.243
			959	0.010
			961	0.041
			205/2, 205/3/क, 205/3/ख, 205/4	0.165
			199/1, 199/2	0.140
			200	0.015
			201	0.023
			195	0.036
			193/1, 193/2	0.066
			192/1, 192/2 क, 192/2ख, 192/3	0.071
			173/1 ख, 173/2, 173/3	0.224
			180/2, 180/3	0.224
			190/1 क, 190/2 ख, 190/2	0.007
			191	0.065
			758	0.082
			757	0.055
			756	0.056
			755	0.055
			760/1 क, 760/1 ख, 760/2	0.162
			761/2	0.238
			116	0.282
			991	0.096
			115	0.211
			144/1, 144/2	0.013
			837/1, 837/2	0.145
			840	0.105

शहडोल	गोहपारु	भागा/गुढ़ा-56	723	0.079
			725	0.182
			724	0.058
			730/1	0.176
			729	0.125
			804/2, 804/3	0.160
			803	0.108
			802/2, 802/3	0.025
			793/2, 793/3, 793/4, 793/5, 793/6, 793/7	0.591
			795/1, 795/2, 795/3,	0.176
			794/1, 794/2, 794/3, 794/4	0.030
			744/1, 744/2	0.160
			741	0.148
			733/1, 733/2, 733/3, 733/4, 733/5, 733/6, 733/7, 733/8, 733/9, 733/10, 733/11, 733/12,	0.202
			734	0.108
			730/2	0.124
			730/3	0.015
			708	0.122
			707	0.076
			706	0.116
			814/3, 814/4,	0.831
			822/2, 822/3	0.502
			821/1, 821/2	0.011
			820/1, 820/2 क, 820/2 ख,	0.004
			839	0.137
			726	0.005
			206/2/क, 206/2/ख, 206/2/ग, 206/2/घ, 206/3, 206/6, 206/7	0.160
			229	0.005
			939/2,	0.088
			207/1, 207/2	0.176
			208/1, 208/2	0.180
			209/1, 209/2	0.045
			210	0.112
			220/1, 220/2, 220/3	0.010
			211	0.060
			460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 460/5	0.035
शहडोल	गोहपारु	भागा/गुढ़ा-56	457/1, 457/2, 457/3, 457/4, 457/5,	0.124
			458/1, 458/2	0.025
			459/1, 459/2	0.076
			462/1, 462/2, 462/3	0.004
			456/1, 456/2	0.096
			454/1, 454/2	0.120

प्ररूप - 'ख'

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

क्रमांक- 12/बी-121/2016-17, अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम-गुढ़ा पटवारी हल्का क्रमांक गुढ़ा-56, तहसील- गोहपारु, जिला-शहडोल से जीजीएस-12 ग्राम-देवरी पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील-गोहपारु जिला-शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग शहडोल म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि(हे० में)
शहडोल	गोहपारु	गुढ़ा -56	169/2	0.028
			171/2	0.095
			168/1, 168/2 क, 168/2 ख, 168/2 ग, 168/2 घ,	0.187
			167/1 क, 167/1 ख, 167/1 ग, 167/1 घ, 167/2,	0.092

		गुडा -56	166/1 क, 166/1 ख, 166/1 ग, 166/1 घ, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7,	0.021
			165	0.119
			163	0.149
			162/1, 162/2	0.186
			161	0.056
			160	0.006
			57/1, 57/2	0.179
			58	0.222
			158/1, 158/2 क, 158/2 ख, 158/2 क, 158/2 घ,	0.077
			157/2 क, 157/2 ख,	0.196
			239/1, 239/2	0.122
			241	0.015
			240/1, 240/2	0.048
			236/1, 236/2, 236/3, 236/4,	0.004
			237/1, 237/2, 237/3, 237/4,	0.219
			233/1, 233/2,	0.028
			232	0.019
			220/1, 220/2	0.090
			221	0.005
			218	0.013
			219	0.004
			217	0.060
			216	0.005
			213	0.056
			214	0.005
			330	0.005
			212	0.028
			210	0.005
			232/1, 232/2 क/1, 232/2 क/2, 232/2 ख, 232/2 ग,	0.005
			211	0.097
			333	0.022
			204/1, 204/2,	0.074

शहडोल	गोहपारू	गुढ़ा -56	335/1 क, 335/1 ख, 335/1 ग, 335/1 घ, 335/1 ङ, 335/2, 335/3 335/4 क, 335/4 ख,	0.010
			337	0.091
			336	0.005
			338/1, 338/2,	0.045
			339	0.002
			340	0.124
			363	0.031
			367	0.013
			365/2	0.324
			368	0.005
			396	0.110
			395/2	0.311
			397	0.112
			422	0.272
			424	0.095
			428	0.137
			430	0.045
			431	0.046
			437	0.005
			463	0.051
			97	0.004
			91/1, 91/2, 91/3,	0.065
			93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9,	0.420
			15	0.025

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश
शासन, राजस्व विभाग**

प्रकरण क्र. 05-अ-82-2016-17

टीकमगढ़, दिनांक 16 जनवरी 2018

प्रकरण क्र. 05/अ-82/2016-17 ग्राम-लमेरा जागीर, चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी बल्देवगढ़, जिला-टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

1. परियोजना का नाम :- बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु।
 2. भूमि का विवरण :- ग्राम-लमेरा जागीर तहसील-बल्देवगढ़ जिला-टीकमगढ़
 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-1.135 हेक्टेयर

अनुसूची				
स० क्र	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा हे०	अर्जित रकवा हे० में
1	मु. प्यारबाई बेबा बल्ला कलिया नन्नी गौरिया मल्दी शीला पुत्री बल्ला रामसहाय रवि तनय गोकुल जाति चमार पता ग्राम नि. 1/2 समान भाग भूमि स्वामी चउदा रामदीन रगवर पिता नन्नु जाति चमार पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी	214/1	1.223	0.047
2	खरगा पिता गरीबा मु. सुक्कू बेबा गरीबा काली तनय धांधू कमला कोमल तेजराम तनय भूरा वेनीबाई पुत्री भूरा जाति चमार पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी सक्कू पुत्री नन्नु बल्लू तनय छक्की जशोदा पुत्री छक्की भूस्वामी किशोरी फुन्दी तनय मलुका मानबाई वेवा मलुका श्याम बाई पुत्री मलुका जाति चमार पता नि.ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.31	214/2	1.226	0.047
3	मु. प्यारीबाई बेबा बल्ला कलिया नन्नी गौरिया शोला पुत्री बल्ला समान भाग जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी रामसहाय रवि तनय गोकल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	212	0.356	0.356
		213	0.186	0.065
		210	0.178	0.050
4	मु. प्यारबाई बेबा बल्ला जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	202/2	0.380	0.240
5	नंदलाल तनय छन्दिया जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	202/3	0.380	0.240
6	खुमना कल्लू रामदयाल गोकल तनय ननुवा रवि तनय किशोरी मथुरा बाई वेवा किशोरी हि. 1/4 समान भाग गोवर्धन मुलायम ना. बा. लक्ष्मन रामकुमार तनय मुलुवा संरक्षक मां रामकुंवर उर्फ रमकू खुद राजाबाई भुवन पुत्री मुलुवा रामकुंवर उर्फ रमकू वेवा मुलुवा जाति सौर पता निवासी लमेरा हि. 1/2 मोहन लाल हरीराम तनय लटोरा हि. 1/4 समान भाग जाति सौर पता नि. लमेरा भूमि स्वामी	199	0.878	0.058
7	मलुका पिता नथुवा जाति चमार पता निवासी ग्रामी लमेरा भूमि स्वामी	203	0.032	0.032
	कुल योग -	किता-09	4.839	1.135

- (3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु।
 (4) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण-बल्देवगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री बानसुजारा नहर परियोजना बल्देवगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 15 जनवरी 2018

प्र. क्र. 18-अ-82-वर्ष 2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—देवरा, प.ह.नं. 35

(घ) लगभग क्षेत्रफल—79.75 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
	(2)	(3)			
11	0.76	निजी भूमि	55/1	0.25	निजी भूमि
10/1	0.04	निजी भूमि	58	0.30	निजी भूमि
10/2	0.65	निजी भूमि	62	0.50	निजी भूमि
25	0.27	निजी भूमि	57	0.34	निजी भूमि
21	0.22	निजी भूमि	66	0.16	निजी भूमि
8	0.48	निजी भूमि	68	0.66	निजी भूमि
6/1	0.80	निजी भूमि	334	0.09	निजी भूमि
6/2	0.80	निजी भूमि	352	0.08	निजी भूमि
2	0.24	निजी भूमि	338	0.015	निजी भूमि
5	0.24	निजी भूमि	46	0.90	निजी भूमि
3	0.14	निजी भूमि	33	0.03	निजी भूमि
			137	0.50	निजी भूमि
			45	0.50	निजी भूमि
			81/1	0.15	निजी भूमि
			47	0.13	निजी भूमि
			53	6.08	निजी भूमि
			4/1	0.10	निजी भूमि
			49/1	0.24	निजी भूमि
			4/2	0.10	निजी भूमि
			49/2	0.24	निजी भूमि
			4/3	0.10	निजी भूमि
			49/3	0.24	निजी भूमि
			4/4	0.10	निजी भूमि
			49/4	0.25	निजी भूमि
			50	1.95	निजी भूमि
			67	0.79	निजी भूमि
			70	1.60	निजी भूमि
			64	0.27	निजी भूमि
			63	0.27	निजी भूमि
			59	1.66	निजी भूमि
			71	0.55	निजी भूमि
			72	0.57	निजी भूमि
			74	0.18	निजी भूमि
			73	0.27	निजी भूमि
			75	0.12	निजी भूमि
			115	1.56	निजी भूमि
			116	0.10	निजी भूमि
			113	0.05	निजी भूमि
			139	0.13	निजी भूमि
			141	0.15	निजी भूमि
			152	0.54	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
151	0.69	निजी भूमि	643	0.50	निजी भूमि
150	0.90	निजी भूमि	645	0.87	निजी भूमि
154	0.04	निजी भूमि	647	0.43	निजी भूमि
149/1	0.01	निजी भूमि	979	0.17	निजी भूमि
148	0.80	निजी भूमि	648	0.38	निजी भूमि
337	0.20	निजी भूमि	978	0.09	निजी भूमि
109/1	0.20	निजी भूमि	649	0.26	निजी भूमि
120	0.46	निजी भूमि	981	0.01	निजी भूमि
121	0.59	निजी भूमि	654	0.54	निजी भूमि
122	0.13	निजी भूमि	664	0.75	निजी भूमि
125	3.12	निजी भूमि	847	0.69	निजी भूमि
126	0.25	निजी भूमि	665	0.30	निजी भूमि
127	0.51	निजी भूमि	850	0.05	निजी भूमि
131	0.63	निजी भूमि	851/1	0.21	निजी भूमि
132	0.18	निजी भूमि	663	0.30	निजी भूमि
133	0.14	निजी भूमि	851/2/3	0.05	निजी भूमि
136	1.04	निजी भूमि	668	0.34	निजी भूमि
138	0.06	निजी भूमि	669/2	0.76	निजी भूमि
242/1	0.13	निजी भूमि	842/2	0.01	निजी भूमि
241/1	2.25	निजी भूमि	846/2	0.14	निजी भूमि
336	0.50	निजी भूमि	851/2/1	0.11	निजी भूमि
135	0.13	निजी भूमि	852/1	0.38	निजी भूमि
145	0.98	निजी भूमि	846/1	0.13	निजी भूमि
143/1Ka	0.03	निजी भूमि	842/1	0.02	निजी भूमि
144/1	0.40	निजी भूमि	851/2/2	0.04	निजी भूमि
146	0.40	निजी भूमि	852/2	0.37	निजी भूमि
147	0.30	निजी भूमि	851/3	0.21	निजी भूमि
117	0.92	निजी भूमि	848	0.42	निजी भूमि
118	0.76	निजी भूमि	853/1	0.50	निजी भूमि
156	0.40	निजी भूमि	841	0.50	निजी भूमि
157/1	0.16	निजी भूमि	853/2	0.50	निजी भूमि
159	0.16	निजी भूमि	839	0.15	निजी भूमि
333	0.09	निजी भूमि	856	1.06	निजी भूमि
339	0.25	निजी भूमि	857	0.30	निजी भूमि
341	0.55	निजी भूमि	859	0.40	निजी भूमि
646	0.72	निजी भूमि	968	0.25	निजी भूमि
343	0.80	निजी भूमि	860	0.37	निजी भूमि
344	0.32	निजी भूमि	866	0.50	निजी भूमि
345	0.20	निजी भूमि	858	0.55	निजी भूमि
348	0.68	निजी भूमि	855/1	1.52	निजी भूमि
356	0.06	निजी भूमि	855/2	0.80	निजी भूमि
346	0.51	निजी भूमि	861	0.66	निजी भूमि
112	0.11	निजी भूमि	864/2	0.25	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
153	0.25	निजी भूमि
863	1.22	निजी भूमि
969	1.21	निजी भूमि
934	0.53	निजी भूमि
967	1.15	निजी भूमि
966	0.48	निजी भूमि
983	0.58	निजी भूमि
972	1.45	निजी भूमि
982	0.60	निजी भूमि
984	0.23	निजी भूमि
980/1	0.15	निजी भूमि
980/2	0.14	निजी भूमि
975	0.43	निजी भूमि
976	0.10	निजी भूमि
977	1.50	निजी भूमि
1042	0.20	निजी भूमि
1083/2	0.06	निजी भूमि
1085	0.92	निजी भूमि
642	0.60	निजी भूमि
349	0.05	निजी भूमि
865	0.60	निजी भूमि
867	0.11	निजी भूमि
347	0.02	निजी भूमि
123	0.08	निजी भूमि
78	0.36	निजी भूमि
165/1	0.05	निजी भूमि
243	0.01	निजी भूमि
624	0.24	निजी भूमि
641/1	0.09	निजी भूमि
641/2	0.10	निजी भूमि
111	0.05	निजी भूमि

योग . . . 79.75

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पर्वई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु ग्राम देवरा, तहसील व अनुभाग शाहनगर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 जनवरी 2018

पत्र क्र. 310-प्रका.-भू-अर्जन-20....—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—सथनी
(घ) क्षेत्रफल—0.048 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1435

0.048

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग :

0.048

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग :

निरंक

अ+ब का योग . . .

0.048

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—क्योंटी मुख्य नहर के अन्तर्गत लौआ वितरक की सथनी लौआ माइनर नं. 4 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 312-प्रका.-भू-अर्जन-20....—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—बेलवा पैकान-396
(घ) क्षेत्रफल—0.548 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
170	0.076
171	0.058
131	0.006
132	0.056
128	0.016
129	0.014
127	0.020
133	0.053
29	0.034
28	0.035
134	0.010
27	0.070
26	0.072
135	0.028
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग :	0.548

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग :	निरंक
अ+ब का योग . . .	0.548

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—क्योंटी मुख्य नहर की धौरहरा माईनर-2 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 314-प्रका.-भू-अर्जन-20....—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—कठेरी
(घ) क्षेत्रफल—2.123 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
911	0.254
910	0.020
923	0.008
909	0.052
912	0.033
886	0.130
1008	0.124
1390	0.001
880	0.068
1009	0.039
870	0.005
925	0.017
926	0.025
927	0.004
928	0.053
929	0.058
777	0.098
771	0.010
775	0.078
772	0.004
764	0.007
765	0.022
762	0.001

(1)	(2)	घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
763	0.078		
766	0.020		
767	0.139	अनुसूची	
768	0.015	(1) भूमि का वर्णन—	
758	0.082	(क) जिला—रीवा	
173	0.011	(ख) तहसील—हुजूर	
172	0.006	(ग) ग्राम—मनकहरी	
174	0.011	(घ) क्षेत्रफल—4.931 हेक्टेयर.	
175	0.011	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
178	0.012	(1)	(2)
756	0.057	अ-निजी पट्टे की भूमि	
757	0.080	2055	0.024
755	0.003	2129	0.154
754	0.070	2027/1	0.070
753	0.005	2027	0.078
750	0.175	2027/1	0.022
1214	0.072	2027	0.032
860	0.001	2027	0.030
892	0.006	2126	0.013
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग :	1.965	2130	0.088
		2131	0.135
		2132	0.014
		2026	0.010
		2159	0.141
		2160	0.034
		2161	0.015
		2162	0.024
		2163	0.024
		2158/2	0.069
		2192	0.036
		2193	0.002
		2191	0.031
		2190	0.053
		2189	0.030
		2188	0.116
		2181	0.048
		2187	0.096
		2186	0.154
		1457	0.027
		1459	0.022
		1458	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—क्योंटी मुख्य नहर की कठेरी माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 316-प्रका.-भू-अर्जन-20....—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा

(1)	(2)	(1)	(2)
1451/1	0.048	1699	0.104
1451/2/2	0.024	1698 मेड़	0.066
1451/2/1	0.035	1697	0.062
1450/1	0.022	1696	0.27
1425/1/1	0.018	1694	0.142
1428	0.001	1695	0.006
1427	0.058	1682	0.031
1419	0.014	1684	0.047
1426	0.007	1685मेड़	0.002
1381	0.010	1689	0.057
1429	0.004	1688मेड़	0.010
1380	0.012	1686	0.053
1430	0.004	168	0.141
1768	0.134	1600	0.038
1764	0.254	1576	0.012
1765	0.114	1577	0.058
1754	0.065	1588	0.141
1753	0.110	1589	0.012
1752/2	0.010	1590 मेड़	0.019
1752/1	0.025	480 मेड़	0.046
1745	0.035	1584	0.018
1749	0.075	181	0.062
1748	0.075	479	0.084
1815	0.029	486	0.015
1733	0.112	487	0.016
1821	0.123	492	0.032
1822	0.055	482	0.002
1827	0.004	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग :	<u>4.931</u>
1731	0.021		
1828	0.042	ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि	
1829	0.029	ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग :	<u>निरंक</u>
1728	0.032		
1695	0.007	अ+ब का योग . .	<u>4.931</u>
1721	0.020		
1723	0.114	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—क्योंटी	
1722	0.007	मुख्य नहर की लौआ माइनर नं.-4 तथा मनकहरी माइनर	
1718/2/2	0.078	की मनकहरी सबमाइनर नं.-1 में आने वाली निजी/	
1718/1	0.024	शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
1719/3	0.005	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास	
1719/2	0.024	बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा	
1719/1	0.108	सकता है.	

रीवा, दिनांक 27 जनवरी 2018		(1)	(2)
पत्र क्र. 325-प्रका.-भू-अर्जन-20....—चूंकि, राज्य शासन को		1076	0.054
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद		1074	0.057
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि		1059	0.037
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन		1064	0.003
पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का		1065	0.022
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा		1060	0.083
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित		1063	0.083
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		680	0.077
अनुसूची		120	0.022
(1) भूमि का वर्णन—		121	0.014
(क) जिला—रीवा		108	0.012
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान		111	0.013
(ग) ग्राम—जोगिनहाई 214		110	0.006
(घ) क्षेत्रफल—6.673 हेक्टेयर.		109	0.018
खसरा नं.		58	0.001
अर्जित रकबा		72/1455	0.008
(हेक्टेयर में)		73	0.026
(1)	(2)	74	0.008
अ-निजी पट्टे की भूमि		75	0.009
1170	0.038	70	0.016
1169	0.076	83	0.017
1167	0.100	69	0.016
1171	0.038	84	0.008
1177	0.053	35	0.006
1178	0.058	36	0.024
1179	0.062	34	0.007
1180	0.081	22	0.010
1185	0.042	18	0.017
1182	0.084	21	0.014
1183	0.048	20	0.001
1031	0.005	9	0.015
1030	0.105	10	0.012
1027	0.001	7/1	0.015
1028	0.102	1210	0.017
1026	0.025	1029	0.012
1168	0.074	1211	0.008
1092	0.080	1209	0.036
1089	0.069	679	0.162
1088	0.045	678	0.022
1077	0.043	676	0.098

(1)	(2)	(1)	(2)
405	0.598	1349	0.030
402	0.024	1350	0.010
400	0.234	1389	0.026
399	0.007	1336	0.002
397	0.131	1337	0.006
389	0.201	1332	0.014
390	0.097	1214	0.008
387	0.006	1217	0.006
161	0.073	428	0.029
160	0.136	376	0.003
710	0.207	381	0.211
711	0.118	378	0.140
712	0.054	375	0.006
714	0.106	368	0.080
728	0.006	367	0.076
727	0.304	1213	0.001
726	0.009	1215	0.002
722	0.142	1331	0.022
724	0.121	401	0.001
723	0.011	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग :	<u>6.574</u>
382	0.001		
186	0.083	ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि	
189	0.022	575	0.037
190	0.227	403	0.014
192	0.069	404	0.001
196	0.103	719	0.023
197	0.022	191	0.013
198	0.129	122	0.011
199	0.055		
124	0.076	ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग :	<u>0.099</u>
124/1448/1	0.094		
132	0.003	अ+ब का योग . . .	<u>6.673</u>
132/1450	0.042		
1212	0.014	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती	
1345	0.020	नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 8” में	
1206	0.009	आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति	
1362	0.006	के अर्जन हेतु.	
1361	0.006	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास	
1346	0.009	बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा	
1360	0.011	सकता है.	

पत्र क्र. 327-प्रका.-भू-अर्जन-2017—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—किटहा 85
(घ) क्षेत्रफल—0.429 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
203	0.073
201	0.033
202	0.078
200	0.001
196	0.066
185	0.006
186	0.057
187	0.003
168	0.040
165	0.015
164	0.001
170	0.051
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग :	0.424

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि

97	0.005
ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग :	0.005
अ+ब का योग . . .	0.429

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत बेला डायरेक्ट माइनर क्र. 4” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 329-प्रका.-भू-अर्जन-2017—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—धोबखरा 298
(घ) क्षेत्रफल—0.288 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
414	0.074
420	0.026
419	0.058
531	0.006
530	0.019
532	0.006
533	0.063
534	0.036
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग :	0.288

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग :	0.000
अ+ब का योग . . .	0.288

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत बेला डायरेक्ट माइनर क्र. 4” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 331-प्रका.-भू-अर्जन-2017—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—वहेलिया-423
(घ) क्षेत्रफल—0.199 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
1	0.117
2	0.042
60	0.040
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग :	0.199

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग :	0.000
अ+ब का योग . .	0.199

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 333-प्रका.-भू-अर्जन-2017—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—जोन्ही-213
(घ) क्षेत्रफल—0.006 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
139	0.006
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग :	0.006

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग :	0.000
अ+ब का योग . .	0.006

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 335-प्रका.-भू-अर्जन-20...—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—पलिया 352
(घ) क्षेत्रफल—0.439 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
1073	0.026
1054	0.029
916	0.057

(1)	(2)
917	0.073
918	0.006
919	0.022
920	0.004
921	0.064
925	0.003
926	0.034
927	0.078
845	0.043
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग :	0.439

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग :	0.000
अ+ब का योग . . .	0.439

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 9” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 337-प्रका.-भू-अर्जन-20...—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—जरहा 169
(घ) क्षेत्रफल—0.414 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
71	0.001

अ-निजी पट्टे की भूमि

(1)	(2)
81	0.033
122	0.085
124	0.064
149	0.002
111	0.034
113	0.130
170	0.021
169	0.016
168	0.017
150	0.011
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग :	0.414

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग :	0.000
अ+ब का योग . . .	0.414

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 339-प्रका.-भू-अर्जन-20...—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—चंदेह 153
(घ) क्षेत्रफल—1.797 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
308	0.011

अ-निजी पट्टे की भूमि

(1)	(2)
304	0.010
309	0.074
303	0.030
301	0.012
401	0.053
403	0.107
402	0.014
400	0.095
398	0.062
399	0.004
395	0.052
394	0.052
388	0.051
386	0.020
387	0.026
385	0.033
383	0.058
382	0.001
381	0.016
380	0.083
379	0.026
372	0.137
371	0.087
629	0.035
630	0.051
631	0.052
657	0.056
658	0.067
659	0.088
660	0.088
661	0.063
662	0.100
672	0.030
673	0.033
91	0.012
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग :	1.789
ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि	
671	0.008
ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग :	0.008
अ+ब का योग . . .	1.797

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 341-प्रका.-भू-अर्जन-20...—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—पटेहरा 356
(घ) क्षेत्रफल—0.148 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

134	0.043
127	0.057
128	0.017
123	0.031

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग : 0.148

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : 0.000

अ+ब का योग . . . 0.148

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 के ब्रान्च माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 343-प्रका.-भू-अर्जन-20...—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—नवागांव 311
(घ) क्षेत्रफल—0.100 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1108	0.100
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग :	0.100

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग :	0.000
------------------------------------	-------

अ+ब का योग . . .	0.100
------------------	-------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 एवं 7 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्चसबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 345-प्रका.-भू-अर्जन-2017—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—देऊ
(घ) क्षेत्रफल—0.728 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

660	0.094
661	0.120
663	0.221
664	0.031
667	0.104
665	0.114
666	0.044
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग :	0.728

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग :	0.000
------------------------------------	-------

अ+ब का योग . . .	0.728
------------------	-------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 347-प्रका.-भू-अर्जन-2017—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

		(1)	(2)
अनुसूची		124	0.133
(1) भूमि का वर्णन—		125	0.108
(क) जिला—सतना		44	0.017
(ख) तहसील—अमरपाटन		43	0.027
(ग) ग्राम—कोरिगावां		43	0.030
(घ) क्षेत्रफल—1.899 हेक्टेयर.		43	0.059
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	42	0.165
(1)	(2)	36	0.050
अ-निजी पट्टे की भूमि		35	0.004
296	0.013	37	0.043
295	0.007	27	0.107
294	0.038	14	0.115
294	0.041	29	0.006
293	0.009	8	0.064
293	0.039	6	0.002
550	0.015	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग : <u>1.875</u>	
551	0.040	ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि	
552	0.002	276	0.011
554	0.007	290	0.013
555	0.025	ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : <u>0.024</u>	
553	0.009	अ+ब का योग . . . <u>1.899</u>	
287	0.003	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 28” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
284	0.019	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
283	0.010	पत्र क्र. 349-प्रका.-भू-अर्जन-2017—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा	
285	0.002		
282	0.029		
277	0.015		
275	0.044		
157	0.063		
155	0.106		
152	0.001		
140	0.043		
138	0.026		
150	0.035		
120	0.131		
122	0.079		
123	0.035		

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची	
(1) भूमि का वर्णन—	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(क) जिला—सतना	
(ख) तहसील—अमरपाटन	
(ग) ग्राम—वरदहा	
(घ) क्षेत्रफल—1.107 हेक्टेयर.	
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
173	0.076
172	0.074
169	0.001
170	0.130
165	0.061
157	0.017
91	0.070
90	0.033
68	0.003
94	0.106
66	0.056
65	0.017
28	0.024
64	0.003
49	0.068
57	0.053
56	0.016
55	0.002
51	0.028
119	0.047
50	0.066
135	0.002
134	0.009
142	0.034
143	0.068
144	0.006
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग :	1.070

ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि

131	0.001
120	0.011
27	0.018
85	0.003
183	0.004
ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग :	0.037
अ+ब का योग . .	1.107

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 30” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 351-प्रका.-भू-अर्जन-2017—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम—रामपुर बाघेलान
(घ) क्षेत्रफल—2.140 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1057	0.081
1058	0.044

(1)	(2)	(1)	(2)
1055	0.008	630	0.012
1054	0.060	629	0.009
1062	0.015	636	0.018
1065	0.023	635	0.021
1069	0.052	655	0.026
1071	0.060	656	0.012
1074	0.028	648	0.011
1073	0.063	646	0.007
951	0.042	647	0.002
950	0.018	645	0.016
949	0.021	652	0.021
947	0.060	654	0.027
948	0.049	225	0.028
959	0.053	224	0.005
960	0.014	213	0.063
962	0.077	212	0.008
963	0.003	211	0.008
941	0.103	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग : <u>2.040</u>	
940	0.007	ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि	
939	0.028	532	0.053
530	0.124	533	0.035
542	0.094	651	0.006
551	0.113	166	0.006
552	0.063	ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि का योग : <u>0.100</u>	
553	0.071	अ+ब का योग . . . <u>2.140</u>	
571	0.054	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
572	0.063	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
573	0.035	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.	
588	0.028		
587	0.059		
586	0.044		
621	0.032		
623	0.013		
624	0.019		
625	0.025		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं
समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 24 जनवरी 2018.

भू-अर्जन प्र. क्र. 0001-अ-82-2016-17-नस्ती क्र. 90-एल.ए.-
2016-शुद्धि-पत्र.—पलासी लघु सिंचाई तालाब के शीर्ष कार्य हेतु
ग्राम नावली, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण
क्रमांक-0001-अ-82-16-17 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम, 2013 के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक
समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 3 नवम्बर 2017 को, पिपुल्स
समाचार, इन्दौर में दिनांक 30 अक्टूबर 2017 को, स्वदेश में दिनांक
31 अक्टूबर 2017 को एवं आम इशतहार दिनांक 3 नवम्बर 2017
को हुआ है तथा डी. एम. खण्डवा की वेबसाइट पर दिनांक 7
नवम्बर 2017 को अपलोडिंग हुआ है. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार
संशोधन पढ़ा जावे.

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
68.31 हे.

सही संशोधित प्रविष्टि
68.35 हे.

उक्त प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 68.31
हे. के स्थान पर 68.35 हे. पढ़ा जावे.

भू-अर्जन प्र. क्र. 0001-अ-82-2016-17-नस्ती क्र. 90-एल.ए.-
2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के
अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-
सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के
कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के
अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची
के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, एवं अधिनियम 43 में
वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को
विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन
की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—नावली
(घ) अर्जित रकबा—68.35 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
100	0.140
101	0.680
109	0.190
110	3.680
257	0.040
202	0.040
102	0.600
103/1	0.190
103/2	0.260
104/1	0.530
203	0.040
104/2	0.080
105	0.590
106/1	0.120
121	0.120
132	3.070
106/2	0.750
107/1	0.040
107/2	0.790
108/1	0.480
108/2	0.480
108/3	0.480
108/4	0.480
108/5	0.480
201	0.030
111	1.730
112	1.340
114	0.350
122	1.740
125	0.310
198/2	0.030
123	2.920

(1)	(2)	(1)	(2)
124	0.340	116	0.270
126/1	2.050	97	1.310
126/2	0.400	98	1.960
127	0.900	217	0.170
140/4	0.030	220	0.420
128	0.580	218	0.130
131	0.470	221/1	0.200
137/1	1.140	222/1	0.350
137/5	0.100	222/2	0.350
137/2	1.140	223	0.910
140/1	3.500	91	0.130
140/3	0.950	38	1.080
272	0.130	478/2	0.180
143	0.260	40/1	0.490
482	2.190	40/2	0.260
186/1	0.040	40/3	0.230
189/1	0.120	94	2.720
550	2.280	95	0.380
190/1	0.540	96	3.100
190/2	0.550	478/1	0.180
194	0.080	480	0.540
547	0.210	188/1	0.120
549	0.400	191	0.680
551	0.100	192/1	1.090
256	0.030	548	0.190
198/1	0.040	192/2	1.090
271	0.020	483	0.020
199	0.080	260	0.020
204	0.030		
205	1.150		
210	0.710		
206	1.580		
221/2	0.200		
207	0.580		
208	0.180		
209	2.450		
211	0.820		
216	0.180		
219	0.610		
		कुल योग :	<u>68.35</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पलासी लघु सिंचाई तालाब के शीर्ष कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्र, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्र. C-197-एक-7-3-17 भाग-एक.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-5785-एफ-7-3-2017 भाग-1, जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 13 जनवरी 2018 के रोस्टर अनुसार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर के संबंधित न्यायालयों एवं रजिस्ट्री के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु माह जनवरी में घोषित शनिवार दिनांक 13 जनवरी 2018 अवकाश/अकार्य दिवस को ऐसी क्रिमिनल अपील, जिसमें अभियुक्त 10 वर्षों से अधिक समय से निरूद्ध है एवं उन्हें मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता प्रदान की गई है, अथवा जिसमें अभियुक्त/अपीलाथी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किये गये हैं, की सुनवाई किये जाने हेतु कार्य दिवस घोषित किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2018

क्र. C-262-एक-7-3-2017-भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2018 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है :—

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)	सप्ताह के दिन (4)
(1)	(2)		
1	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस	6 जनवरी 2018	शनिवार
2	पोंगल	15 जनवरी 2018	सोमवार
3	बसंत पंचमी	22 जनवरी 2018	सोमवार
4	देव नारायण जयंती	23 जनवरी 2018	मंगलवार
5	नर्मदा जयंती/शबरी जयंती	24 जनवरी 2018	बुधवार
6	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस	30 जनवरी 2018	मंगलवार
7	संत रविदास जयंती	31 जनवरी 2018	बुधवार
8	छत्रपति शिवाजी जयन्ती	19 फरवरी 2018	सोमवार
9	होली (होलिका दहन)	1 मार्च 2018	गुरुवार
10	भक्त माता कर्मा जयन्ती	13 मार्च 2018	मंगलवार
11	चैती चांद	19 मार्च 2018	सोमवार
12	वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस	20 मार्च 2018	मंगलवार
13	निषादराज जयन्ती	22 मार्च 2018	गुरुवार
14	महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती	11 अप्रैल 2018	बुधवार
15	वल्लभाचार्य जयन्ती	12 अप्रैल 2018	गुरुवार
16	सेन जयन्ती	13 अप्रैल 2018	शुक्रवार
17	अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती	18 अप्रैल 2018	बुधवार
18	शंकराचार्य जयन्ती	20 अप्रैल 2018	शुक्रवार
19	शब-ए-बारात	2 मई 2018	बुधवार
20	ईद-उल-फितर (के ठीक पूर्व का दिवस)	14 जून 2018	गुरुवार
21	जमात-उल-विदा	15 जून 2018	शुक्रवार
22	महेश जयन्ती	22 जून 2018	शुक्रवार

(1)	(2)	(3)	(4)
23	बड़ा महादेव पूजन	26 जून 2018	मंगलवार
24	कबीर जयन्ती	28 जून 2018	गुरुवार
25	गुरू पूर्णिमा	27 जुलाई 2018	शुक्रवार
26	दुर्गादास राठौर जयन्ती	13 अगस्त 2018	सोमवार
27	पारसी नववर्ष दिवस/गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती	17 अगस्त 2018	शुक्रवार
28	ईद-उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस)	21 अगस्त 2018	मंगलवार
29	ओणम	25 अगस्त 2018	शनिवार
30	गदीर-ए-खुम	29 अगस्त 2018	बुधवार
31	बलराम जयन्ती	1 सितम्बर 2018	शनिवार
32	विश्वकर्मा जयन्ती	17 सितम्बर 2018	सोमवार
33	राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस	18 सितम्बर 2018	मंगलवार
34	डोलग्यारस/योम-ए-अशुरा	20 सितम्बर 2018	गुरुवार
35	अग्रसेन जयन्ती	10 अक्टूबर 2018	बुधवार
36	महर्षि वाल्मीकी जयन्ती/महाराजा अजमोद देव जयन्ती/टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.	24 अक्टूबर 2018	बुधवार
37	करवाचौध पर्व	27 अक्टूबर 2018	शनिवार
38	भगवान सहस्रबाहू जयन्ती	14 नवम्बर 2018	बुधवार
39	बिरसा मुंडा जयन्ती	15 नवम्बर 2018	गुरुवार
40	नामदेव जयन्ती	19 नवम्बर 2018	सोमवार
41	झलकारी जयन्ती	22 नवम्बर 2018	गुरुवार
42	गुरू तेगबहादुर का शहीदी दिवस	24 नवम्बर 2018	शनिवार
43	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती	14 दिसम्बर 2018	शुक्रवार
44	गुरू घासीदास जयन्ती	18 दिसम्बर 2018	मंगलवार
45	दत्तात्रय जयन्ती	22 दिसम्बर 2018	शनिवार
46	डॉ. सैय्यदना साहब का जन्म दिवस	28 दिसम्बर 2018	शुक्रवार
47	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	31 दिसम्बर 2018	सोमवार

- (1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 47 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.
- (2) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया करें.
- (3) मुख्यपीठ पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 47 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.
- (4) खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहां के प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

क्र. C-264-एक-7-3-2017-भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2018 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है :—

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस	6 जनवरी 2018	शनिवार
2	पोंगल	15 जनवरी 2018	सोमवार
3	बसंत पंचमी	22 जनवरी 2018	सोमवार
4	देव नारायण जयंती	23 जनवरी 2018	मंगलवार
5	नर्मदा जयंती/शबरी जयंती	24 जनवरी 2018	बुधवार
6	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस	30 जनवरी 2018	मंगलवार
7	संत रविदास जयंती	31 जनवरी 2018	बुधवार
8	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस	10 फरवरी 2018	शनिवार
9	छत्रपति शिवाजी जयन्ती	19 फरवरी 2018	सोमवार
10	होली (होलिका दहन)	1 मार्च 2018	गुरुवार
11	भक्त माता कर्मा जयन्ती	13 मार्च 2018	मंगलवार
12	चैती चांद	19 मार्च 2018	सोमवार
13	वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस	20 मार्च 2018	मंगलवार
14	निषादराज जयन्ती	22 मार्च 2018	गुरुवार
15	महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती	11 अप्रैल 2018	बुधवार
16	वल्लभाचार्य जयन्ती	12 अप्रैल 2018	गुरुवार
17	सेन जयन्ती	13 अप्रैल 2018	शुक्रवार
18	अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती	18 अप्रैल 2018	बुधवार
19	शंकराचार्य जयन्ती	20 अप्रैल 2018	शुक्रवार
20	शब-ए-बारात	2 मई 2018	बुधवार
21	बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस	9 जून 2018	शनिवार
22	ईद-उल-फितर (के ठीक पूर्व का दिवस)	14 जून 2018	गुरुवार
23	जमात-उल-विदा	15 जून 2018	शुक्रवार
24	महेश जयन्ती	22 जून 2018	शुक्रवार
25	बडा महादेव पूजन	26 जून 2018	मंगलवार
26	कबीर जयन्ती	28 जून 2018	गुरुवार
27	रथयात्रा	14 जुलाई 2018	शनिवार
28	गुरु पूर्णिमा	27 जुलाई 2018	शुक्रवार
29	दुर्गादास राठौर जयन्ती	13 अगस्त 2018	सोमवार
30	पारसी नववर्ष दिवस/गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती	17 अगस्त 2018	शुक्रवार

(1)	(2)	(3)	(4)
31	ईद-उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस)	21 अगस्त 2018	मंगलवार
32	ओणम	25 अगस्त 2018	शनिवार
33	गदीर-ए-खुम	29 अगस्त 2018	बुधवार
34	बलराम जयन्ती	1 सितम्बर 2018	शनिवार
35	विश्वकर्मा जयन्ती	17 सितम्बर 2018	सोमवार
36	राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस	18 सितम्बर 2018	मंगलवार
37	डोलग्यारस/योम-ए-अशुरा	20 सितम्बर 2018	गुरुवार
38	अग्रसेन जयन्ती	10 अक्टूबर 2018	बुधवार
39	महर्षि वाल्मीकी जयन्ती/महाराज अजमोढ देव जयन्ती/टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.	24 अक्टूबर 2018	बुधवार
40	करवाचौध पर्व	27 अक्टूबर 2018	शनिवार
41	भगवान सहस्रबाहू जयन्ती	14 नवम्बर 2018	बुधवार
42	बिरसा मुंडा जयन्ती	15 नवम्बर 2018	गुरुवार
43	नामदेव जयन्ती	19 नवम्बर 2018	सोमवार
44	झलकारी जयन्ती	22 नवम्बर 2018	गुरुवार
45	गुरू तेगबहादुर का शहीदी दिवस	24 नवम्बर 2018	शनिवार
46	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती	14 दिसम्बर 2018	शुक्रवार
47	गुरू घासीदास जयन्ती	18 दिसम्बर 2018	मंगलवार
48	दत्तात्रय जयन्ती	22 दिसम्बर 2018	शनिवार
49	डॉ. सैय्यदना साहब का जन्म दिवस	28 दिसम्बर 2018	शुक्रवार
50	बालीनाथ जी बैरवा जैयन्ती	31 दिसम्बर 2018	सोमवार

- (1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 50 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.
- (2) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया करें.
- (3) अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहाँ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 19 जनवरी 2018

क्र. C-417-एक-7-3-17 भाग-एक.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-5785-एक-7-3-2017 भाग-1, जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 20 जनवरी 2018 के रोस्टर अनुसार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर के संबंधित न्यायालयों एवं रजिस्ट्री के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु माह जनवरी में घोषित शनिवार दिनांक 20 जनवरी 2018 अवकाश/अकार्य दिवस को ऐसी क्रिमिनल अपील, जिसमें अभियुक्त 10 वर्षों से अधिक समय से निरूद्ध है एवं उन्हें मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता प्रदान की गई है, अथवा जिसमें अभियुक्त/अपीलाथी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किये गये हैं, की सुनवाई किये जाने हेतु कार्य दिवस घोषित किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
चन्द्रेश कुमार खरे, रजिस्ट्रार (प्रशासन).

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्र. D-375-दो-2-4-2018.—श्री पंकज गौड़, रजिस्ट्रार(ज्यूडिशियल), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत निम्नानुसार ब्लाक अवधि हेतु 30-30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस.
2. दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्र. सी-252-तीन-6-6-64.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश श्री आशीष ताम्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जबलपुर को, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-4-96-इक्कीस-बी(1), दिनांक 7 सितम्बर 1996 द्वारा निर्मित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय

के विशेष मजिस्ट्रेट, भोपाल के रूप में, इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिये नियुक्त करता है. उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का मुख्यालय जबलपुर में रहेगा.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश श्री महेश कुमार माली, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इन्दौर को, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-1-2001-इक्कीस-बी(1), दिनांक 23 मार्च 2007 द्वारा निर्मित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय के विशेष मजिस्ट्रेट, इन्दौर के रूप में, इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिए नियुक्त करता है. उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का मुख्यालय इन्दौर में रहेगा.

अनुसूची

- * खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 (क्रमांक 37 सन् 1954)
- * मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956).

No. C-252-III-6-6-64.—The High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Ashish Tamrakar, Judicial Magistrate First Class, Jabalpur, as the Presiding Officer of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established by the State Government vide Notification of Law & Legislative Affairs Department, Bhopal No. 1-4-96-XXI-B(1), dated 7th September 1996 in supersession of earlier notifications of the High Court in this regard, for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in schedule below. The Headquarter of the said Court shall be at Jabalpur.

The High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Mahesh Kumar Mali, Judicial Magistrate First Class, Indore, as the Presiding Officer of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established by the State Government vide Notification of Law & Legislative Affairs Department, Bhopal No. F-1-1-2001-XXI-B(1), dated 23rd March 2007 in supersession of earlier notifications of the High Court in this regard, for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in schedule below. The Headquarter of the said Court shall be at Indore.

SCHEDULE

- * The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Act No. 37 of 1954)
- * Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (Act No. 23 of 1956).

Jabalpur, the 19th January 2018

No. C-419.—The High Court of Madhya Pradesh hereby designates the **Courts of the Chief Judicial Magistrates** shown in the Column No. (2) of the Table below for hearing of cases **relating to offences registered by the Special Tiger Strike Force Units** (constituted for protection of wild animals). The jurisdiction of the said Courts shall extend to the area of the Revenue Districts shown in Column No. (3) of the said Table :—

TABLE

S. No.	Name of the Judges	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	CJM, Jabalpur	Jabalpur, Seoni, Balaghat, Chhindwara, Dindori, Mandla, Narsinghpur, Katni.
2.	CJM, Indore	Indore, Ujjain, Khandwa, Neemuch, Ratlam, Mandsaur, Dhar, Badwani, Khargone, Dewas, Burhanpur, Jhabua, Alirajpur.
3.	CJM, Hoshangabad	Bhopal, Hoshangabad, Betul, Harda, Sehore, Vidisha, Raisen, Agar, Rajgarh.

No. C-421-III-6-6-84.—The High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judges shown in the Column No. 3 of the table below to be the Presiding Officers of the Court for trial of **offences of Rape, Gangrape, Murder with Rape and all other offences relating thereto for the Places shown in Column No. 2 of the said table, This notification is being issued in superession of all its earlier notifications in this regard in respect of the following places.—**

TABLE

S. No.	Place	Name of the Officer and designation
(1)	(2)	(3)
1	Chhindwara	Shri Rakesh Shrivastava (Jr.), XI ASJ
2	Rajgarh	Shri Sheikh Saleem, II ASJ
3	Rewa	Smt. Madhuri Rajlalji, VIII ASJ
4	Satna	Smt. Dipika Malviya, IV ASJ
5	Sehore	Ku. Anita Bajpai, I ASJ
6	Chhatarpur	Shri Mukesh Kumar Batham III ASJ
7	Seoni	Shri Manoj Kumar Ladia, I ASJ
8	Mandsaur	Smt. Nisha Gupta, II ASJ

By order of Hon'ble the Chief Justice,
VIVEK SAXENA, O. S. D. (D. E.)

जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी 2018

क्र. B-372-दो-2-5-2018.—श्री डी. एन. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-378-दो-3-6-2012.—श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-576-दो-2-22-2017.—सुश्री शोभा पोरवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री शोभा पोरवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री शोभा पोरवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-578-दो-2-32-2014.—श्री आर. के सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 7 दिसम्बर 2017 का एक दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-580-दो-2-28-2016.—श्री आर. के वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 25 से 29 नवम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-582-दो-2-25-2015.—श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम को दिनांक 11 से 15 दिसम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-584-दो-2-129-2017.—डॉ. एस. के. मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-586-दो-2-9-2018.—श्री राम नारायण चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-588-दो-2-11-2018.—श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-590-दो-2-123-2017.—श्री अवीन्द्र कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 तक से दिनांक 31 अक्टूबर 2017 दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-592-दो-2-121-2017.—श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1)

के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-594-दो-2-109-2017.—श्री देवनारायण मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-596-दो-2-67-2016.—श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 23 से 25 नवम्बर 2017 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-598-दो-3-420/80-भाग-बारह.—श्रीमती राधा सोनकर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 240 दिवस (दो सौ चालीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

1. श्रीमती राधा सोनकर, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी, का नियुक्ति दिनांक : 07-11-1985
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-5-2017
3. नियुक्ति दिनांक : 01 वर्ष 04 माह, 07-11-1985 से 02 दिवस दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 30 वर्ष, 02 माह, 21 दिन.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) : 1×15=15 दिन
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से). : 30=15×15=225 दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 240 दिन
8. घटाइये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : निरंक
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 240 दिन

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्र. 56-गोपनीय-2018-II-2-9-97.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 143-इकीस-ब(दो)-2018 दिनांक 10 जनवरी, 2018 के अंतर्गत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश संवर्ग (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1) को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में दर्शित पद पर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री विशाल शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मुरैना.	मुरैना	मुरैना	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरैना की हैसियत से रिक्त पद पर.
2.	श्री श्याम सुन्दर झा, पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रीवा.	रीवा	रीवा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा की हैसियत से रिक्त पद पर.
3.	श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, भोपाल.	भोपाल	जबलपुर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की हैसियत से रिक्त पद पर.
4.	श्री हेमराज सनोडिया, अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, इंदौर.	इंदौर	देवास	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास की हैसियत से रिक्त पद पर.
5.	श्री सुशील कुमार जोशी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जयसिंह नगर, जिला शहडोल.	जससिंहनगर	खण्डवा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा की हैसियत से रिक्त पद पर.
6.	श्री अमित सिंह सिसोदिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सिरमौर, जिला रीवा.	सिरमौर	सागर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर की हैसियत से रिक्त पद पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	श्री पवन कुमार पटेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर.	ग्वालियर	ग्वालियर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त पद पर.
8.	श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, के न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, भिण्ड.	भिण्ड	उज्जैन	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन की हैसियत से रिक्त पद पर.
9.	श्री हर्ष सिंह बहरावत, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मनावर, जिला धार.	मनावर	इंदौर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर की हैसियत से रिक्त पद पर.
10.	श्री अमजद अली, उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, भोपाल.	भोपाल	भोपाल	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल की हैसियत से रिक्त पद पर.

टिप्पणी:— 1. श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, भोपाल.

2. श्री सुशील कुमार जोशी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जयसिंहनगर, जिला शहडोल.

3. श्री अमित सिंह सिसोदिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सिरमौर, जिला रीवां.

4. श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 1 के न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, भिण्ड.

5. श्री हर्ष सिंह बहरावत, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मनावर, जिला धार, का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2018

क्र. 67-गोपनीय-2018-दो-3-250-57(भाग-36).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 19-12-2017, 30-12-2017 एवं 01-01-2018 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2(प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुश्री भारती गर्ग, (मेरिट क्रमांक 03) (आदेश क्रमांक 3773)	गुना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गुना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2.	श्री राहुल जैन, (मेरिट क्रमांक 06) (आदेश क्रमांक 3780)	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सागर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3.	श्री परमानंद सनोडिया (मेरिट क्रमांक 09) (आदेश क्रमांक 3811)	बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बालाघाट के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4.	श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी, (मेरिट क्रमांक 12) (आदेश क्रमांक 3814)	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, छतरपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
5.	श्री अल्लमश रहमान (मेरिट क्रमांक 16) (आदेश क्रमांक 3813)	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
6.	श्री जय कुमार जैन (मेरिट क्रमांक 17) (आदेश क्रमांक 3777)	विदिशा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, विदिशा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
7.	सुश्री स्वाति सिंह बघेल (मेरिट क्रमांक 20) (आदेश क्रमांक 3774)	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
8.	श्री विनय जैन (मेरिट क्रमांक 22) (आदेश क्रमांक 3804)	श्योपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, श्योपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
9.	सुश्री निधु श्रीवास्तव, (मेरिट क्रमांक 23) (आदेश क्रमांक 3816)	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, इंदौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
10.	सुश्री मीनू पचौरी (मेरिट क्रमांक 25) (आदेश क्रमांक 3795)	अशोकनगर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अशोकनगर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	श्री विष्णुकांत मिश्रा (मेरिट क्रमांक 26) (आदेश क्रमांक 3770)	भोपाल		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, भोपाल के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
12.	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय (मेरिट क्रमांक 31) (आदेश क्रमांक 3789)	देवास		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, देवास के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
13.	श्री विकास विश्वकर्मा (मेरिट क्रमांक 34) (आदेश क्रमांक 3790)	डिण्डौरी		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, डिण्डौरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
14.	श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार (मेरिट क्रमांक 38) (आदेश क्रमांक 3794)	पन्ना		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, पन्ना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
15.	सुश्री प्रिया गुप्ता (मेरिट क्रमांक 40) (आदेश क्रमांक 3771)	दतिया		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
16.	सुश्री श्वेता शर्मा (मेरिट क्रमांक 45) (आदेश क्रमांक 3817)	सागर		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सागर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
17.	श्री आशीष शर्मा (मेरिट क्रमांक 48) (आदेश क्रमांक 3786)	टीकमगढ़		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
18.	सुश्री दीपा गेहलोत (मेरिट क्रमांक 50) (आदेश क्रमांक 3787)	शाजापुर		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शाजापुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
19.	श्री उदयाजीत कुंवर राव (मेरिट क्रमांक 51) (आदेश क्रमांक 3869)	शहडोल		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शहडोल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
20.	श्री अमरीश भारद्वाज (मेरिट क्रमांक 52) (आदेश क्रमांक 3868)	सिवनी		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सिवनी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
21.	श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी (मेरिट क्रमांक 54) (आदेश क्रमांक 3864)	जबलपुर		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जबलपुर के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
22.	सुश्री अंजना यादव (मेरिट क्रमांक 56) (आदेश क्रमांक 3867)	गुना		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गुना के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
23.	सुश्री दीक्षा दोहरे (मेरिट क्रमांक 60) (आदेश क्रमांक 3849)	टीकमगढ़		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, टीकमगढ़ के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24.	सुश्री कंचन चौकसे (मेरिट क्रमांक 61) (आदेश क्रमांक 3858)	राजगढ़		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, राजगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
25.	सुश्री अंशुल मंगल (मेरिट क्रमांक 63) (आदेश क्रमांक 3847)	इंदौर		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, इंदौर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
26.	सुश्री पलक राय (मेरिट क्रमांक 64) (आदेश क्रमांक 3865)	होशंगाबाद		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, होशंगाबाद के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
27.	श्री राहुल सिंह यादव (मेरिट क्रमांक 66) (आदेश क्रमांक 3861)	विदिशा		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, विदिशा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
28.	सुश्री सांघगी ब्रह्म (मेरिट क्रमांक 69) (आदेश क्रमांक 3845)	बैतूल		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैतूल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
29.	सुश्री प्रियंका रतौनिया (मेरिट क्रमांक 70) (आदेश क्रमांक 3844.)	सीहोर		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सीहोर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
30.	सुश्री स्वाति राहौरा, (मेरिट क्रमांक 77) (आदेश क्रमांक 3851)	शिवपुरी		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शिवपुरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
31.	सुश्री सविता वर्मा (मेरिट क्रमांक 82) (आदेश क्रमांक 3841)	पन्ना		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, पन्ना के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
32.	श्रीमती सरिता पारस (मेरिट क्रमांक 83) (आदेश क्रमांक 3827)	ग्वालियर		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
33.	सुश्री श्वेता परते (मेरिट क्रमांक 87) (आदेश क्रमांक 3821)	मण्डला		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, मण्डला के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
34.	सुश्री हर्षिता सिंगार (मेरिट क्रमांक 92) (आदेश क्रमांक 3825)	रतलाम		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रतलाम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
35.	श्री संगम सिंह गोड़ (मेरिट क्रमांक 94) (आदेश क्रमांक 3839)	सतना		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सतना के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
36.	श्री ऋषभ डॉनेल सिंह (मेरिट क्रमांक 95) (आदेश क्रमांक 3827)	रायसेन		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रायसेन के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्र. 72-गोपनीय-2018-दो-2-21-63.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (चयन ग्रेड) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale) रुपये 70290—1540—76450/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम तथा पदनाम	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री भरत सिंह ओहरिया जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.	1-1-2018	रिक्त पद पर
2	श्री प्रदीप कुमार व्यास जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच.	1-1-2018	रिक्त पद पर
3.	श्री संजय शुक्ला रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन, बैंच भोपाल.	1-1-2018	रिक्त पद पर
4.	श्री दिनेश कुमार पालीवाल, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/जनजाति (अत्या. निवारण) अधि., शहडोल.	1-1-2018	श्री संजय शुक्ला जिला जज (सुपर टाइम स्केल) धारक के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहने के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर.
5.	श्री चन्द्रेश कुमार खरे रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय, जबलपुर.	1-1-18	श्री दिनेश कुमार पालीवाल जिला जज (सुपर टाइम स्केल) धारक के विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/जनजाति (अत्या. निवारण) अधि. के पद पर पदस्थ रहने के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर.
6.	श्री राजेन्द्र कुमार वाणी, सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल	1-1-2018	श्री चन्द्रेश कुमार खरे जिला जज (सुपर टाइम स्केल) धारक के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहने के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर.
7.	श्री रुपेश चन्द्र वाष्णीय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन	1-1-2018	श्री राजेन्द्र कुमार वाणी जिला जज (सुपर टाइम स्केल) धारक के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहने के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्र. C-182-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 जनवरी 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2018

क्र. B-200-दो-2-27-2014.—श्री पंकज गौड़, रजिस्ट्रार (J-I) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 7 से 9 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित कर के तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पंकज गौड़, रजिस्ट्रार (J-I) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पंकज गौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (J-I) के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार

Jabalpur the 12th January, 2018

No.C-266-I-7-3-2017 (Part-I).—The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2018 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958, is hereby published for general information :—

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of Week
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	New Year's Day	01-01-2018	Monday
2.	Republic Day	26-01-2018	Friday
3.	Mahashivratri	13-02-2018	Tuesday
4.	Holi (Dhuredi)	2-03-2018	Friday
5.	Bhai Dooj	3-03-2018	Saturday
6.	Mahaveer Jayanti	29-3-2018	Thursday
7.	Good Friday	30-03-2018	Friday
8.	Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi	14-04-2018	Saturday
9.	Independence Day	15-08-2018	Wednesday
10.	Id-UI-Zuha	22-08-2018	Wednesday
11.	Janmashtmi	03-09-2018	Monday
12.	Ganesh Chaturthi	13-09-2018	Thursday
13.	Moharrum	21-09-2018	Friday
14.	Gandhi Jayanti	02-10-1018	Tuesday

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Sarv Pitra Moksha Amavasya	8-10-2018	Monday
16.	Dussehra (18-10-2018)		
	Mahaashtmi	16-10-2018	Tuesday
	Mahanavmi	17-10-2018	Wednesday
		18-10-2018	Thursday
		19-10-2018	Friday
17.	Deepawali (07-11-2018)	5-11-2018	Monday
		6-11-2018	Tuesday
		7-11-2018	Wednesday
		8-11-2018	Thursday
		9-11-2018	Friday
18.	Id-milad un-Nabi	21-11-2018	Wednesday
19.	Gurunanak Jayanti	23-11-2018	Friday
20.	Christmas Day	25-12-2018	Tuesday

Total: 27 Days

NOTES :—

1. Makar Sankranti dated 14-01-2018, Gudi Padwa dated 18-03-2018, Ramnavmi dated 25-03-2018, Buddh Purnima dated 29-04-2018, Raksha Bandhan dated 26-08-2018, falls on Sunday & Id-ul-Fitar dated 16-06-2018 fall on closed Saturday, therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays falling on 20th January, 17th February, 17th March, 21st April, 19th May, 16th June, 21st July, 18th August, 15th September, 20th October, 17th November, 15th December will be closed Saturdays for Subordinate Court.
3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 21st May 2018 to 15th June, 2018 and Winter Vacation from 24th December 2018 to 31st December, 2018.
4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/Competent Authority without approval of High Court.
5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
6. The holidays in respect of Id-ul-Fitar, Id-ul-Zuha, Moharrum and Id-milad un-Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon.

शुद्धि-पत्र

जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2018

क्र. 74-गोपनीय-2018-दो-2-इक्कीस-63.—आदेश क्रमांक 72-गोपनीय-2018-दो-2-इक्कीस-63, दिनांक 16 जनवरी 2018 की सारणी के सरल क्रमांक 07 के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (2) में तथा पृष्ठानक क्रमांक 73-गोपनीय-2018-दो-2-इक्कीस-63, दिनांक 16 जनवरी 2018 के सरल क्रमांक 5(7) पर उल्लेखित श्री “रूपेश चन्द्र वाष्णीय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन” के स्थान पर “श्री रूपेश चन्द्र वाष्णीय, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, छिंदवाड़ा” पढ़ा जावे.

शुद्धि-पत्र

क्र. 77-गोपनीय-2018-दो-3-250-57(भाग-36).—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 67-गोपनीय-2018-दो-3-250-57(भाग-36), दिनांक 12 जनवरी 2018 की सारणी के सरल क्रमांक 27 पर श्री राहुल सिंह यादव (मेरिट क्रमांक 66) के नाम के समक्ष स्तम्भ (4) में उल्लेखित "प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, विदिशा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)." के स्थान पर, "प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, विदिशा के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)." पढ़ा जावे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 19 जनवरी 2018

क्र. B-298-तीन-6-4-81(भाग-आठ).—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-1205-तीन-6-4-81 भाग-आठ, दिनांक 12 अप्रैल 2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् सूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तम्भ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें.

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संजय कुमार जैन, (जूनि.) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.	राजस्व जिला छतरपुर	विशेष न्यायालय, छतरपुर

No.B-298-III-6-4-81 Pt-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D-1205-III-6-4-81 Pt-VIII, dated 12th April 2017, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in Column No. 2, the following entries shall be substituted :—

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Sanjay Kumar Jain (Jr.) IInd Additional Sessions Judge, Chhatarpur.	Revenue District, Chhatarpur	Special Court Chhatarpur

By order of Hon'ble the Chief Justice,
VIVEK SAXENA, O. S. D. (D. E.)